ोदश माला, खंड 35, अंक 1

सोमवार, 21 जुलाई, 2003
30 आषाढ़, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. [illegible]
Date [illegible]

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 1, सोमवार, 21 जुलाई, 2003/30 आषाढ़, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	iii-xxiv
लोक सभा के पदाधिकारी	xxv
मंत्रिपरिषद्	xxvii-xxx
राष्ट्रगान	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	1-2
निधन संबंधी उल्लेख	2-7
प्रश्न काल के निलंबन तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में	7-18
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 2	18-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19-354
*तारांकित प्रश्न संख्या 1, 3–20	19-106
अतारांकित प्रश्न संख्या 1–227	106-354
सभापटल पर रखे गए पत्र	355-356
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	356

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी, (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढवाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए. डी. के. (तिरूचेंदूर)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी. पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी (मेहसाना)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावुकरसर, श्री सु. (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्त, श्री त्रिभुवन (अकबरपुर)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित इजिलमलाई, श्री (तिरुचिरापल्ली)

दास, श्री अलकेश (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवगौडा, श्री एच. डी. (कनकपुरा)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरूनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी. के. (हिन्दुपुर)

पाल, डा. महेन्द्र सिंह (नैनीताल)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड, श्री कोलूर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिन्द, श्री रामरती (मिर्जापुर)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार, (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

महेता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)

मांझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत (कृषनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरूगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, डा. एम. वी. वी. एस. (विशाखापत्तनम)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, डा. जसवंत सिंह (अलवर)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री प्रदीप (गोड्डा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंदमान और निकोबार द्वीप)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई. वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन. आर. के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी. वी. एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, डा. साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती जी. (अमालापुरम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरुपति)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन. टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)

सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाड़ा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य मा. (गुना)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. रमण (राजनंदगांव)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिंधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह देव, श्री के. पी. (ढेंकानाल)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी. एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, चौ. तालिब (जम्मू)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मनोहर जोशी

उपाध्यक्ष

श्री पी. एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी. एच. पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के. येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है अर्थात: (1) योजना मंत्रालय (2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (3) परमाणु ऊर्जा विभाग (4) अंतरिक्ष विभाग
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री अनन्त गंगाराम गीते	विद्युत मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	वस्त्र मंत्री
श्री जगमोहन	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री अरुण जेटली	विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री मुरासोली मारन	निर्विभाग मंत्री
श्री सुबोध मोहिते	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री कड़िया मुण्डा	कोयला मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री

श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री काशीराम राणा	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री अर्जुनचरण सेठी	जल संसाधन मंत्री
श्री अरूण शौरी	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री
श्री जसवंत सिंह	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री
श्री राजनाथ सिंह	कृषि मंत्री
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	पोत परिवहन मंत्री
श्री यशवंत सिन्हा	विदेश मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
डा. सी. पी. ठाकुर	लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री
डा. साहिब सिंह वर्मा	श्रम मंत्री
श्री विक्रम वर्मा	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री शरद यादव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री रमेश बैस	खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री संघप्रिय गौतम	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एन. टी. षणमुगम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री विजय गोयल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्यमंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री दिलीप सिंह जूदेव	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री विनोद खन्ना	विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री कृष्णमराजू	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री सुभाष महरिया	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्रीमती जसकौर मीणा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री कैलाश मेघवाल	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से राज्यमंत्री
श्रीमती जयवंती महेता	विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री
श्री ए. के. मूर्ति	रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री नागमणि	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री
डा. संजय पासवान	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री हरिन पाठक	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)	वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री अशोक प्रधान	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री
श्री तपन सिकदर	लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्यमंत्री
श्री छत्रपाल सिंह	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री सु. तिरूनावुकरसर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री पी. सी. थामस	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री

लोक सभा

सोमवार, 21 जुलाई, 2003/30 आषाढ़, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अलकेश दास (नवद्वीप)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय : अब हम मंत्रियों का परिचय प्राप्त करेंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को मंत्रिपरिषद में शामिल किये गये अपने नये सहकर्मियों का परिचय कराता हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी जी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री के रैंक में प्रोन्नत करके शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री का अतिरिक्त भार दिया गया है। श्री खंडूड़ी जी के बाद मैं अन्य मंत्रियों का परिचय कराता हूं :-

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

श्री राजनाथ सिंह	कृषि मंत्री
श्री सुबोध मोहिते	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

राज्य मंत्री

श्री चिन्मयानन्द स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री कैलाश मेघवाल	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री नागमणि	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री
श्री पी. सी. थामस	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज हम दो माह के अंतराल के पश्चात् मिल रहे हैं। मुझे सभा को हमारे छह भूतपूर्व सहयोगियों, श्री बी. एम. मेनसिंकाई, श्रीमती शीला एफ. ईरानी, श्री फकीर अली अंसारी, श्री टी. किरुतिनन्, श्री भगतराम राजाराम मनहर और श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बी. एम. मेनसिंकाई, 1998 से 1999 तक बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने कर्नाटक के धारवाड़ दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री मेनसिंकाई 1988 से 1994 तक कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक योग्य संसदविद् थे। वह 1998 से 1999 तक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति और वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1998 से 1999 के दौरान, वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति तथा वाणिज्य मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य भी रहे।

श्री मेनसिंकाई ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह निगम परिषद, हावेरी; कर्नाटक राज्य नगर पुरसामेगाला महामंडल; कर्नाटक राज्य सिटी और टाउन नगर निगम, कर्नाटक के अध्यक्ष भी रहे।

श्री बी. एम. मेनसिंकाई का निधन, 17 जनवरी, 2003 को 77 वर्ष की आयु में होवेरी जिला, कर्नाटक में हुआ।

श्रीमती शीला एफ.ईरानी 1995 से 1996 तक दसवीं लोक सभा की नामनिर्दिष्ट सदस्य थीं।

इससे पूर्व वह 1969 से 1978 तक कर्नाटक विधान सभा की नामनिर्दिष्ट सदस्य भी रहीं।

अखिल भारतीय आंग्ल–भारतीय संघ की अग्रणी कार्यकर्ता, श्रीमती ईरानी ने आंग्ल भारतीय समुदाय तथा समाज के उत्थान हेतु विशिष्ट योगदान किया।

वह आईडियल जावा रोटरी स्कूल की अवैतनिक प्राचार्य थीं। वह व्यवसाय से शिक्षक थीं और वह अनेक विद्यालयों की संचालन समिति की सदस्य भी रहीं। वह 1993 से 1995 के दौरान मैसूर यूनिवर्सिटी सीनेट की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती ईरानी एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह अनेक सामाजिक संगठनों और उनकी सलाहकार समितियों में विभिन्न पदों पर रहीं। वह नेशनल कमेटी फॉर नेशनल कैडेट कोर; नेशनल एडवाइज़री कमेटी फॉर स्पीच एंड हीयरिंग, नई दिल्ली; तिब्बती शरणार्थियों को भारत में प्रवेश सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी रहीं तथा कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम की उपाध्यक्ष भी रहीं।

उन्हें दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान उपचारिका के रूप में सेंट जोन्स एम्बुलेंस कोर में सेवा हेतु 'वायसराय सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट' प्रदान किया गया था। वर्ष 1999 में रोटरी इंटरनेशनल ने उन्हें 'जीन हैरिस अवार्ड' से सम्मानित किया।

श्रीमती शीला एफ. ईरानी का निधन, 10 अप्रैल, 2003 को मैसूर, कर्नाटक में 71 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के बाद हुआ।

श्री फकीर अली अंसारी 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री अंसारी, 1978 से 1979 तक सभापटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के सदस्य भी थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह अनेक सामाजिक संगठनों एवं शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने भदोही बालिका जूनियर हाईस्कूल की स्थापना में सहयोग दिया और वह इसकी प्रबंधन समिति के सदस्य भी थे। वह गर्ल्स इंटर कॉलेज, भदोही के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य भी रहे। वह भदोही कल्याण अकादमी के सदस्य भी रहे।

श्री फकीर अली अंसारी का निधन, 18 मई, 2003 को भद्रोही उत्तर प्रदेश में 65 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् हुआ।

श्री टी. किरुतिनन् 1967 से 1977 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के शिवगंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री किरुतिनन् 1989 से 1996 तक राज्य सभा के सदस्य थे एवं 1996 से 2001 तक तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे। वह तमिलनाडु सरकार में 1998 से 2001 के दौरान राज्य राजमार्ग और पत्तन मंत्री भी रहे।

श्री किरुतिनन् एक सक्रिय संसदविद् थे। वह 1973 से 1977 के दौरान रेल उपक्रमों द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश दर की पुनरीक्षा संबंधी समिति; 1990 में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा 1993 से 1996 तक पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री किरुतिनन् व्यवसाय से कृषक थे। वह अनेक कृषि और सहकारी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे। उन्होंने समाज के निर्धन और पददलित लोगों के उत्थान हेतु अथक रूप से कार्य किया। ग्रामीण लोगों की सेवा करने और उन्हें शिक्षित बनाने में उनकी विशेष रूचि थी। उन्होंने जनसाधारण को सामाजिक नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षित करने में विशिष्ट योगदान दिया और विभिन्न जिलों में द्रविड़ विद्यार्थी सम्मेलनों में भाग लिया।

श्री किरुतिनन् ने अनेक देशों की यात्रा की। वह वर्ष 1972 में तत्कालीन पश्चिम जर्मनी गये संसदीय शिष्टमंडल एवं 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ गये भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री टी. किरुतिनन् का निधन, 20 मई, 2003 को मदुरै, तमिलनाडु में 66 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री भगतराम राजाराम मनहर 1974 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के जांजगीर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ में है, का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मनहर राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पूर्व, वह 1978 से 1990 तक भी राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री मनहर एक योग्य संसदविद थे। वह 1976 से 1977 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। वह राज्य सभा के सदस्य के रूप में, 2001 से 2002 तक रेल संबंधी समिति, 2002 से अपने निधन तक सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति तथा जनवरी, 2003 से अपने निधन तक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य थे।

व्यवसाय से कृषक, श्री मनहर एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वह राज्यस्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम संबंधी समिति के सदस्य; सरकारी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जरहाभट्टा, बिलासपुर में पब्लिक पार्टिसिपेशन के अध्यक्ष तथा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे।

श्री मनहर, राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ, साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स; जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति, दक्षिण पूर्व रेलवे; क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, जबलपुर तथा भारत सरकार के जल भूतल परिवहन पार्टिसिपेशन के अध्यक्ष तथा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे।

श्री मनहर, राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स; जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति, दक्षिण पूर्व रेलवे; क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, जबलपुर तथा भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे।

वह मध्य प्रदेश हरिजन छात्र संगठन तथा अनुसूचित जातीय परिषद् के सचिव भी रहे। वह गुरू घासीदास स्मारक समिति, रायपुर के न्यासी सदस्य तथा अनुसूचित जातीय परिषद छत्तीसगढ़ के संरक्षक भी थे।

श्री भगतराम राजाराम मनहर का निधन 19 जून, 2003 को 65 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण 1973 से 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा की तथा 1984 से 1991 तक आठवीं और नौवीं लोक सभा की सदस्य थीं तथा उन्होंने महाराष्ट्र के कराड़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती चव्हाण, 1980 से 1984 तक राज्य सभा की सदस्य थीं।

वह 1985 से 1987 तक कार्य मंत्रणा समिति, 1987 से 1990 तक नियम समिति, 1990 के दौरान परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य भी थीं। श्रीमती चव्हाण एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनकी ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल कल्याण में काफी रुचि थी।

वह पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कालेज, कराड़ की संस्थापक थीं तथा 1951 में कराड़ में पहला मांटेसरी स्कूल स्थापित करने में भी सक्रिय थीं। उन्होंने 1950 में कराड़ में महिला मंडल आंदोलन शुरू किया। वह इंडियन फैडरेशन आफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल विमेन्स एसोसिएशन तथा हॉस्पिटल वेल्फेयर सोसाइटी, दिल्ली की अध्यक्ष भी थीं।

उनकी खेलों में गहरी रुचि थी। वह अखिल भारतीय महिला क्रिकेट एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं।

श्रीमती चव्हाण एक साहित्यकार थीं और उनके द्वारा लिखी लघु कहानियां मराठी पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपा करती थीं।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण का निधन 8 जुलाई, 2003 को 85 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कराड़ में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, 21 मई, 2003 को अल्जीरिया में एक विनाशकारी भूकम्प आया।

यह सभा 21 मई, 2003 को आए भयंकर भूकम्प, जिसमें लगभग 2000 लोगों की जानें गयीं और अनेक लोग घायल तथा बेघर हुए, से प्रभावित मित्र राष्ट्र अल्जीरिया के लोगों के प्रति गहरी संवेदना एवं शोक व्यक्त करती है।

सभा इस बात को नोट करती है कि भारत सरकार ने भूकम्प पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने हेतु एक मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता देने का वचन दिया है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, गत दो महीनों के दौरान तीन प्रमुख रेल दुर्घटनाएं घटीं, इनमें पहली घटना 15 मई को लुधियाना, पंजाब में; दूसरी, 22 जून को महाराष्ट्र के

सिन्धुदुर्ग जिले में और तीसरी, 2 जुलाई, 2003 को वारंगल, आन्ध्र प्रदेश में घटित हुई, जिनमें 100 से भी अधिक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई अन्य घायल हुए।

हाल ही में, 16 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने के कारण आयी बाढ़ से अनेक लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य लोग घायल हुए।

हम मारे गए लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा इन त्रासदियों पर अपनी गहन संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

[अनुवाद]

प्रश्न काल के निलंबन तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे स्थगन प्रस्ताव के लिए 31 सूचनाएं तथा प्रश्न काल के निलंबन के लिए भी पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे अनेक विषयों पर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इसलिए मेरे विचार से सभी विषय महत्वपूर्ण है लेकिन हमेशा प्रश्न काल के निलंबन संबंधी सूचना को प्राथमिकता दी जाती है।

मुझे प्रश्न काल के निलंबन के लिए पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इसलिए मैं सबसे पहले सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि वे प्रश्न काल को निलंबित क्यों करना चाहते हैं।

प्रश्न काल के निलंबन के लिए श्री राम विलास पासवान का विषय "देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार के विरोध में 21.7.2003 को संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन" से संबंधित है, मैं उनसे केवल प्रश्न काल के निलंबन का कारण पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, समता स्थल से करीब–करीब तीन हजार दलित साइकिल मार्च कर संसद के लिए चले। मैं भी उनमें से एक हूं। हमने यह यात्रा तलहन से शुरू की। झज्जर होते हुए यहां पहुंचे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले दो–तीन साल से देश के हर कोने में अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह एक सरकार का मामला नहीं है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। आपने इस विषय पर तीन बार इसी संसद में बहस करवायी। 15 अक्तूबर 2002 को 6 दलितों को झज्जर में यह कह कर जिन्दा जला दिया कि वे गाय की खाल खींच रहे थे। इस विषय पर संसद में बहस हुई। प्रधान मंत्री यहां बैठे हैं। दुख की बात है कि इसके बाद भी एक अफसर को सजा नहीं हुई और एक भी आदमी जेल में नहीं है। सारे के सारे लोगों को छोड़ दिया गया। यह घटना झज्जर पुलिस स्टेशन के बगल में सात किलोमीटर की दूरी पर हुई। वहां पांच–पांच दलितों को यह कह कर जिन्दा जला दिया गया कि वे गाय की खाल खींच रहे थे। न कहीं गाय है और न कहीं खाल है। इसके बावजूद एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। इस देश में क्या होने वाला है? कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं। झज्जर में घटना घटने पर मुख्यमंत्री ने फैसला सुनाया। यह कोई धर्म का सवाल नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान, आप केवल इस विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि प्रश्न काल का निलंबन आवश्यक क्यों है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। पंजाब के मुख्य मंत्री श्री अमरेन्द्र सिंह जी ने मारे गए परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि मैनजिंग कमेटी में दलितों को रखा जाएगा लेकिन उन्हें मैनजिंग कमेटी में नहीं रखा गया।

उन्हें सेवादार कमेटी में रखा गया।...*(व्यवधान)* इसके बाद एक आदमी को सजा नहीं हुई। हमारी पार्टी के लोग बिहार में मारे गए। गया में श्री देबन पासवान के परिवार के चार लोग मारे गए लेकिन इसके बाद आज तक किसी आदमी को सजा नहीं हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के ऊपर रोज–रोज बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी घटनाएं घटने पर पोटा का इस्तेमाल किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी तरीके से इसके ऊपर बहस करवाइए। आज कम से कम तीन हजार लोग साइकिल पर यहां आए हैं। हमारे लोगों को रोज गिरफ्तार किया जा रहा है। यह किसी एक सरकार का मामला नहीं है। मैंने क्वश्चन आवर सस्पैंड करके इस पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। यह केन्द्र सरकार की जवाबदेही है और वह इसे देखे। वह दलितों की बातें करते हैं। मैं इस पर तुरंत कार्रवाई चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल के निलंबन का विषय नहीं बन सकता है। श्री राम विलास पासवान सभा में चर्चा के लिए किसी भी समय मामला उठा सकते हैं और उन्हें अनुमति दी जाएगी।

अब मैं प्रश्न काल के निलंबन के लिए अगली सूचना पर आता हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलेंगे। उनकी सूचना केन्द्रीय मंत्रियों तथा अन्यों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को हटा दिए जाने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कथित दुरूपयोग के बारे में है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका भी नोटिस है और इनका भी नोटिस है। दासमुंशी जी ने क्वश्चन आवर सस्पैंड करने का नोटिस दिया है इसलिए मैंने उनको बोलने की इजाजत दी है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचना दी है क्योंकि यह आज का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या देश के प्रमुख संस्थानों, चाहे वह न्यायपालिका हो, या वह कार्यपालिका का कोई अंग हो, या फिर वह कोई जांच एजेंसी हो, का दुरुपयोग हमारी संसदीय प्रणाली की समग्र अवधारणा के खंडन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने तथा संसद के सम्मान को भंग करने के लिए किया जा सकता है?

महोदय, 29 नवम्बर, 1999 को इसी सभा में मेरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ईश्वर दयाल स्वामी ने स्पष्ट कर दिया था कि बाबरी मस्जिद गिराने के मामले के आरोपी के विरूद्ध न केवल आरोप पत्र दाखिल किया गया था अपितु, न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोप भी पाए गए थे और उन व्यक्तियों की सूची भी दी गई थी। इसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या प्रकरण न्यायाधीश ने 9.9.1997 को एक आदेश पारित किया था... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत आरोप लगा रहे हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह क्या है? आपने मुझे प्रश्न काल के निलंबन को स्पष्ट करने के लिए कहा था। ये बाद में उत्तर दे सकते हैं...*(व्यवधान)* यहां उत्तर देने हेतु सक्षम लोग उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल के निलंबन के बारे में है। माननीय प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाया गया मुद्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की इजाजत दी है, मैं जानना चाहता हूं कि सस्पैंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर इसमें हो सकता है या नहीं, इसलिए मैंने परमीशन दी है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अयोध्या प्रकरण के विशेष न्यायाधीश ने 9.9.1997 को एक आदेश पारित किया था जब वे मंत्री नहीं थे और उन्होंने माना था कि यह प्रथम दृष्टया मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : 1999 में जो हुआ उसका आज क्या मतलब है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मस्जिद ढहाए जाने से पूर्व 6 नवम्बर को एक कक्ष में रचे गए षडयंत्र को रिकार्ड किया गया था। जब तक विशेष न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, षडयंत्र का आरोप बना रहा। बाद में यद्यपि पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा वर्तमान मुख्यमंत्री कुमारी मायावती द्वारा पुनरीक्षण याचिका शुद्धि को रिकार्ड नहीं किया गया तथापि उच्चतम न्यायालय का आरोप पत्र दायर करने का निदेश माना गया। तब अचानक बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर जिनके पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रभार है, समझ आई और इसने पूरे दस्तावेज से षडयंत्र पहलू को दूर किनार कर दिया। ...*(व्यवधान)* यह जांच एजेंसी के रूप में इस संस्थान का दुरूपयोग और तिकड़मबाजी के अलावा कुछ नहीं है...*(व्यवधान)* अतः, अन्य सभी प्रश्नों को एक तरफ रखकर स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह मुख्य प्रश्न लिया जाना चाहिए और इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह हम लोगों से संबंधित मामला है, इसलिए हमें बोलने की इजाजत दी जाए। यह कह रहे हैं कि सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया, फिर वहां ढांचा गिरा...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सर, जो एक्यूज्ड हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जो आरोपी हैं, उन्हें यहां नहीं बोलना चाहिए। उन्हें न्यायालय में जाने दीजिए... *(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, श्री विनय कटियार एक अभियुक्त हैं। वह यहां नहीं बोल सकते हैं... .*(व्यवधान)*

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रक्रियानुसार, आज के नियमों के अनुसार कार्यवाही का संचालन करने दीजिए।

[हिन्दी]

मुझे यह समझने की जरूरत है कि आप यहां क्वैश्चन ऑवर को सस्पैंड करने की मांग क्यों कर रहे हैं। वे दो-दो मिनट में बोलेंगे, उन्हें केवल इसी विषय पर बोलना है, इसके बाहर बोलने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज मुझे सुनने दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : जो लोग आरोपी थे, उनके खिलाफ अपराध संख्या 197/92, 198/92 के तहत अपराध पंजीकृत हुआ और पंजीकृत होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सी.बी.आई. ने 5 अक्तूबर, 1993 को जो आरंभिक जांच की, उस आरंभिक जाचं में धारा 120बी के तहत षडयंत्र करने का आरोप सी.बी.आई. द्वारा दाखिल किया गया, उसमें श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, कुमारी उमा भारती तथा आठ अन्य लोगों के खिलाफ धारा 120 बी के तहत षडयंत्र का आरोप सी.बी.आई. ने तय किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह हे कि 9 सितम्बर, 1997 को लखनऊ की विशेष अदालत के न्यायमूर्ति श्री जे. पी. श्रीवास्तव ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि धारा 120 बी के तहत आरोप तय करना ठीक था। पिछली सुनवाई के दौरान सी.बी. आई. के वकील ने कहा था कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं कि श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, कुमारी उमा भारती और अन्य लोगों ने वहां भड़काऊ भाषण दिये और कारसेवकों को बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त किये जाने हेतु उकसाया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी जरूरत नहीं है, आप केवल इतना ही कहिये कि इस विषय पर चर्चा हो सकती है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, सी.बी.आई. को केन्द्र सरकार अपने मन मुताबिक प्रयोग कर रही है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल मुझे अर्जेन्सी बतानी है, बाकी कुछ नहीं बताना है।

श्री रामजीलाल सुमन : सी. बी. आई. को केन्द्र सरकार अपने मन मुताबिक यूज कर रही है...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. एक विश्वसनीय संस्था है, यह उसकी साख को खत्म करने का एक सुनियोजित षडयंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिये। आप नोटिस के अनुसार बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। अब रघुवंश प्रसाद सिंह जी बोलें।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ. प्र.) : मान्यवर, हमारी बात भी सुनें। हमने भी नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सस्पैन्शन ऑफ क्वैश्चन आवर पर बात हो रही है। आप प्लीज बैठिये। चार माननीय सदस्यों के नोटिस प्रश्न काल स्थगित करने के संबध में हैं। आप बैठिये।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी रघुवंश जी को बोलने की इजाज़त दी है। अभी केवल रघुवंश जी की बात ही रिकार्ड पर जाएगी। अन्य सदस्यों की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस ही नहीं है, आप कैसे बोलेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न काल स्थगित कर काम रोको प्रस्ताव पर बहस चलाने के लिए आपसे स्वीकृति की मांग की है। महोदय, घटना स्पैसेफिक है कि बाबरी मस्जिद के दो अभियुक्त तो मंत्रिमंडल से हट गए लेकिन दो अभियुक्त अभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं – श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी, वे षडयंत्रकारी हैं और बाबरी मस्जिद तोड़ने के अभियुक्त हैं। सीबीआई ने पहले कहा था कि इन लोगों ने षडयंत्र किया, भड़काऊ भाषण किया और दंगा फैलाने की कोशिश की, मस्जिद को तुड़वाया। यह आरोप पहले दाखिल हुआ था। फिर प्रधान मंत्री के दबाव में सीबीआई ने काम किया।...*(व्यवधान)* अपने मंत्रिमंडल के लोगों को बचाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग प्रधान मंत्री ने किया और सीबीआई पर दबाव डालकर कोर्ट में उनको बचाया। ....*(व्यवधान)* इस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और षडयंत्रकारी और दंगा के अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब तक मंत्रिमंडल में श्री आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी रहेंगे, कोई न्याय नहीं हो सकता। यह प्रधान मंत्री कानून की धज्जियां उड़वा रहे हैं। इस तरह से लोक सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती और इस तरह से न्याय नहीं होगा। न्यायालय के काम में इस तरह से दखलअंदाज़ी होगी तो इनवैस्टिगेशन प्रभावित होगा। महोदय, आपके संरक्षण में यह सदन चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, आप बोलिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि सीबीआई पर इन्होंने दबाव डालने का प्रयास किया और सीबीआई के दबाव में दो अभियुक्त मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरुण जेटली जी उत्तर देने वाले हैं, कृपया आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे खेद है कि हमारी सूचना प्रश्न काल के निलंबन के बारे में है। चाहें यह सूचना स्वीकृत हो या नहीं लेकिन इसका निपटान आपके निर्णयानुसार हो सकता है न कि विधि मंत्री के निर्णयानुसार। विधि मंत्री का यहां कोई काम नहीं है। आपको इस पर गुण–दोष के आधार पर विनिर्णय देना है। यह कोई वाद–विवाद नहीं है। जिस पर यह उत्तर दें। वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं और हमें विभिन्न संस्थानों की प्रतिष्ठा में कमी के बारे में पता चलता है।. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठिये। मैंने आपको मौका दिया और आपने अपनी बातें कहीं हैं। अभी बनातवाला जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यू. एस. विश्वास के घर में नारकोटिक्स का सामान पकड़ा गया और जाली कागजात पकड़े गए। यह सब माल पकड़ा गया और उसको श्री अरूण जेटली और जॉर्ज फर्नान्डीज ने बचाकर गवाह बना दिया। इस तरह से सी.बी.आई. का दुरुपयोग हो रहा है।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं और विभिन्न संस्थानों ने कर्त्तव्य पालन नहीं किया है। महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में श्री लालकृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी जैसे उच्च व्यक्तियों तथा अन्यों सहित चुनिंदा अथवा विशेषाधिकार प्राप्त कुछ व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक षड्यंत्र के आरोप छोड़ दिए है। यह गंभीर धोखाधड़ी है। यह हमारे देश की दांडिक न्याय प्रणाली के साथ धोखा है।

महोदय, जब हमारे देश की दाण्डिक न्याय प्रणाली के साथ धोखा किया जा रहा हो, तब हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विश्वसनीयता दाव पर लगी हुई है। हम इस मामले में लिप्त कैबिनेट मंत्रियों के त्यागपत्र की मांग करते रहे हैं और अब हमें पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरूद्ध अपराधिक षड्यंत्र के गंभीर मामलों में उन्हें आरोप मुक्त कर रही है। महोदय, विभिन्न न्यायिक स्तरों पर न्यायालयों को इन आरोपों के बारे में पर्याप्त साक्ष्य नही मिले हैं। अब विशेष रायबरेली न्यायालय में अपराधिक षडयंत्र के आरोपों को छोड़ दिया है।

महोदय, आपको याद होगा कि 29 नवम्बर, 2002 को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि रायबरेली न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप इस मुद्दे की गहराई में नहीं जा सकते हैं। इस चरण में आप वह ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू होने पर ही आप ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : अब महत्वपूर्ण आरोप छोड़े जा रहे हैं और कुछ चुनिंदा लोगों का बचाव किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया बैठ जाइए।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विश्वसनीयता का प्रश्न हो, जब हमारी दाण्डिके न्याय प्रणाली के संबंध में ऐसा राष्ट्रीय संकट हो तो यह आवश्यक है कि हम सभी मामलों को एक तरफ रखकर इस प्रश्न को प्राथमिकता देते हुए इस पर चर्चा करें। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रश्न काल को निलंबित किया जाए और स्थगन प्रस्ताव पर हमारी संचनाओं को लिया जाए ताकि हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दुरुपयोग पर सरकार की निंदा कर सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे प्राप्त हुए हैं...

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बोल रहा हूं। कृपया मुझे सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ...*(व्यवधान)* कुछ नैतिक मानदण्ड होते हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने दोनों तरफ को नहीं सुना है। हमें तो आपने सुना ही नहीं है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। जैसा कि आपको बोलने का अधिकार है, मुझे भी अध्यक्ष पीठ से बोलने का अधिकार है। कृपया अध्यक्ष का बोलने का अधिकार छीनने की कोशिश मत कीजिए। जिन सदस्यों ने सूचनाएं दी थी, मैंने उनकी बात सुनी है। मैंने उन्हें बोलने और मुद्दे पर हमें समझाने का पर्याप्त अवसर दिया। इस बीच....

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने की अनुमति दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह नियम आप पर भी लागू होता है। जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो कृपया बैठ जाइए। इसलिए जब हमें इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसके बारे में पूरा राष्ट्र जानने का इच्छुक है, पर सूचनाएं प्राप्त हुई, तो मैंने सोचा कि मुझे विधि मंत्री से पूछ लेना चाहिए कि मामले की स्थिति क्या है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पुष्टि करवाना चाहता था कि क्या दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। विधि मंत्री ने आज अपना मत दे दिया है। मैं चाहता हूं कि वे इस मुद्दे पर अपनी राय दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा उनकी सलाह लेता हूं कि क्या सूचना तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। विधि मंत्री जा रहे हैं...

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.39 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होते ही उन्हें आज सरकार की टिप्पणियों के लिए भेज दिया है।

श्री अरूण जेटली; माननीय विधि मंत्री ने इसके उत्तर में मुझे अभी–अभी एक पत्र भेजा है, जो इस प्रकार है:

"अयोध्या मामले में आरोप पत्र के संबंध में सी.बी.आई. और सरकार द्वारा अधिकार के कथित दुरूपयोग के बारे में इस सभा के कई सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं सरकार को प्राप्त हुई है।

इस मामले, जो कि न्यायालय के विचाराधीन है, कि विषयवस्तु की जांच करने के अलावा सी.बी.आई. ने न तो मामले को कमजोर किया है और न ही किसी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप छोड़ा है। रायबरेली के आरोप–पत्र में धारा 120 ख का कोई आरोप ही नहीं था अतः इसे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

चूंकि सरकार द्वारा मामला नहीं छोड़ा गया है, सदस्यों के पास उपलब्ध जानकारी सही नहीं है। अतः, मैं प्रश्न काल को निलंबित करने हेतु सहमत नहीं हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. रिले करना बंद किया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने–अपने स्थान पर चले जाएं। वे मुझे बता सकते हैं कि किस तरह स्थगन प्रस्ताव शुरू किया जाए। मैं सदस्यों की बात सुनने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एडजर्नमेंट मोशन पर बोलिये, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। बिहार और असम में बाढ़ से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, यह अत्यन्त महत्व का मामला है।....*(व्यवधान)* इससे पूरे उत्तरी बिहार के लोग बर्बादी के कगार पर हैं। पिछले वर्ष भी नेपाल से 1.68 लाख क्यूसैक्स पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की भयंकर स्थिति हो गई थी।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सदन का कार्य स्थगित करके इस विषय को लिया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री रामजीलाल सुमन तथा 25 अन्य सदस्यों से बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में तीन केन्द्रीय मंत्रियों तथा भाजपा के अन्य कार्यकर्त्ताओं के वरूद्ध लगे आरोप छोड़ने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कथित दुरूपयोग; श्री नवल किशोर राय से देश में विशेषरूप से बिहार और असम में कथित बाढ़ की स्थिति, श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल से जालंधर में पुलिस द्वारा दलितों की कथित हत्या; प्रो. एस. पी. सिंह बघेल से आगरा में ताज हैरिटेज कॉरिडोर के निर्माण में कथित अनियमितता से उत्पन्न स्थिति; श्री के. येरननायडू तथा श्री एन. जर्नादन रेड्डी कर्नाटक सरकार द्वारा कतिपय परियोजनाओं के अवैध निर्माण के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैंने स्थगन प्रस्ताव की ये सभी सूचनाएं अस्वीकृत कर दी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 'प्रश्न काल' पर आता हूं। प्रश्न सं. 1, श्री राजो सिंह। वे नजरबंद हैं अतः उनका प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। अब मैं श्री दिनेश चन्द्र यादव के प्रश्न सं. 2 पर आता हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.50 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अग्नि सुरक्षा निधियों का अन्यत्र उपयोग

\+

***2. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर बाड़ लगाने और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए निर्धारित करोड़ों रुपयों की धनराशि को बिना किसी बजटीय प्रावधान के अन्य योजनाओं में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर बजटीय प्रावधान वाली योजनाओं में अब तक इसमें से अनुमानतः कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बाड़ और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए निर्धारित राशि को अन्य जगह लगाया जा रहा है.. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई भी नारा कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि प्रस्तावित योजनाओं की धनराशि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 3, श्री पवन कुमार बंसल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री भान सिंह भौरा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चल रही सिंचाई परियोजनाएं

*1. **श्री राजो सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के राज्य–वार नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक परियोजना–वार कितनी अनुमानित राशि व्यय की गई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के अनुसार यह पाया गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में 159 वृहद और 242 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, इन पर हुए व्यय और सिंचाई क्षमता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव सहित उनकी आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का होता है।

भारी संख्या में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नौवीं पंचवर्षीय योजना में आने से चिंतित होकर केन्द्र सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जिनपर पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं तथा ऐसी अन्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो कि पूर्ण होने की अंतिम अवस्था में है और अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई संबंधी लाभ दे सकती हैं, के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए वर्ष 1967–97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) प्रारंभ किया। वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के प्रारंभ से मार्च, 2003 तक 172 वृहद/मध्यम और लगभग 5000 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 11541.732 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

दसवीं योजना की चल रही वृहद सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे

(रु. करोड़/हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	जिस योजना में शुरू की गई	अनुमानित लागत	नौवीं योजना के अंत तक व्यय	स्पिल ओवर लागत	नौवीं योजना के अंत तक संभावित क्षमता की उपलब्धि	दसवीं योजना परिव्यय	पूरा होने का संभावित वर्ष	मूल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश									
1	जुराला (प्रियदर्शनी)*	VI	710	492.25	217.75	36.17	265.87	2006.07	
2	नागार्जुन सागर*	II	1184	1056.4	127.6	839.58	155.8	2006-07	91.29
3	पुलिवेन्दुला	IV	98	50.25	47.75	16.65	58.3	2006-07	2.98
4	सिंगुर	V	190	169.62	20.38	0	24.88	2006-07	29.75
5	सोमसिला*	V	467	397	70	14.74	85.47	2006-07	17.28
6	श्रीराम सागर	III	2425	1967.3	457.7	342.2	558.85	2006-07	41.1
7	श्रीसैलम एलबीसी	VI	1260	487.26	772.7	0	671.55	X वी. यो. से आगे	
8	श्रीसैलम आरबीसी	VI	1850	1252.32	597.68	40.22	729.76	2006-07	220.22
9	तेलुगु गंगा	VI	2470	1477.36	992.64	29.52	1212	2006-07	
10	वम्सधारा चरण-I	IV	109	104.49	4.51	58.26	4.73	2006-07	8.78
11	वम्सधारा चरण-II (नेरादी बैराज)*	VI	749.39	26.39	723.5	0	883.32	2006-07	
12	येलेरू जलाशय (जल आपूर्ति)	VI	489.16	344.04	145.12	जल आपूर्ति स्कीम	177.19	2006-07	107.35
13	चगलनाडु	IX	85	42.65	42.35	10.12	51.71	2006-07	
14	गलारू नगरी	IX	392.11	36.36	355.75	0	434.37	2006-07	
असम									
15	बोरदिकेराई*	V	52.8	43.61	9.19	30.75	9.65	2006-07	3.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	चम्पावती*	VI	88	59.82	28.18	4.18	34.38	2006-07	15.32
17	धनसिरी*	V	246	171.99	74.01	34.65	90.29	2003-04	15.83
18	एकीकृत कोल्लोंग*	V	88.59	67.51	21.08	29.078	22.13	2003-04	4.57
बिहार									
19	बागमती	V	170.2	36.74	133.46	0	101.76	2010-11	5.78
20	बरनार	V	253.47	46.1	207.37	0	158.25	2009-10	3 अगस्त
21	बतेश्वरस्थान	V	274.49	29.65	244.84	0	186.69	2009-10	13.88
22	दुर्गावती*	V	195.54	218.96	&	23.69	-	2009-10	26.3
23	पूर्वी कोसी	VII	171.95	95.48	76.47	0	93.29	2006-07	
24	गंडक धरण–II	VII	636.1	97.02	539.08	7.5	411.05	2009-10	
25	पश्चिमी कोशी नहर*	III	990	696.03	293.97	51.1	324.28	2004-05	13.49
26	ऊपरी किउल परियोजना (शेष भुगतान के तहत)	V	120.92	113.78	7.14	27.67	7.14	2002-03	8.07
झारखण्ड									
27	अजोय बराज	V	227.58	209.63	17.95	0	17.95	2002-03	115.24
28	औरंगा	VII	769.3	24.29	745.01	0	649.22	2008-09	125.4
29	कोनार	V	410.3	105.03	305.27	0	265.93	2008-09	
30	उत्तर कोयल	V	896.19	512.92	383.27	66	334	2008-09	439
31	पुनासी	VII	204.4	85.72	118.68	0	103.4	2008-09	
32	सुवर्णरेखा*	V	1652.44	1078.18	574.26	0	500.43	2008-09	1428
33	तिलैया	V	331.97	78.22	253.75	0	221.12	2008-09	
गोवा									
34	सलौली*	IV	164.34	157	7.34	14.33	7.71	2004	9.61
	तिलारी (आई एस)*	V	510.73	350.73	160	2.17	176.53	2005	141.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात									
35	सरदार सरोवर (आई एस)	VI	25963.3	16300.42	9662.88	235.72	11811	X वी. यो. से आगे	6406.4
36	जनकारी	VI	90	4.99	85.01	0	6.1	X वी. यो. से आगे	18.7
37	सिदम्बर	IX	30.53	0.21	30.32	0	6.1	X वी. यो. से आगे	
हरियाणा									
38	गुड़गांव नहर	III	60.61	34.74	25.87	61	-	X वी. यो. से आगे	2.88
39	जे. एल. एन. लिफ्ट सिंचाई	V	245.75	189.74	56.01	95	68.38	2006-07	40
40	लोहारू लिफ्ट	IV	79.63	43.7	35.93	0	43.87	2006-07	4.13
41	एस.वाई.एल. परियोजना (पंजाब का भाग)	V	601	432.88	168.12	0	83.3	X वी. यो. से आगे	59.7
42	रेवाड़ी लिफ्ट चरण–।।	III	39.6	32.01	7.59	20	7.97	2003-04	
हिमाचल प्रदेश									
43	शाहनहर सिंचाई परियोजना	VIII	165.86	83.23	82.63	0.5	86.76	2003-04	143.32
कर्नाटक									
44	बेनीथोर	V	221	203.75	17.25	10.18	18.11	2003-04	73.25
	दूधगंगा (आई. एस.)	VI	124	13.2	110.8	0	135.328	2006-07	
45	हरांगी	III	373	338.47	34.53	48.37	-	2006-07	
46	हेमावती	वा.यो. 68-69	3710	1665.61	2044.39	198.19	-	2006-07	
47	हिप्पारगी बैराज	V	901	57.2	843.8	0	1030.3	2006-07	418.77
48	काबिनी (एन. पी.)	II	1102.5	406.71	695.79	41.13	-	2006-07	
49	करंजा*	V	385	301.13	83.87	18.98	102.4	2006-07	98
50	मलप्रभा*	III	816	640.4	175.6	172.76	214.41	2006-07	19.91
51	तुंगभद्रा एच एल सी (आई. एस.)	II	105	54.15	50.85	74.47	62.08	2006-07	2.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ऊपरी कृष्णा चरण–I	VI	10630.13	8354.04	2276.09	318.7	2779.1	2006-07	
53	ऊपरी तुंगा	VIII	915.36	177.72	737.64	0	900.66	2006-07	
54	वराही	VIII	122.5	30.3	92.2	0	112.58	2006-07	
55	यागाची	VIII	250.54	139.64	110.9	3	-	2006-07	
56	मार्कन्डेय	IX	223	110.13	112.87	0	137.8	2006-07	
57	भीमा लिफ्ट	IX	187.58	16.3	171.28	0	209.13	2006-07	
58	सिंगतलूर	IX	595	49.6	545.4	0	665.93	2006-07	
केरल									
59	इदमलयार	VI	412	112	300	0	366.3	2006-07	17.85
60	कल्लादा*	III	760	706	54	53.61	66	2006-07	13.28
61	कुरियारकुट्टी (कोराप्पारा)	VIII	158.3	15	143.3	0	97.68	XI	
62	नुवातुपुझा*	V	515	332	183	0	223.44	2006-07	48.08
मध्य प्रदेश									
63	बाणसागर (आई. एस.) यूनिट-I	V	1151.41	481.22	670.19	0	388.89	2006	91.31
	बाणसागर (आई. एस.) यूनिट-II	V	1245	186.63	1058.37	5	136.75	XI	344.66
64	बारगी प्रभाग*	VIII	1709.95	24.88	1685.07	0.67	857.29	2004	1001.23
65	बरियारपुर एल बी सी	V	231.65	71.29	160.36	-	91.58	XI	18.40
66	महान	VI	155.1	51.83	103.27	0	126.09	2007	39
67	इंदिरा सागर*	VI	1731.4	610.78	1120.62	0	570.12	2004	752.16
68	जोबत	VI	129.2	37.92	91.28	0	100.7	2005	30.75
69	कोलार	IV	195	178.68	16.32	35	17.14	2004	130.14
70	माही*	VI	265.77	74.93	190.84	0	122.1	XI	61.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	मान	VI	118.93	106.61	12.32	0	13.32	2003	44.1
72	ओमकारेश्वर (एनपीडीए)	VIII	830.5	15.36	815.14	0	497.54	2002	350
73	पेंच डाइवर्जन	VIII	549.65	9.5	540.15	0	122.1	XI	19.6
	राजघाट (आई एस) यूनिट -I	V	143.5	143.33	0.17	0	0.17	2003	61.61
	राजघाट (आई एस) यूनिट -II	V	523.41	436.74	86.67	18.8	93.42	2005	309.21
74	रानी अवन्ती बाई सागर (बारगी)	V	534.9	560.08	&	25.68	303.22	2005	566.34
75	सिंध फेज–I	IV	84.51	59.43	25.08	40.2	26.33	2004	4.95
76	सिंध फेज-II*	VI	607.67	188.15	419.52	8.7	183.15	XI	510.94
77	ऊपरी वेनगंगा*	V	369.72	239.74	129.98	81	146.52	2007	50.6
78	उर्मिल (आई. एस.)*	V	31.8	26.7	5.1	3.8	5.63	2005	6.41
	बावनथादी यूनिट–I	V	82.8	60.33	22.47	0	27.44	2007	74.06
	बावनथादी यूनिट–II	V	149.19	45.17	104.02	0	91.58	XI	52.75
छत्तीसगढ़									
79	महानदी जलाशय	IV	629.2	494.42	134.78	135.4	64.56	2007	15.34
80	जोंक डाईवर्जन	IV	64.33	40.39	23.94	10.1	23.94	2003	4.13
81	हसदेव बांगो*	78-80	1122	709.72	412.28	186.9	454.88	2005	115.3
महाराष्ट्र									
82	अरूणावती	VI	224.16	194.26	29.9	23.97	31.4	2004	66.48
83	बावनथाडी (आई एस)	78-80	188.7	108.62	80.08	0	91.51	2008	34.77
84	भटसा	V	358.25	246.42	111.83	8.93	136.54	2007	164.11
85	भीमा*	III	1216.01	858.6	357.41	214.53	436.4	2007	32.58
86	चसकमन*	V	357.77	289.25	68.52	21.21	75.6	2005	22.48
87	दूधगंगा (आई एस)	V	798.65	372.12	426.53	22.39	520.79	2007	204.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	गोसीखुर्द*	VI	2344.23	1134.11	1210.12	15.01	867.06	2012	461.19
89	हुमान	VI	370.04	37.48	332.56	0	161.86	2009	
90	जयकवाडी चरण–I	V	788.24	779.32	8.92	236.93	9.37	2004	127.36
91	कदवा*	VI	76.07	64.47	11.6	7.92	12.18	2004	
92	खड़कवासला*	II	343.87	322.21	21.66	62.15	23.9	2005	11.62
93.	कोयना कृष्णा	VI	1321.12	921.49	399.63	4.52	427.35	2009	259.1
94	कृष्णा*	III	559.01	388.97	170.04	89.95	207.62	2007	27.66
95	कुकाडी*	66-69	1147.56	1052.45	95.11	94.88	116.13	2007	17.9
96	लेन्डी* (आई एस)	VI	177.62	55.6	122.02	0	122.1	2010	
97	लोअर दूधना	VIII	474.06	130.62	343.44	0	236.19	2010	531.21
98	लोअर पेनगंगा (आई एस)	VIII	1696.94	156.66	1540.28	0	659.68	2012	
99	लोअर तिरना	VI	283.55	230.57	52.98	26.6	64.68	2007	
100	लोअर वरधा	VI	540.14	278.41	261.73	0	286.94	2009	
101	लोअर वुन्ना	VI	287.46	274.08	13.38	21.48	14.05	2004	
102	नंदुर	V	606	371.99	234.01	0	224.68	2009	72.66
103	नीरा देवघर	VIII	588.65	418.26	170.39	1.99	165	2008	
104	पुनाद	VI	115.81	93.8	22.01	0	24.28	2005	29.92
105	सूर्या*	78-80	276.15	228.2	47.95	22.55	58.55	2007	19.35
106	तालम्बा	VI	388.19	78.06	310.13	0	134.47	2011	289.09
107	तिल्लारी (आई एस)	78-80	649.73	484.16	165.57	1.33	202.16	2008	76
108	तुलतुली	VI	189.4	46.84	142.56	0	73.94	2010	
109	अपर गोदावरी	66-69	189.99	116.94	73.05	66.17	89.19	2007	14.2
110	अपर पेनगंगा	V	867.46	548.44	319.02	73.97	389.52	2007	84.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	अपर प्रवरा	V	512.88	120.03	392.85	4.83	479.67	2007	15.87
112	अपर तापी	IV	230.78	170.11	60.67	37.37	70.37	2006	12.09
113	अपर वर्धा	V	754.26	618.03	136.23	73.33	166.34	2007	39.88
114	विष्णुपुरी	78-80	252.77	184.1	68.67	18.54	83.85	2007	78.93
115	वाघुर	V	189.32	145.17	44.15	0	53.91	2007	12.28
116	वान*	VI	228.4	211.7	16.7	18.17	17.54	2004	46.85
117	वारना	66-69	1291.15	429.55	861.6	18.81	562.88	2010	31.08
118	बेम्बला	VIII	363.35	206	157.35	5.82	152.63	2009	
119	मामा असखेदा	VIII	393.29	287.74	105.55	0.75	109.89	2008	
120	उर्मादी	VI	478.18	360.82	117.36	2	122.1	2009	18.85
121	गुंजावनी	VIII	286.78	145.33	141.45	0	158.73	2008	
122	जनाइसिरसी	VIII	144.24	99.03	45.21	5	51.89	2008	
123	खड़कपुर्णा	VIII	336.34	126.2	210.14	11.58	192.922	2009	
124	सिना कोलेगांव	VIII	228	142.09	85.91	2	97.68	2008	
125	सिना मघा एलआईएस	VIII	197.7	93.68	104.02	1.5	116	2008	
126	तेमघर	IX	267.64	234.52	33.12	1	36.54	2005	
मणिपुर									
127	खुगा*	VI	176.21	152.21	24	8	- 24	2002-03	
128	थोबल*	78-80	429	235.97	193.03	4	212.91	2004-05	
उड़ीसा									
129	पोट्टेरू*	IV	162.88	150.27	12.61	102.62	15.4	2003-04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	रेंगाली सिंचाई								
	(i) रेंगाली सिंचाई	IV	40.77	41.01	&	0	0	पूर्ण	
	(ii) ओईसीएफ सिंचाई	IX	49.47	299.3	&	0	183.06	2006-07	
	(iii) एफ.ए. रहित सिंचाई	IV	1751.48	506.92	1244.56	3.25	1519.6	2006-07	
	(iv) डब्ल्यू आरसीपी घटक		212.53			0		2006-07	
131	सुर्वणरेखा आईएस*	VIII	1397.55	542.32	855.23	9.32	793.66	X वी. यो. से आगे	
132	अपर इंदिरावती*	78-80	984.35	672.6	311.75	78.11	380.65	2006-07	
133	कानुपुर सिंचाई	VIII	428.32	22.22	406.1	0	219.78	X वी. यो. से आगे	
134	देव सिंचाई परियोजना	VI	135.91	64.69	71.22	0	86.96	2006-07	
135	मंजोर	VIII	89.34	33.85	55.49	3	67.75	2006-07	
136	लोअर इंदिरा*	IX	217.7	34.22	177.48	0	216.7	2006-07	
137	लोअर सुकेतेल	IX	211.13	13.53	203.6	0	248.6	2006-07	
138	बाघ बराज	IX	49.19	27	22.19	3	27.09	2006-07	
राजस्थान									
139	बीसलपुर सिंचाई*	VII	325	201.66	123.34	49.5	150.6	दसवीं योजना	
-	गुड़गांव नहर (आईएस)	III	35.4	28.1	7 3	22.78	8.91	दसवीं योजना	
140	आईजीएनपी चरण -II*	V	2494.18	1957.16	537.02	794	655.7	दसवीं योजना	
141	माही बजाज सागर (आईएस)*	IV	1060.42	499.84	560.58	94.01	684.47	दसवीं योजना	
-	नर्मदा एसएसपी (आईएस)*	VI	1462	178.88	1283.12	0	976	X वी. यो. से आगे	
142	सिंघमुख नहर	90-92	309	296.58	12.42	33.74	13.7	दसवीं योजना	
143	डब्ल्यूआरसीपी (राजस्थान)*	IX	.2000	0.66	1999.34	0	854.7	X वी. यो. से आगे	
तमिलनाडु									
144	डब्ल्यूआरसीपी (तमिलनाडु)*	IX	1062	996.02	65.98	स्थिरीकरण	65.98	2002-03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश									
145	चम्बल लिफ्ट	78.8	97.76	97.76	0	59	5	2002-03	
146	पूर्वी गंगा*	V	579	347.97	231.03	51.36	282.09	2006-07	
147	जरौली पीसी	90-92	52.35	35.09	17.26	0	16.12	2003-04	
148	कन्हर सिंचाई	V	341.45	64.02	277.43	0	338.74	2006-07	
149	मध्य गंगा*	V	716	672.62	43.38	172.58	43.38	2002-03	
150	हिन्डन कृषि दोआब में खरीफ * चैनल मुहैया कराना*	78-80	125.3	96.65	28.65	11.8	28.85	2002-03	
151	राजघाट बांध*	V	150	133.09	16.91	-	17.76	2002-03	
	राजघाट (उ.प्र. नहर)	V	329	287.23	41.77	97.57	43.86	2003-04	
152	सरयू नहर*	V	3463	1173.12	2289.88	443.7	2783.7	2006-07	
-	बाणसागर बांध*	V	287.85	240.34	47.51	-	58	2006-07	
-	बाणसागर नहर	91-92	691.34	203.23	488.11	-	596	2006-07	
153	टिहरी बांध (सिंचाई हिस्सा)*	78-80	1054	748.29	305.71	0	373.37	दसवीं योजना	
उत्तरांचल									
154	लखवर व्यासी**	V	578.4	217.49	360.91	0	220.33	X वी. यो. से आगे	
155	जमरानी	V	433	26.32	406.68	21	248.28	X वी. यो. से आगे	
156	किसाऊ बांध	IX	864	8.1	855.9	0	522.53	X वी. यो. से आगे	
पश्चिम बंगाल									
157	डीवीसी बराज सिंचाई	I	72.49	82.33	&	407.96	-		
158	कंग्सावती*	II	308	307.84	0.16	398.2	0.16	2001-02	
159	तीस्ता बराज चरण–I	V	1294.7	979.13	315.57	153.19	274.5	2008-09	
-	सुर्वणरेखा (आईएस)*	90-92	654.5	32.88	621.62	0	473-98	2009-10	
	कुल जोड़	-	134130	74446.2	59780	-	-	-	

*त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल एवं नवीनतम अनुमानित लागत में संशोधन की आवश्यकता है।

दसवीं योजना में निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

(रु. करोड़/क्षमता हजार हैक्टे.)

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	नवीनतम अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	संभावित व्यय (रु. करोड़ में)	स्पीलओवर लागत	संभावित उपलब्धि (000 हेक्टे.)	दसवीं योजना में प्रस्तावति परिव्यय	मूल लागत (रु. करोड़ में)	पूरा होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश									
I	थंडवा जलाशय	III	17.28	13.24	4.04	14.83	4.98	1.99	2006-07
2	कानूपुर नहर*	III	27.58	20.54	7.04	7.08	8.60	0.70	2006-07
3	मदृयूवलासा*	V	115.23	108.07	7.16	0.00	7.52	8.45	2003-04
4	चेय्येरू*	V	60.45	54.80	5.65	2.02	5.65	6.04	2002-03
5	गुंडलवागु*	V	21.58	1.05	20.53	0.00	25.07	1.16	2006-07
6	वेरकिलदा*	V	81.20	38.76	42.44	3.06	51.82	10.40	2006-07
7	माड्डिलेरु	VIII	50.28	45.96	4.32	5.21	4.54	17.00	2003-04
8	माड्डिगेड्डा*	VIII	10.90	5.90	5.00	1.10	6.10	1.55	2006-07
9	पेड्डरू	IX	38.67	30.00	8.67	0.45	9.10		2003-04
10	झंझावती (आई एस)	V	103.62	31.64	71.98	0.00	87.89		2006-07
11	पालेमबागु	IX	82.51	10.07	72.44	0.00	88.45		2006-07
12	पेनाल डेल्टा प्रणाली	IX	5.74	4.00	1.74	0.00	1.83		2003-04
		उप जोड़ 1	515.04	364.03	251.01				
असम									
13	रूपाही*	1978-80	12.70	7.03	5.67	0.70	5.95	1.83	2003-04
14	पाहुमारा*	1978-80	54.00	32.09	21.91	5.10	23.00	5.00	2003-04
15	बुरी दिहंग*	1978-80	24.40	15.59	8.81	2.54	9.25	1.14	2003-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	बोरोलिया*	1978-80	60.05	42.99	17.06	4.00	19.78	6.77	2005-06
17	हवाईपुर लिफ्ट*	VI	16.43	15.08	1.35	3.04	1.35	1.99	2002-03
		उप जोड़ 2	167.58	112.78	54.80				
बिहार									
18	बिलाशी*	1978-80	21.57	22.00	&	4.05		1.46	
19	बट्टेश्वरस्थान चरण II	V	41.66	1.97	39.69		48.42	2.97	2006-07
20	धक्रानाला पंप चरण II	VII	12.63	5.43	7.20		7.56	4.76	2003-04
21	मलाई	VII	13.29	2.96	10.33		10.85		2003-04
22	ओरनी*	V	55.13	55.81	&	9.60		2.96	
23	सिंदवार्नी	VI	37.51	10.73	26.78		32.67	4.45	2006-07
24	धरकनाला पंप चरण – II	1978-80	190.96	61.39	129.57		112.91	8.43	2007-08
		उप जोड़ 3	372.75	160.29	213.57				
झारखंड									
25	मैरवा	VII	45.01	16.51	28.50	-	34.77	20.19	2006-07
26	बटाने*	V	44.07	47.11	&	9.87		4.01	पूर्ण
27	बासुकी	VIII	29.74	0.16	29.58		36.09		2006-07
28	धनसिंमटोली	VII	24.01	26.73	&	2.99			2001-02
29	झरझारा	V	43.36	1.96	41.40		50.50	4.47	2006-07
30	कतरी	VII	50.31	43.44	6.87	4.97	6.87		पूर्ण
31	कंसजोर*	VII	41.15	47.07	&	6.26		8.66	पूर्ण
32	कंसजोर*	V	48.60	44.61	3.99		3.99	1.37	2002-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	केसो	VII	21.74	8.54	13.20		13.86	16.14	2003-04
34	लतरातू*	VII	5029	39.79	10.50	5.00	11.03	10.98	2003-04
35	गतकी	VII	35.67	13.92	21.75		25.23	0.71	2006-07
36	पंचखेड़ा	VII	34.41	28.28	6.13		6.13	9.55	2002-03
37	रामरेखा	VII	32.00	5.24	26.76		32.65		2006-07
38	सकरीगली	V	13.07	11:72	1.35		1.35	0.61	2002-03
39	सुरंगी*	VII	28.60	29.81	&	2.60		2.15	2001-02
40	सोनुआ*	VI	65.20	52.74	12.46	3.00	13.08	8.92	2003-04
41	सुरू	VI	23.56	6.77	16.79		17.63	3.12	2003-04
42	सलैया	VII	24.98	0.11	24.87		30.34		2006-07
43	सतपोतका	VIII	29.38	0.15	29.23		35.66		2006-07
44	तोराई*	V	68.83	35.25	33.58		40.97	2.75	2006-07
45	ऊपरी शंख	VII	81.39	20.40	60.99		52.98	9.18	2008-09
46	गुमानी*	V	92.09	82.94	9.15		9.15	3.84	2002-03
	उप जोड़	4	927.46	563.25	377.10				
गुजरात									
47	अपी–IV*	IX	98.00	85.47	12.53	1.00	12.60		2003-04
48	बकरोल	IX	23.86	3.55	20.31	0.00	6.10		ग्यारहवीं योजना
49	भादर-II	IX	107.00	65.66	41.34	6.77	45.24		2004-05
50	डेमी.III (नाबार्ड)	IX	32.50	27.32	5.18	0.25	5.25		2003-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	गोमा (पी)	VIII	47.59	10.15	37.44	0.50	6.10	47.59	दसवीं योजना से आगे
52	गुंडा (मतवाली)	IX	37.00	30.59	6.41	0.50	7.33		दसवीं योजना से आगे
53	कोलियारी	VIII	26.00	16.33	9.67	1.15	9.45		2003-04
54.	लिम्दी–भोगावो–।।	VIII	43.00	35.24	7.76	0.62	7.35		2003-04
55	मेन	IX	8.72	0.58	8.14	0.00	6.10		दसवीं योजना से आगे
56	मुक्तेश्वर	VI	52.50	41.49	11.01	4.69	11.00	19.37	2002-03
57	ओजाट–।*	VIII	82.00	73.16	8.84	4.50	8.00		2002-03
58	सिंगोर	IX	20.00	2.10	17.90	0.00	6.10		दसवीं योजना से आगे
59	उंद–।। (गुंताली)	VII	64.00	58.43	5.57	4.72	5.00		2002-03
60	वरंसी	IX	24.00	3.65	20.35	0.00	24.42		2006-07
61	वास्तु–।।	VIII	59.00	51.62	7.38	3.50	7.35		2003-04
62	कुंताली	IX	43.98	4.44	39.54	0.00	39.00		दसवीं योजना से आगे
63	ब्राह्मणी–।।	IX	41.50	27.45	14.05	0.00	14.05		2006-07
64	चिंचेयर लिफ्ट सिंचाई, परियोजना	IX	18.10	8.90	9.20	0.00	9.00		2003-04
		उप जोड 5	828.75	546.13	282.62				
हिमाचल प्रदेश									
65	सिधाता सिंचाई*	IX	36.98	9.11	27.87	0.20	30.75	33.62	2004-05
66	चेंजर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई परियोजना*	IX	31.21	9.95	21.26	0.00	24.67	28.37	2005-06
		उप जोड़ 6	68.19	19.06	49.13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर									
67	मारवल लिफ्ट*	IV	25.16	14.16	11.00	4.26	13.43	2.41	2006-07
68	लेथपुरा लिफ्ट*	IV	12.18	7.22	4.96	1.71	6.06	0.95	2006-07
69	नियू–कारेवा भंडारण	IV	13.00	3.35	9.65		11.78	0.94	2006-07
70	राजपौड़ा लिफ्ट*	1978-80	29.13	4.88	24.25		29.61	2.13	2006-07
71	त्राल लिफ्ट*	1978-80	70.33	9.15	61.18		74.70	6.13	2006-07
72	रफियाबाद उच्च लिफ्ट*	VII	35.6	20.28	15.32		18.70		2006-07
73	दादी नहर	VII	11.86	5.74	6.12	2.44	7.47		2006-07
		उप जोड़ 7	197.26	64.78	132.48				
कर्नाटक									
74	मस्कीनाला*	V	41.30	38.99	2.31	3.00	2.42	3.11	2003-04
75	वोटहेल	V	52.50	41.75	10.75	6.46	13.13	2.05	2006-07
76	लोअर मुल्लामारी	V	124.05	112.07	11.98	3.87	14.63	8.37	2006-07
77	चुलकीमाला	V	65.70	61.65	4.05	1.99	4.94	3.80	2006-07
78	हीरेहल्ला*	VI	151.53	124.91	26.62	8.33	32.5	6.35	2006-07
79	हरिनाला	IX	41.62	30.62	11.00	0.89	13.43		2006-07
80	गनधोरीनाला*	VIII	132.96	70.70	62.26	0.00	76.02	7.71	2006-07
81	बासापुर लिफ्ट	IX	14.03	1.30	12.73	0	15.54		2006-07
82	होदीराइया नाला	IX	9.20	0.61	8.59	0	10.49		2006-07
83	इतागी सासलाबाड़	IX	8.00	0.83	7.17	0.00	8.75		2006-07
84	इग्गालुर	IV	70.00	55.08	14.92	4.05			2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	अरकावती	V	110.00	80.26	29.74	1.75		0.65	2006-07
86	उदुथोरोहेल्ला	V	156.1	132.59	23.51	0.46			2006-07
87	हचनकोपलू	VIII	27.50	15.44	12.06	1.80			2006-07
88	कामसभुद्रा (एन पी)	VIII	30.00	20.74	9.26	0.71			2006-07
89	नंजापुरा एल आई एस	IX	34.56	11.65	22.91	0.39			2006-07
90	कचनहल्ला	IX	30.60	3.54	27.06	9.16			2006-07
		उप जोड़ 8	1099.65	802.73	296.92				
केरल									
91	करापुझा	V	253.00	190.00	63.00		76.92	7.60	2006-07
92	अट्टापडी	V	161.00	13.00	148.00		180.71		2006-07
93	वामनपुरम	VIII	335.00	115.00	220.00		109.89	36.4	ग्यारहवीं योजना
94	बांसुरा सागर	VIII	50.00	10.00	40.00		48.84		2006-07
		उप जोड़ 9	799.00	328.00	471.00				
मध्य प्रदेश									
95	बंजर*	V	16.75	16.44	0.31	2.40	0.31	2.09	2003
96	बंदियानल्ला	VI	23.13	20.13	3.00	1.20	3.15	1.08	2004
97	बहुला*	VI	54.30	3.72	50.58		54.95	19.38	ग्यारहवीं योजना
98	कुंवारी लिफट	VI	5.31	0.31	5.00		6.11	1.03	ग्यारहवीं योजना
99	महुअर	VI	57.68	4.39	53.29		34.54		ग्यारहवीं योजना
100	सागर	VI	31.99	1.29	30.70		30.53		ग्यारहवीं योजना
101	दूधी	वा.यो 78-80	37.50	27.50	10.00	1.70	11.03		2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	कल्लासोफ	वा.यो. 78-80	69.52	60.79	8.73	3.80	5.73		2003
103	गोपाद लिफ्ट	VII	18.40	18.04	0.36	5.70	0.36		2003
104	बराचर	VIII	20.87	19.68	1.19	2.40	1.19		2003
		उप जोड़ 10	335.45	172.29	163.16				
छत्तीसगढ़									
105	बिलासपुर डाइवर्जन	V	13.84	0.48	13.36	0.00	15.50	0.96	2006
106	शिवनाथ डाइवर्जन*	V	24.20	20.33	3.87	4.45	3.87	0.42	2003
107	बरमाई	VI	25.32	23.00	2.32	2.00	2.32		2003
108	गेज	VI	58.30	55.22	3.08	4.00	3.08		2003
109	कोसर्टेडा*	VI	58.31	11.39	46.92	0.00	57.29	6.01	2007
110	सुतियापत	IX	19.05	0.28	18.77	0.00	22.93		2007
111	ऊपरी जौक*	IX	2.08	0.70	1.38	0.00	1.69		2007
		उप जोड़ 11	201.10	111.40	89.70				
महाराष्ट्र									
112	अंजना पालसी	V	50.81	39.48	11.33	2.03	13.83		2007
113	अरम (पिंपरी)	V	71.28	62.22	9.06	10.07	10.00	2.89	2.05
114	बहुला*	V	44.04	38.84	5.20	2.81	5.46	5.92	2004
115	चेंन्ना नादी	V	17.10	6.35	10.75	0.00	13.11		2.007
116	चिकोतरा	V	137.94	92.34	45.60	4.81	47.88	4.28	2004
117	एरघा	V	31.90	3.16	28.74	0.50	35.09		2007
118	हिवरा	V	16.29	14.17	2.12	2.57	2.23	3.44	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	कदवी*	V	69.74	57.21	12.53	9.22	14.54	11.28	2006
120	जमगमहट्टी	V	32.00	31.52	0.48	3.70	0.48	11.28	2003
121	जवाईगांव	V	26.75	23.64	3.11	5.24	3.27	2.39	2004
122	कसारी	V	28.95	26.33	2.62	9.46	2.75	6.15	2004
123	कुंभी	V	48.63	44.06	4.57	6.68	4.80	5.16	2004
124	मगरूलपुर	V	24.20	22.29	1.91	1.68	2.01		2004
125	मोर	V	36.18	35.41	0.77	1.64	0.77	0.91	2003
126	पंथारीनल्ला	V	11.70	1.27	10.43	0.00	12.74	0.83	2007
127	पुरनानिपुर	V	14.94	14.83	0.11	1.47	0.11	1.89	2003
128	तलानी	V	8.00	7.06	0.94	0.00	0.99		2004
129	तेम्बापुरी	V	33.93	31.55	2.38	4.78	2.50	18.09	2004
130	अमरावती	VI	43.10	36.33	6.77	2.88	8.27	4.63	2007
131	बोरदेगांव	VI	28.70	26.72	1.98	1.28	2.08	16.27	2004
132	बोरी	VI	44.58	37.18	7.40	0.50	8.59		2005
133	देहाली	VI	39.66	20.49	19.17	0.00	23.41	6.48	2007
134	देवगढ़	VI	168.32	97.35	70.97	0.00	79.37	24.64	2008
135	डोंगरगांव (सी)	VI	24.15	19.91	4.24	2.80	4.92	2.15	2006
136	हतवाने	VI	203.82	145.39	58.43	1.50	68.38	18.55	2008
137	जाम	VI	66.70	63.04	3.66	3.20	4.25	42.63	2006
138	करवप्पानल्ला	VI	26.54	4.96	21.58	0.00	26.35	4.70	2007
139	कसरसाई*	VI	32.99	32.40	0.59	0.00	0.59	2.70	2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	मसालगा	VI	22.70	22.21	0.49	1.36	0.49	10.51	2003
141	मून	VI	55.26	47.82	7.44	8.71	9.08	5.35	2007
142	नाग्यसाक्य (पंजाम)	VI	20.83	20.28	0.55	3.30	0.55	2.50	2003
143	पकादीगुदम	VI	25.55	22.72	2.83	3.71	2.97	7.64	2004
144	पतगांव	VI	82.20	62.97	19.23	8.10	23.48	7.39	2007
145	सकोल	VI	13.61	12.83	0.78	2.00	0.78	10.88	2003
146	संख	VI	45.09	39.33	5.76	3.10	6.36	31.53	2005
147	शिवना तकाली	VI	65.05	61.22	3.83	3.20	4.23	34.76	2005
148	सोनावाद	VI	31.37	29.19	2.18	2.15	2.29	3.14	2004
149	तंजनापुर लिफ्ट सिंचाई	VI	25.86	23.14	2.72	0.50	2.86		2004
150	ऊपरी मनार	VI	145.28	108.67	36.61	2.97	44.70	26.18	2007
151	उमरजानी	वा. यो. 78-80	22.00	21.82	0.18	2.03	0.18		2003
152	वाडीवाले	वा. यो. 78-80	31.03	29.30	1.73	5.00	1.82	3.30	2004
153	अंघाली	VIII	19.29	16.69	2.60	1.50	2.73		2004
154	मदन टैंक	VIII	50.56	26.63	23.93	0.50	24.42	3.08	2009
155	जामब्रे	VIII	63.04	54.48	8.56	1.78	9.93		2006
156	कटंगी एलआईएस	VIII	31.00	21.50	9.50	1.32	11.60		2007
157	निवाली चुलबंद	VIII	60.82	18.27	42.55	0.00	43.96		2009
158	मोहम्मदबाड़ी	VIII	189.90	113.09	76.81	0.00	91.58		2008
159	संडया टोला एलआईएस	VIII	29.18	22.10	7.08	0.00	8.64		2007
160	उतावली	VIII	43.95	28.31	15.64	2.30	18.24	35.78	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	अक्कलपाड़ा	VIII	131.40	30.11	101.29	0.00	123.68		2007
162	अंजनी	VIII	79.97	28.37	51.60	0.00	63.00		2007
163	चन्द्रभागा	VIII	122.01	114.26	7.75	2.20	8.99		2006
164	चपदोह	VIII	11.00	1.30	9.70	0.00	11.25	6.08	2006
165	चित्री	VIII	79.94	69.14	10.80	4.31	11.92		2005
166	दारा	VIII	37.38	3.55	33.83	0.00	29.10		2007
167	गदनादी	VIII	112.80	75.08	37.72	0.00	43.96		2008
168	गोदावरी नदी	VIII	27.74	18.00	9.74	0.00	10.23		2004
169	गुल	VIII	55.94	28.54	27.40	0.53	33.46		2007
170	जमखेदी	VIII	26.94	18.22	8.72	0.39	10.65		2007
171	कजाला	VIII	17.68	16.55	1.13	1.05	1.13		2003
172	कलपथरी	VIII	27.44	18.56	8.88	0.50	10.84		2007
173	कार	VIII	65.87	42.18	23.69	4.00	28.93	44.71	2007
174	करजखेड़ा (एलआईएस)	VIII	39.46	23.85	15.61	0.00	19.06		2007
175	कश्यापी	VIII	49.33	44.19	5.14	5.09	5.67		2005
176	कोरादीनल्ला	VIII	21.25	6.65	14.60	0.00	17.83	17.83	2007
177	लाल नल्ला	VIII	49.70	39.22	10.48	0.50	12.21		2008
178	मौरना गुरेघर	VIII	101.50	40.13	61.37	0.60	71.20		2006
179	नगारी	VIII	59.94	34.97	24.97	0.00	30.49		2007
180	नार्गेवाड़ी	VIII	48.20	44.11	4.09	1.56	4.29		2004
181	नारंगी सारंगी	VIII	22.05	21.59	0.46	0.85	0.46		2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	नवरगांव	VIII	44.95	42.45	2.50	2.81	2.90	5.28	2006
183	पेन तकली	VIII	135.65	116.82	18.83	5.98	22.99	31.41	2007
184	प्रकाश बंधारा	VIII	124.30	39.69	84.61	0.00	103.31		2007
185	पूर्णा	VIII	143.46	89.71	53.75	2.00	65.63		2007
186	रेनापुर	VIII	68.00	65.35	2.65	2.25	2.92	7.36	2005
187	सकत	VIII	21.91	20.66	1.25	2.35	1.31		2004
188	सोनापुर तोनता	VIII	17.65	17.40	0.25	0.00	0.26		2004
189	सूतवाड़े वनधारा	VIII	131.48	47.20	84.28	0.00	102.91		2007
190	स्याकी	VIII	19.02	18.41	0.61	2.44	0.61		2003
191	तोरना	VIII	14.94	14.10	0.84	1.43	0.88		2004
192	ऊपरी मंजरा	VIII	57.27	54.90	2.37	2.50	2.49		2004
193	वीरचेक	VIII	28.89	13.10	15.79	0.00	19.28		2004
194	वाडी शिवादी	VIII	98.44	24.27	74.17	0.00	90.56		2007
195	वघोली बुटी	VIII	26.79	26.43	0.36	0.00	0.38		2004
196	वकोद	VIII	23.37	30.94	&	23.37	9.24		2007
197	आंध्र कोर	IX	51.35	41.35	10.00	0.00	11.60		2006
198	घपेवादा एलआईएस	IX	78.05	60.28	17.77	4.50	18.66		2007
199	घटप्रभा (फाटकवादी)	IX	34.92	23.90	11.02	3.99	12.16		2005
200	हरंगघाट इलआईएस	IX	44.10	36.07	8.03	0.00	9.80		2007
201	किरमिरी	IX	27.89	26.39	1.50	2.44	1.83		2007
202	पिपल गांव (थाले)	IX	42.78	41.11	1.67	0.50	1.75		2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	उत्तरमंद	IX	95.65	60.16	35.49	1.10	43.33		2007
204	यांग	IX	174.13	110.37	63.76	1.10	77.85		2007
205	जासीनगर	IX	14.43	9.25	5.18	0.00	6.32		2007
		उप जोड़ 12	5137.92	3564.23	1581.26				
मणिपुर									
206	सिंगदा	V	74.95	69.23	5.72	4.20	5.72		2002-03
207	दोलाईथावी*	VIII	69.41	43.51	25.90	-	25.90		2002-03
		उप जोड़ 13	144.36	112.74	31.62				
मेघालय									
208	रंगाई घाटी*	VIII	66.39	16.30	50.09	-	61.10		2006-07
209	जुजा	IX	147.14	12.41	134.73	-	164.00		2006-07
		उप जोड़ 14	213.53	28.71	184.82				
उड़ीसा									
210	बघलाती	VI	90.26	53.42	36.84	5.23	44.98		2006-07
211	तितलागढ़	VII	59.81	19.54	40.27	0.00	49.17		2006-07
212	रकुरा	IX	91.41	12.42	78.99	0.00	96.45		2006-07
213	रजुआ	IX	14.31	3.00	11.31	0.00	13.81		2006-07
		उप जोड़ 15	255.79	88.38	167.41				
पंजाब									
214	कलवारा के नीचे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराना*	IX	88.49	25.50	62.99	हिमाचल प्रदेश में लाभ	62.99		2003-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	हिथर परियोजना का निर्माण	IX	53.02	0.25	52.77	0.00	61.21		2005-06
		उप जोड़ 16	141.51	25.75	115.76				
राजस्थान									
216	पंचाना*	V	85.00	82.48	2.52	9.48	2.52		दसवीं योजना
217	छापी*	VI	78.00	73.39	4.61	7.00	4.80		दसवीं योजना
218	चौली*	VIII	45.00	44.92	0.08	6.24	0.08		दसवीं योजना
219	बेथाली	VIII	40.00	39.59	0.41	4.32	0.43		दसवीं योजना
		उप जोड़ 17	248.00	240.38	7.62				
तमिलनाडु									
220	इरूक्कनगुडी	VIII	37.36						2006-07
221	नंगनीजियार	VIII	72.00						2006-07
		उप जोड़ 18	109.36						
त्रिपुरा									
222	गुनती*	V	63.80	39.65	24.15	3.50	29.48		2006-07
223	खवाई*	VI	65.73	50.75	14.98	1.05	18.27		2006-07
224	मानु*	VI	48.68	37.52	11.16	0.60	13.62		2006-07
		उप जोड़ 19	178.21	127.92	50.29				
उत्तर प्रदेश									
225	पथराई बांध	VII	55.07	55.07	0.00	1.00	5.00		2003-04
		उप जोड़ 20	55.07	55.07	0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
226	हिंगलो	III	15.95	11.49	4.46	12.38	4.68		2003-04
227	बाराभूम	V	3.77	2.95	0.82	2.73	0.82		2002-03
228	साली जलाशय	V	2.48	2.17	0.31	0.59	0.31		2002-03
229	गोल्मरजोर	V	4.31	2.68	1.63	1.00	1.63		2002-03
230	रामचन्द्र पुर	VII	6.82	5.89	0.93	2.56	0.93		2002-03
231	साली ड्राइवर्जन	III	4.11	3.51	0.60	2.17	0.60		2002-03
232	माउंटजोर	V	2.09	1.06	1.03	1.08	1.03		2002-03
233	हनुमंत*	VII	9.02	6.49	2.53	2.78	2.53		2002-03
234	ततको*	V	13.85	8.05	5.80	2.01	6.09		2003-04
235	पटलोई*	V	9.50	8.18	1.32	1.80	1.32		2002-03
236	बेको	V	6.49	4.43	2.06	1.59	2.06		2002-03
237	लिपनजोर	V	3.80	2.71	1.09	1.59	1.09		2002-03
238	परगा	V	3.30	2.74	0.56	0.92	0.56		2002-03
239	करयौर	VII	3.69	3.01	0.68	0.51	0.68		2002-03
240	खैरवेड़ा	VII	3.87	3.18	0.69	0.37	0.69		2002-03
241	फतियारा	VII	18.74	12.00	6.74	8.56	7.43		2002-03
242	पानीचक पंप	VII	5.40	5.54	&	-	-		2004-05
	उप जोड़	21	117.19	86.08	31.25				
	कुल जोड़		12213.170	7413.710	4337.950				

*त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल एवं नवीनतम अनुमानित लागत में संशोधन की आवश्यकता है।

विवरण - II

वर्ष 1996–97 से 2002–03 तक एआईबीपी के तहत राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता							जारी की गई कुल के. ऋण सहायता
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	35.250	74.000	79.670	65.015	95.020	281.660	33.186	663.801
2	अरूणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	7.500	7.500	15.000	1.500	31.500
3	असम	5.230	12.400	13.950	14.540	24.077	14.521	16.274	100.992
4	बिहार	13.500	5.150	36.185	129.695	148.440	3.420	14.481	350.871
5	छत्तीसगढ़	0.000	4.500	9.500	10.520	13.930	48.200	104.000	190.650
6	गोवा	0.000	5.250	0.000	3.500	61.650	58.000	0.000	128.400
7	गुजरात	74.773	196.900	423.820	272.700	421.850	581.690	1000.330	2972.063
8	हरियाणा	32.500	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	62.500
9	हिमाचल प्रदेश	0.000	6.500	5.000	11.047	18.015	3.244	8.150	51.956
10	जम्मू–कश्मीर	1.300	0.000	0.000	4.680	10.460	11.070	34.999	62.509
11	झारखंड	0.000	8.890	11.640	14.345	9.050	10.820	9.670	64.415
12	कर्नाटक	61.250	90.500	94.500	157.140	171.000	492.500	620.850	1687.740
13	केरल	3.750	15.000	0.000	0.000	22.400	11.275	5.665	58.090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	मध्य प्रदेश	63.250	110.000	81.250	95.325	151.328	215.410	220.000	936.563
15	महाराष्ट्र	14.000	55.000	50.860	49.875	97.020	39.100	133.134	438.989
16	मणिपुर	4.300	26.000	10.780	21 810	1.500	9.360	19.500	93.250
17	मेघालय	0.000	0.000	0.000	2.694	5.512	4.470	1.500	14.176
18	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	1.433	1.433	2.000	0.750	5.616
19	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	2.730	5.000	5.000	2.659	15.389
20	उड़ीसा	48.450	85.000	71.500	90.250	100.320	168.475	179.570	743.565
21	पंजाब	67.500	100.000	0.000	42.000	55.620	113.690	36.660	415.470
22	राजस्थान	2.675	42.000	140.050	106.665	78.467	96.315	174.385	640.557
23	त्रिपुरा	3.773	5.100	3.975	34.653	13.883	21.063	13.395	95.842
24	तमिलनाडु	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
25	उत्तर प्रदेश	43.500	78.000	76.500	286.000	315.900	354.690	359.000	1513.590
26	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.163	25.163
27	पश्चिम बंगाल	5.000	20.000	10.000	25.000	26.825	38.608	28.133	153.566
28	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	1.360	0.000	2.400	0.750	4.510
	कुल	500.001	952.19	1119.18	1450.477	1856.2	2601.981	3061.703	11541.732

[अनुवाद]

नदियों का एक दूसरे से जोड़ा जाना

*3. **श्री पवन कुमार बंसल :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए गठित किए गए कृतिक बल ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उठाए गए मुद्दे, पहचानी गई कठिनाईयां क्या हैं और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित वास्तविक कार्य को कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने श्री सुरेश पी. प्रभु, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2002 को नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक कार्य बल का गठन किया है। इस कार्यबल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :–

(i) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक–आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों और पुनर्स्थापना योजनाओं को तैयार करने के संबंध में प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के मानकों के संबंध में मार्गदर्शन देना;

(ii) राज्यों के बीच तेजी से सर्वसम्मति लाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करना;

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना घटकों की प्राथमिकता तय करना;

(iv) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव करना;

(v) परियोजना के वित्तपोषण के लिए विभिन्न तौर–तरीकों पर विचार करना; और

(vi) उन अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करना जिन्हें कुछ परियोजना घटकों में शामिल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त इस कार्यबल को व्यवहार्यता अध्ययनों को पूरा करने के लिए समय–सीमा, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, अनुमानित लागत, क्रियान्वयन कार्यक्रम, परियोजना के ठोस लाभों आदि की रूपरेखा देते हुए 30.4.03 तक कार्य योजना–I प्रस्तुत करनी थी। परियोजना पर विचार–विमर्श करने तथा कार्य बल द्वारा उनसे सहयोग लेने के लिए मई–जून, 2003 के दौरान मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई थी।

इस कार्यबल ने जून, 2003 तक चार बैठकें की हैं। कार्यबल ने 30 अप्रैल, 2003 को कार्य योजना–I प्रस्तुत कर दी है। कार्यबल के अध्यक्ष की असम, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ अब तक कई बैठकें हो चुकी है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 30 अभिज्ञात संपर्क परियोजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ किए हैं जिनमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 और प्रायद्वीपीय घटक के अतर्गत 16 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 7 संपर्क परियोजनाओं और हिमालयी घटक के अंतर्गत 1 संपर्क परियोजना के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही पूरी कर ली गई हैं। व्यवहार्यता अध्ययनों का उद्देश्य प्रत्यक्षतः क्षेत्र सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के माध्यम से वास्तविक रूप में संपर्क प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित करना है।

(ङ) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी वास्तविक कार्य को प्रारंभ करना और उसे पूरा करना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी करने, सभी संबंधित राज्यों के साथ–साथ पडोसी देशों, विशेषकर नेपाल और भूटान से सहयोग एवं निधियों की उपलब्धता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सूखे की स्थिति

*4. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :**

श्री अनादि साहू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निकट भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) सूखा प्रकृति की जटिल घटना है जो न केवल वर्षा न होने अथवा वर्षा कम होने के कारण अपितु स्थानीय पर्यावरण के अवक्रमण, सिंचाई के लिए जल के अनुचित उपयोग और अनुपयुक्त फसल प्रतिमान आदि के कारण घटित होती है। सूखे के विभिन्न कारणों और प्रकारों को देखते हुए इस प्रयोजन हेतु कोई एक स्कीम तैयार करना असंभावित है।

फिलहाल ऐसी कई पहलें और स्कीमें हैं जिनमें सूखे के विभिन्न आयामों का समाधान प्रस्तावित है।

(i) प्लान स्कीमों के अन्तर्गत निवेशों के माध्यम से सिंचाई के अंतर्गत व्यापक क्षेत्र विस्तार ताकि कुल कृष्ट भूमि का लगभग 40% क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सके।

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भू–संसाधन विभाग की स्कीमों अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 100 लाख है. से अधिक क्षेत्र का सुधार।

(iii) उत्पादकता बढ़ाने और मृदा संरक्षण के लिए जल के इष्टतम उपयोग हेतु वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना और नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में पनधारा विकास तथा साथ ही पर्यावरण मंत्रालय की समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना जैसी स्कीमें।

(iv) सूखा प्रतिरोधी जल्द पकने वाली फसलों की विभिन्न किस्में शुरू करने के साथ–साथ खासकर अति संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक जल से होने वाली फसल के स्थान पर कम जल से होने वाली फसलों को बढ़ावा देना।

(v) अंतः बेसिन स्थानांतरण हेतु नदियों को जोड़ने की योजना इत्यादि।

अपरिहार्य सूखे से निपटने के अलावा, विभिन्न राज्यों के लिए आपदा राहत कोष, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष तथा आकस्मिक फसल योजना आदि जैसी स्थायी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

मोरों की हत्या

*5. **श्री सीताराम सिंह रवि :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्षों से ग्रेटर नोएडा के गांवों में जहरीले पक्षी भोजन का प्रयोग करके सैंकड़ों मोरों का अवैध शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक देश में इस प्रकार मारे गए मोरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिरासत में लिए गए अवैध शिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी को अवैध शिकारियों से बचाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) ग्रेटर नोएडा में मोरों की हत्या के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के वन और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि जहरीले गेहूं के दाने खाने के बाद 1 जुलाई, 2003 को पांच मोरों की मौत हुई। एक अभियुक्त, श्री सुरेश सुपुत्र श्री कल्लु पटेल, निवासी गढ़ीकरियाह, जिला–पन्ना, मध्य प्रदेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 9 और 51 के अंतर्गत इस अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

(घ) और (ङ) निवास स्थलों सहित वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर मोर पाए जाते हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर पक्षियों की हत्या से संबंधित देश–व्यापी सूचना का संकलन और मिलान नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त अवैध शिकार और गिरफ्तारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) राष्ट्रीय पक्षी को अवैध शिकार से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं:–

(i) मोर को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में शामिल किया गया है जिससे इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मोर के शिकार पर प्रतिबंध है।

(ii) सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रकृतिक निवास स्थलों में रहने वाले पक्षियों तथा मोरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बाहर सामुदायिक एवं संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में प्रावधान किए गए हैं।

(iii) मोरों के अवैध शिकार और इसके अंगों तथा उत्पादों के अवैध व्यापार की शास्ति को न्यूनतम एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष और अधिकतम छः वर्ष से सात वर्ष कर दिया गया है। आदतन अपराधियों की सम्पति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

(iv) आयात–निर्यात नीति 2002–2007 के अंतर्गत मोर की पूंछ के पंखों का निर्यात करना निषिद्ध है।

(v) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों संबंधी अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(vi) अपनी फसलों को कीटनाशकों तथा बीमारियों से बचाने हेतु आर्गेनिक फार्मिंग प्रविधियां अंगीकार करने और जैव–कीटनाशकों का उपयोग करने के संबंध किसानों में जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

विवरण

वर्ष 2000 से 2002 तक मारे गए मोरों की संख्या तथा गिरफ्तार किए गए अवैध शिकारियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	मारे गए मोरों की संख्या	गिरफ्तार किए गए अवैध शिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	2000	84	40
		2001	6	6
		2002	–	–
		कुल	90	46
2.	राजस्थान	2000	–	–
		2001	64	–
		2002	2	–
		कुल	66	–
3.	तमिलनाडु	2000	–	–
		2001	3	7
		2002	–	–
		कुल	3	7
4.	उत्तर प्रदेश**	2000	–	–
		2001	3	–
		2002	2	–
		कुल	5	10

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	2000	–	–
		2001	5	8
		2002	10	1
		कुल	15	9
6.	महाराष्ट्र*	2000	4	–
		2001	–	–
		2002	–	–
		कुल	4	–
7.	हरियाणा	2000	17	–
		2001	–	–
		2002	–	–
		कुल	17	–
		कुल योग	200	72

* वित्तीय वर्ष वार

#अंदमान एवं निकोबार, पश्चिम बंगाल, केरल, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने शून्य मौतें घोषित की हैं।

** उत्तर प्रदेश ने 2001 तथा 2003 (15.7.2003 तक) में 10 गिरफ्तारियों की सूचना दी है।

[हिन्दी]

पुरावशेषों की चोरी

***6. श्री राधा मोहन सिंह :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य स्थानों से पुरावशेषों की चोरी/तस्करी के कई मामले हाल ही में प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने धार्मिक मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों की चोरी/तस्करी पर रोक लगाने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से एक पिस्तौल के चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) ने संरक्षित स्मारकों/स्थलों से हाल ही में 4 वस्तुओं की चोरी की सूचना दी है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण –। में दिया गया है। इन सभी मामलों में जांच के लिए पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफ आई आर) दर्ज करा दी गई है। हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने भी पुरावशेषों की चोरी/तस्करी से संबंधित दो मामले दर्ज किए हैं। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है। इनके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने–अपने राज्यों में चोरी/तस्करी के मामलों में कार्रवाई करती है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा संचालित संग्रहालयों तथा स्मारकों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तथा सुरक्षा उपस्कर लगाकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सरकार ने पुरावशेषों तथा कलाकृतियों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से "पुरावशेष एवं कला संग्रह अधिनियम 1972" पारित किया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, पुरावशेषों का निर्यात निषिद्ध है। इस

अधिनियम का उल्लंघन करके किसी भी तरह का निर्यात एक ऐसा अपराध है जिसके लिए 'इन्टरपोल' की सहायता ली जा सकती है। केवल केन्द्र सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या एजेंसी ही अस्थायी रूप से किसी पुरावशेष या कला संग्रह का निर्यात कर सकती है और इस प्रकार का निर्यात महानिदेशक, ए एस आई द्वारा इस प्रयोजनार्थ जारी किसी "अस्थायी निर्यात अनुज्ञा-पत्र" की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघ के "सांस्कृतिक सम्पदा के अवैध निर्यात, आयात और स्वामित्व हस्तांतरण निषेध एवं निवारण उपायों पर समझौता" के तहत किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक सम्पदा की तस्करी की वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए यूनेस्को की सहायता ली जा सकती है। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं में से है।

विवरण-।

क्रम सं.	वस्तुओं का वितरण	स्मारकों और स्थलों का नाम	चोरी की तारीख	स्थिति
1.	पत्थर की तीन प्रतिमाएं	कदम्बरकोइल नार्थमलै, जिला-पुदुक्कोटई, तमिलनाडु	27.10.2003	एफ आई आर दर्ज की गई। जांच चल रही है।
2.	पत्थर की प्रतिमा	अकोना मंदिर, जिला-महोबा उत्तर प्रदेश	02.02.2003	एफ आई आर दर्ज की गई। जांच चल रही है।
3.	(i) स्त्री का सिर	प्रतिमा शेड ग्यारसपुर, जिला-विदिशा, उत्तर प्रदेश	02.03.2003	एफ आई आर दर्ज की गई। जांच चल रही है।
	(ii) जैन तीर्थकर महावीर की प्रतिमा			
4.	नदी की छोटे पत्थरों की प्रतिमा	श्री कपोतेश्वर स्वामी मंदिर गुंटूर-जिला, आंध्र प्रदेश	11/12.03.03	एफ आई आर दर्ज की गई। जांच चल रही है।

विवरण-।।

क्र. सं.	वस्तुओं एवं अपराध का विवरण	स्थान	मामले के पंजीकरण की तारीख	स्थिति
1.	टेराकोटा के 12 पैनलों, दो प्रस्तर प्रतिमाओं एवं टेराकोटा के दो घड़ों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड निर्यात करने का प्रयास	नई दिल्ली	30.01.2003	आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मामलों की सक्रियता से जांच की जा रही है।
2.	10वीं एवं 14वीं शताब्दी की 12 प्रस्तर प्रतिमाओं को महिपालपुर, दिल्ली में एक गोदाम में रखना	नई दिल्ली	30.01.2003	आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मामलों की सक्रियता से जांच की जा रही है।

बी.टी. कपास की फसल

*7. **श्री सुरेश रामराव जाधवः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बी.टी. कपास की फसल के परिणाम के बारे में कपास उत्पादक छह राज्यों से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वदेशी कपास की किस्म की तुलना में इस फसल को कम कीटनाशकों की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 'बुल वार्म' के परिणामस्वरूप छह राज्यों में बी.टी. कपास की फसल को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण–। पर है।

(ग) जी, हां।

(घ) बी.टी. कपास हेतु कृमिनाशियों की जरूरत 2 से 6 छिड़कावों तक कम हो गयी।

(ङ) विवरण – ।। संलग्न हैं।

(च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने बी.टी. कपास के निष्पादन को संतोषजनक पाया है।

विवरण-।

राज्यों सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छह राज्यों में बी.टी. कपास फसलों के निष्पादन का ब्यौरा

आंध्र प्रदेश :

– वर्ष के दौरान बॉलवार्म की घटना कम थी, अतः बी.टी. कपास को हुए लाभ का ठीक–ठीक आकलन नहीं किया जा सका।

कर्नाटक :

– अन्य संकर किस्मों की तुलना में बी.टी. कपास में बॉलवार्म की घटना कम हैं। बी.टी. कपास के प्रयोग को कम से कम और दो वर्षों के लिए जारी रहने चाहिए ताकि इसके निष्पादन का आकलन किया जा सके।

तमिलनाडु :

– बी.टी. कपास में चूसक कृमि की घटना नुकसान की सीमा से नीचे थी।

– बॉलवार्म के लिए कीटनाशकों के छिड़काव को कम किया गया है।

– बी.टी. कपास में डोडों की संख्या, डोडा का वजन और फाहा का वजन अधिक है।

कोई फैसला लेने से पहले बी.टी. कपास के निष्पादन पर और दो वर्षों के लिए नजर रखी जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश :

– भारी और काली मृदा के लिए बेहतर।

– हल्की मृदा के लिए अनुपयुक्त।

– बॉलवार्म प्रतिरोधी।

– बी.टी. कपास के लिए अच्छी नाली सहित भारी मृदा।

महाराष्ट्र :

– गैर बी.टी. प्रतिरूप की तुलना में बी.टी. में प्रतिशत उपज वृद्धि 16–60% के बीच है।

– गैर बी.टी. प्रतिरूप की तुलना में बी.टी. का निष्पादन बेहतर है किंतु अन्य लोकप्रिय गैर बी.टी. संकर किस्मों की तुलना में उसका निष्पादन बेहतर नहीं है।

– अन्य लोकप्रिय संकर किस्मों की तुलना में बी.टी. कपास संकर किस्मों के रेशे की लंबाई कम है।

– अन्य लोकप्रिय किस्मों की तुलना में भारी वर्षा के तहत बी.टी. कपास संकर किस्में मुरझाने के प्रति अति संवेदनशील है।

गुजरात :

– किसान जिन्होंने संकर कपास बी.टी. मैक–184 की खेती की, उन्होंने खरीफ 2002 के दौरान फसल में मुरझाने की शिकायत की।

– बी.टी. मैक–162 को बॉलवार्म के खतरों के प्रति संवेदनशील पाया गया।

– बी.टी. मैक–12 को चूसक कृमियों के प्रति संवेदनशील पाया गया।

विवरण-।।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बॉलवार्म के कारण बी.टी. कपास की फसल को हुई हानि की मात्रा संबंधी ब्यौरा

आंध्र प्रदेश :

– वर्ष के दौरान बॉलवार्म की घटना कम थी अतः बी.टी. कपास को हुए लाभ का ठीक–ठाक आकलन नहीं किया जा सका।

कर्नाटक :

– अन्य संकर किस्मों की तुलना में बी.टी. कपास में बॉलवार्म की घटना कम है।

तमिलनाडु :

– बॉलवार्म की घटना कम है।

मध्य प्रदेश :

– बॉलवार्म की घटना कम है।

महाराष्ट्र :

– बी.टी. कपास के बॉलवार्म का संक्रमण 5–7% के बीच और गैर बी.टी. कपास में 7–12% के बीच।

गुजरात :

– बॉलवार्म के जोखिम के लिए बी.टी. मैक–162 का अति संवेदनशील होना पाया गया।

[अनुवाद]

मोनसांटो द्वारा पेटेंट की चोरी

*8. **श्री महबूब जाहेदी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बीज संगठन, मोनसांटो ने म्यूनिख स्थित यूरोपीय पेटेंट कार्यालय से भारत में विकसित किए गए उन्नत गुणवत्ता वाले गेहूं के पेटेंट को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोनसांटो द्वारा पेटेंट की इस चोरी के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार किया है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स प्लॉट ब्रीडिंग इंटरनेशनल, जो एक यूनीलिवर कम्पनी है जिसका 1998 में मोनसांटों द्वारा अधिग्रहण किया गया है, ने यूरोप में उपयोग के लिए अभिकल्पित गेहूं की नई किस्म का पेटेंट प्राप्त किया है। इस किस्म में भारत के गेहूं के नैप हाल लैंड रेस के कुछ लक्षण शामिल हैं। नैप हाल लैंड रेस यूरोपीय पेटेंट में शामिल नहीं है और यह भारतीय किसानों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा।

ताज हेरिटेज कोरिडोर परियोजना

*9. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल के ठीक पीछे यमुना नदी के तट पर ताज हेरिटेज कोरिडोर परियोजना का निर्माण आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्री ने हाल में उक्त स्थल के दौरे के दौरान पाया कि यह परियोजना पर्यावरण संबंधी कानूनों और पुरातत्व स्थलों के संरक्षण और अवशेष अधिनियम के उल्लंघन में कार्यरत थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को परियोजना को बंद करने और संबंधित नुकसान को भरने का निर्देश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (छ) उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ताज हैरिटेज कोरीडोर परियोजना के संबंध में कोई स्वीकृति लिए बिना यमुना नदी में सुधार कार्य शुरू किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जुलाई, 2003 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी.आई.) को पूरे मामले की जांच करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर माननीय न्यायालय में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तथा सी.बी.आई. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए दो महीने का समय दिया गया है जिसके पश्चात उचित आदेश पारित किए जाएंगे। अतः मामला न्यायाधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

*10. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड ने विभिन्न कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी भविष्य निधि से हजारों रूपये का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि का निवेश किस ब्याज दर पर किया है;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड ने अब विभिन्न कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इस धन को वापस करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का इस बारे में क्या प्रत्युत्तर रहा है;

(च) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आई. एफ. सी. आई. में बड़े पैमाने पर निवेश किया है जिसके द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, हां। दिनांक 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आई.एफ.सी.आई. में कुल 1048.80 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

(ज) आई.एफ.सी.आई. ने अपने ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड से संपर्क किया था। कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने 27 जून, 2003 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में निर्णय लिया था कि आई.एफ.सी.आई. को 31.3.2003 तक पुराने ब्याज और बाद में 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज के साथ संविदागत दरों पर अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा जाए। कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि मौजूदा निवेश को अगले दस वर्षों की अवधि के लिए आगे बढा दिया जाए।

विवरण

31.03.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों/कंपनियों में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

क्रम सं.	दर %	विवरण	कर्मचारी भविष्य निधि	कर्मचारी पेंशन निधि	कर्मचारी सहबद्ध बीमा निधि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	7.1	एन एच ए आई बॉड्स (30.11.07)	65,00,00,000.00	78,00,00,000.00	10,00,00,000.00	153,00,00,000.00
2	7.1	एन एच ए आई ऑप्ट (31.12.07)	45,00,00,000.00	155,00,00,000.00	00,000.00	200,00,00,000.00
3	7.15	ओ बी सी बॉड्स 2008	45,63,50,000.00	123,00,00,000.00	5,00,00,000.00	173,63,50,000.00
4	7.25	बैंक ऑफ इंडिया बॉड्स 2010	81,00,00,000.00	154,60,00,000.00	12,56,00,000.00	248,16,00,000.00
5	7.25	केनरा बैंक 2012 एस आर आई वी ए	106,00,00,000.00	134,00,00,000.00	10,00,00,000.00	250,00,00,000.00
6	7.5	पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन 2009	72,79,00,000.00	85,64,00,000.00	2,80,00,000.00	161,23,00,000.00
7	7.6	एन एच ए आई बॉड्स 2007 ऑप्ट–III	00,000.00	225,00,00,000.00	00,000.00	225,00,00,000.00

1	2	3	4	5	6	7
8	8.15	एन एच ए आई बॉड्स 2007 ऑप्ट–III	68,00,00,000.00	172,25,00,000.00	6,45,00,000.00	246,70,00,000.00
9	8.85	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	22,00,00,000.00	155,00,00,000.00	00,000.00	177,00,00,000.00
10	9	आई डी एफ सी 2006	37,00,00,000.00	103,00,00,000.00	00,000.00	140,00,00,000.00
11	9.55	एनएचपीसी 2007	55,11,00,000.00	107,27,00,000.00	4,08,00,000.00	166,46,00,000.00
12	9.9	आर ई सी 2008 टी एक्स एन पी 57 एस आर	25,60,00,000.00	104,43,00,000.00	3,65,00,000.00	133,68,00,000.00
13	10	आई ई सी 2008 टी एक्स एन पी 56 एस आर	37,16,00,000.00	93,02,00,000.00	5,92,00,000.00	136,10,00,000.00
14	10.65	आई ओ सी 2003 IV	64,00,00,000.00	69,50,00,000.00	1,00,00,000.00	134,50,00,000.00
15	10.8	एस बी आई 2005	109,29,00,000.00	259,59,00,000.00	6,89,00,000.00	375,77,00,000.00
16	10.8	आई डी एफ सी 2006	64,87,00,000.00	71,36,00,000.00	2,55,00,000.00	138,78,00,000.00
17	10.85	बैंक ऑफ बड़ौदा 2006 एस आर III ओ पी 63	23,06,00,000.00	112,45,00,000.00	4,70,00,000.00	140,21,00,000.00
18	10.85	आई ओ सी 2007 III	164,60,00,000.00	319,10,00,000.00	8,40,00,000.00	492,10,00,000.00
19	10.9	आई आर एफ सी आई 2007 20 एस आर	76,50,00,000.00	116,85,00,000.00	1,60,00,000.00	194,95,00,000.00
20	11.3	पॉवर फाइनेंस कंपनी 2008	63,57,00,000.00	165,07,00,000.00	1,39,00,000.00	230,03,00,000.00
21	11.55	एस बी आई 2006	160,09,50,000.00	242,28,50.000.00	4,95,00,000.00	407,33,00,000.00
22	11.89	पॉवर फाइनेंस कंपनी 2007 VII	111,80,00,000.00	242,12,00,000.00	8,71,00,000.00	362,63,00,000.00
23	11.89	पॉवर फाइनेंस कंपनी 2007	84,41,00,000.00	86,80,00,000.00	5,57,00,000.00	176,78.00,000.00
24	12.5	आई डी बी आई 2004 ओमनी।	128,50,00,000.00	304,00,00,000.00	6,30,00,000.00	438,80,00,000.00
25	13.25	आई सी आई सी आई 2004 डी/97	10,00,00,000.00	175,00,00,000.00	6,00,00,000.00	191,00,00,000.00
26	13.25	आई डी बी आई 2004 आमेनी।	00,000.00	200,00,00,000.00	00,000.00	200,00,00,000.00
27	13.95	पीएनबी 2005 III-1999	56,90,00,000.00	87,25,00,000.00	5,75,00,000.00	149,90,00,000.00

1	2	3	4	5	6	7
28	14	आई डी बी आई 2004 ओमनी 98 डी	113,01,00,000.00	189,50,00,000.00	6,50,00,000.00	309,01,00,000.00
29	14	आई डी बी आई 2004 ओमनी 98 ई	64,00,00,000.00	190,00,00,000.00	3,50,00,000.00	257,50,00,000.00
30	14	आई डी बी आई 2004 ओमनी 98 एफ	140,10,50,000.00	162,00,00,000.00	4,00,00,000.00	306,10,50,000.00
31	14	आई डी बी आई 2006 ओमनी।	67,83,90,000.00	68,00,00,000.00	00,000.00	135,83,90,00,000.00
		अन्य	34,38,28,95,000.00	6180,06,00,000.00	190,43,00,000.00	9808,77,95,000.00
		कुल	56,01,13,35,000.00	10931,14,50,000.00	328,70,00,000.00	16860,97,85,000.00

वर्षा जल संचयन

*11. **श्री अनन्त नायक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में वर्षा जल संचयन हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण उपयुक्त पुनर्भरण तकनीकों को अपनाने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराने के अतिरिक्त जन जागरुकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके शहरों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रहा है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने अपने द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, संस्थानों, विद्यालयों, होटलो, औद्योगिक स्थापनाओं और फार्म हाउसेस को छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली अपनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को भी छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने की सलाह दी है। तदनुसार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के भूखंडों पर बने सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित जल अपवाह के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य बनाते हुए भवन उप–नियमावली, 1983 में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने भी विनिर्दिष्ट श्रेणी के भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए नगर भवन उप–नियमों के लिए संशोधन जारी किए हैं। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में 31.03.2003 तक 135 जन जागरूकता कार्यक्रमों और 69 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का शहरों सहित देश में 51 जन जागरूकता कार्यक्रमों और 51 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का कार्यक्रम है।

गन्ना उत्पादकों को राहत

*12. **श्री प्रबोध पण्डा :**

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2003 में नई दिल्ली में गन्ना किसानों के बकायों के लिए राहत पैकेज के मुद्दे का समाधान करने हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गन्ना किसानों के बकायों को निपटाने में अब तक क्या प्रगति हुई;

(घ) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों की समस्याओं को निपटाने हेतु एक समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या समिति ने किसानों को भुगतान किए जाने के मुद्दे के समाधान हेतु गन्ना मिल मालिकों से बातचीत की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (छ) बजट अभिभाषण, 2003–2004 में अन्य बातों के साथ–साथ यह बताया गया था कि खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चीनी की समस्याओं का समाधान करेंगे और इस उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम प्रस्तावित करेंगे। तदनुसार, इस प्रयोजनार्थ एक अन्तर्मंत्रालयी दल का गठन किया गया है।

इसके बाद जून, 2003 में हुई बैठक में गन्ना उत्पादकों को गन्ने के भुगतान के बारे में आगे और विचार–विमर्श किया गया और सब इस बात पर सहमत थे कि अन्तर्मंत्रालयी दल द्वारा इस बारे में उपाय सुझाए जाएंगे।

चीनी मौसम 2002–03 के दौरान गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2002–2003				नियम के अनुसार स्थिति
		देय गन्ना मूल्य	प्रदत्त गन्ना मूल्य	बकाया	देय शेष मूल्य का %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	4114.40	2509.99	1604.41	38.99	02.05.03
2.	पंजाब	580.99	352.78	228.21	39.28	30.4.03
3.	गुजरात	644.26	554.13	90.13	13.99	30.4.03
4.	कर्नाटक	1063.12	699.80	363.32	34.17	30.4.03
5.	उत्तरांचल*	14.14	10.58	3.56	25.17	30.4.03
6.	बिहार	308.39	225.54	82.85	26.86	15.5.03
7.	तमिलनाडु	878.13	573.37	304.76	34.71	30.4.03
8.	हरियाणा	267.56	138.78	128.78	48.13	30.4.03
9.	आंध्र प्रदेश	964.06	707.84	256.22	26.58	30.4.03
10.	महाराष्ट्र	2107.68	1969.99	137.69	6.53	30.4.03
11.	उड़ीसा	25.37	23.41	1.96	7.71	30.4.03
12.	मध्य प्रदेश	61.40	57.58	3.82	6.22	30.4.03
13.	पांडिचेरी	22.33	13.97	8.36	37.44	30.4.03

1	2	3	4	5	6	7
14.	पश्चिम बंगाल	2.49	0.00	2.49	100.00	30.4.03
15.	गोवा	6.49	6.49	0.00	0.00	30.4.03
16.	केरल	1.77	0.00	1.77	100.00	30.4.03
	कुल	11062.58	7844.25	3218.33	29.09	

कृत्रिम रूप से भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु मास्टर प्लान

*13. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा तैयार की गई "कृत्रिम रूप से भू–जल स्तर बढ़ाने हेतु मास्टर प्लान" की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से विचार–विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके वित्त पोषण और क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से अधिशेष मानसूनी अपवाह की 36453 मिलियन घनमीटर मात्रा के पुनर्भरण की योजना है। इस रिपोर्ट में देश के विभिन्न भागों में इन पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहार्यता के बारे में विस्तृत फ्रेमवर्क की रूपरेखा दी गई है। यह मास्टर योजना एक संकल्पनात्मक दस्तावेज है जिसके लिए राज्यों से परामर्श नहीं किया गया था, अतः इसके वित्तपोषण और कार्यान्वयन के ब्यौरों का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दसवीं योजना के अनुमोदन के लिए 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

*14. **श्री के. येरननायडू :**

श्री मोहन रावले :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गंगा और यमुना जैसी कुछ महत्वपूर्ण नदियों के प्रदूषण को कम करने के कार्य में संसाधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का वर्ष 2007 तक सभी प्रमुख नदियों की सफाई के लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का भी निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नदी प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दसवीं योजना के अनुमानों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने प्रदूषण भार मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 18 राज्यों में 31 नदियों के प्रदूषित भागों में स्थित 157 शहरों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण निवारण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 4064 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनुमोदित की है।

(ग) और (घ) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार केवल गंगा और यमुना नदियों के आसपास के महत्वपूर्ण शहरों में शेष प्रदूषण भार से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। वर्ष 2007 में समाप्त होने वाली दसवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

(ङ) और (च) जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन यमुना कार्य योजना चरण–।। के लिए 624 करोड़ रुपये का उदार शर्तों पर ऋण देने पर सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त नीदरलैण्ड सरकार कानपुर में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए 105 करोड़ रुपये दे रही है। बाह्य सहायता योजना परिव्यय का हिस्सा है।

(छ) और (ज) योजना आयोग दसवीं योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के वर्तमान 1417 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को 1825 करोड़ रुपये करने की पुनरीक्षा करने पर सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत संयंत्र

*15. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित इस्पात संयंत्रों की क्षमता का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ इस्पात संयंत्रों ने आधुनिकीकरण के बावजूद असंतोषजनक परिणाम दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर कार्य–निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप अब तक क्या सफलता प्राप्त की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता का पता लगाने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रकार की क्षमताओं की जानकारी संयंत्रों की स्थापना अथवा बाद में उनके विस्तार/आधुनिकीकरण के समय तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के माध्यम से पहले ही होती है।

(ख) और (ग) आधुनिकीकरण के पश्चात सेल के संयंत्रों के वास्तविक निष्पादन में सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अपने इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

* गहन लागत नियंत्रण अभियान जिसमें उत्पादन में सुधार, कोककर कोयले और अन्य कच्चे माल की खपत में कमी, विद्युत और ईंधन की खपत में कमी, भण्डार एवं हिस्से–पुर्जों की खपत में कमी, अन्य प्रौद्योगिक–आर्थिक प्राचलों में सुधार आदि की परिकल्पना की गई है।
* स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन।
* बाजारोन्मुखी उत्पाद–मिश्र, बिक्री तंत्र बढ़ाना और ग्राहक संतुष्टि पर और अधिक ध्यान देना आदि।
* ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता में सुधार और सांविधिक अपेक्षाओं जैसे सुरक्षा, पर्यावरण आदि से संबंधित योजनाएं।

(च) बाजार परिस्थितियों में सुधार होने के साथ–साथ उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप सेल के इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। सेल ने 2002–03 में विक्रेय इस्पात का 10.35 एम टी का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन किया और 2001–2002 में 1707 करोड़ रुपए की हानि 2002–2003 में कम करके 304 करोड़ रुपए कर ली है। आर आई एन एल ने 3.06 एम टी विक्रय इस्पात का उत्पादन किया और अपनी स्थापना के बाद इसने पहली बार 450 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

[अनुवाद]

गरीबी में रहने वाले कलाकार

*16. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाने-माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आजकल दयनीय स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी में रहने के लिए बाध्य उन विख्यात कलाकारों की गणना कराने हेतु कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों का जीवन स्तर सुधारने और उनको सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) इस बारे में मीडिया में रिपोर्टें छपी हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, सरकार अनेक स्कीमों जैसे संगीत नाटक अकादमी की पेंशन स्कीम तथा पुरस्कार तथा शिक्षावृत्ति के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार विजेता तथा छात्र चिकित्सा बीमा योजना के तहत भी आते हैं जिसके अंतर्गत वे अस्पताल में इलाज पर होने वाले के लिए 1 लाख रु. तक की मांग कर सकते हैं।

इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पेंशन स्कीम और संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार तथा शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों के तहत गरीबी में रह रहे कलाकारों को प्रदान की जाने वाली सहायता के ब्यौरे

क. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और शिक्षावृत्तियां।

संगीत नाटक अकादमी अपनी विभिन्न स्कीमों नामतः संगीत नाटक अकादमी के छात्रों तथा पुरस्कार विजेताओं को वित्तीय सहायता, इसके छात्रों और पुरस्कार विजेताओं के लिए मेडि-क्लेम बीमा पॉलिसी तथा अन्य प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से प्रख्यात कलाकारों को विविध वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अकादमी अध्यक्ष की विवेकाधीन अनुदान निधि से चिकित्सा उपचार आदि हेतु समय-समय पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक महान संगीतज्ञ हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1956 में अकादमी पुरस्कार तथा 1994 में अकादमी शिक्षावृत्ति से सम्मानित किया गया है। कलाकारों को पुरस्कार और शिक्षावृत्ति देने की अपनी स्कीम के माध्यम से यह अकादमी 40,000/-रु. की नकद राशि देती है। यद्यपि एक समय में अधिकतम 30 जीवित कलाकारों को शिक्षावृत्ति दी जाती है लेकिन पुरस्कारों की संख्या 25 है।

संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद ने 25 मार्च, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि संगीत नाटक अकादमी का छात्र चुने जाने पर प्रत्येक अकादमी रत्न (अकादमी छात्र) को 40,000/-रु. की नकद राशि देने के बजाय उसे आजीवन 10,000/-रु. दी जाती है। लेकिन प्रतिमाह का मानदेय दिया जाए जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि होगी। सामान्यतः परिषद की सिफारिशों को उपलब्ध संसाधनों की जांच और व्यापक प्रभाव विश्लेषण के पश्चात ही लागू किया जा सकता है।

अकादमी ने अपने सभी पुरस्कार विजेताओं तथा छात्रों के लिए मेडि-क्लेम पालिसी की एक योजना भी शुरू की है। इस योजना को मेसर्स ओरिएंटल इन्सयोरेंस कम्पनी, नई दिल्ली के माध्यम से प्रचालित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत आने वाले पुरस्कार विजेता तथा छात्र किसी अस्पताल में कराए गए इलाज के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 100,000/-रु. तक के व्यय का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, स्कीम के लाभार्थी चिकित्सा इलाज कराने पर उनके द्वारा किए गए व्यय के लिए सीधे बीमा कम्पनी से प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

ख. साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विशिष्टताप्राप्त व्यक्तियों, जो विपन्न परिस्थितियों में रह रहे हैं तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के तहत ऐसे कलाकारों को प्रतिमाह 2000/-रु. की मासिक पेंशन दी जाती है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है और 58 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की आवश्यक पूर्वापेक्षा यह है कि आवेदक की निजी आय

(पत्नी/पति की आय सहित) प्रतिमाह 2000/–रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस स्कीम के तहत गत वित्त वर्ष के दौरान लगभग 800 कलाकारों को लगभग 2 करोड़ रु. दिए गए हैं। इस वित्त वर्ष में ऐसे कलाकारों की संख्या बढ़कर लगभग 900 होने की आशा है।

घरेलू विमान वाहकों द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

*17. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**

श्रीमती कांति सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंततः निजी घरेलू विमान वाहकों को **ग्राउंड हैंडलिंग** सेवाओं के संचालन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी एयरलाइंसों को ऐसी अनुमति दी गई है;

(घ) क्या एयरलाइंसों को विमानपत्तन उन्नयन योजनाओं में भागीदारी की भी अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नए प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या द्विपक्षीय विमानन अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए विदेशी एयरलाइंसों को ऐसी गतिविधियों से वंचित कर दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) मौजूदा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रवेश) विनियम, 2000 जो इस समय लागू है के अनुसार, सभी प्राइवेट एयरलाइनों को स्वयं हैंडलिंग आधार पर अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं संचालित करने की अनुमति है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पोटाश का आयात

*18. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ. सी. ओ.) के अंतर्गत रूस, जार्डन, जर्मनी, कनाडा, इजराइल आदि से भारत पोटाश लिमिटेड (आई.पी.एल.) द्वारा प्रति वर्ष आयात किए गए पोटाश के आकार और गुणवत्ता की जांच करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयात किए गए पोटाश का आकार और गुणवत्ता का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयातित पोटाश के आकार और गुणवत्ता के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्धारित मानदंड से आकार में 30% से 40% कम होने के बावजूद किसानों द्वारा उपयोग के लिए गत वर्ष रूस से आयातित पोटाश को बाजार में जारी किया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई.पी.एल.) ने वर्ष 2000–01 के दौरान म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) के 41 पोतों; वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 प्रत्येक के दौरान 42 पोतों का आयात किया था। इन पोतों में आयातित सभी एम.ओ.पी. उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफ.सी.ओ.) के विनिर्देशनों के अनुसार मानक स्तर के थे। विभिन्न देशों से आयातित एम.ओ.पी. का औसत कण आकार, 79.77% से 94.34% की रेंज में था जबकि 1.70 एम.एम. और 0.25 एम.एम. के बीच यह न्यूनतम 65% निर्धारित था। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित एम. ओ.पी. का देश–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में एम.ओ. पी. के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित हैं:–

	प्रतिमान	एम.ओ.पी	एम.ओ.पी. (ग्रेन्यूलर)
(i)	भारत के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	0.5	0.5
(ii)	भार के अनुसार जल विलेय पोटाश की मात्रा का प्रतिशत (के 2 ओ. के रूप में), न्यूनतम	60.00	60.00
(iii)	भार के अनुसार एनए सीएल के रूप में सोडियम का प्रतिशत, अधिकतम	3.5	3.5
(iv)	कण आकार–	1.70 एम.एम. एवं 0.25 एम. एम. आई. एस. छलनी के बीच न्यूनतम 65%	3.35 एम.एम. 1.0 एम.एम. आई. एस. छलनी के बीच न्यूनतम 90 प्रतिशत तथा 1 एम.एम. छलनी से कम अधिकतम 5 प्रतिशत
(v)	भार के अनुसार मैगनीशियम (एमजी सीएल2 के रूप में) का प्रतिशत, अधिकतम	–	1.0

(ङ) और (च) वर्ष 2002–03 के दौरान आयातित सम्पूर्ण एम.ओ.पी., एफ. सी. ओ. के विनिर्देशनों के अनुसार निर्धारित मानक के अनुसार था।

विवरण

वर्ष 2000–01 से 2002–03 तक के दौरान आई.पी.एल. द्वारा आयातित एम.ओ.पी. पोतों और मात्रा का ब्यौरा

सं.	निर्यातक देश का नाम	2000–01			2001–02			2002–03		
		मात्रा मी.टन में	आयातिति निरीक्षित पोतों की संख्या	अवमानक पाए गए पोतों की संख्या	मात्रा मी.टन में	आयातिति/ निरीक्षित पोतों की संख्या	अवमानक पाए गए पोतों की संख्या	मात्रा मी.टन में	आयातिति निरीक्षित पोतों की संख्या	अवमानक पाए गए पोतों की संख्या
1.	सी.आई.एस.	0.66	17	शून्य	0.82	16	शून्य	0.78	18	शून्य
2.	जॉर्डन	0.34	13	शून्य	0.34	13	शून्य	0.28	10	शून्य
3.	इजराइल	0.31	8	शून्य	0.30	11	शून्य	0.25	10	शून्य
4.	जर्मनी	0.10	3	शून्य	0.07	2	शून्य	0.09	4	शून्य
5.	कनाडा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	1.41	41	शून्य	1.53	42	शून्य	1.40	42	शून्य

* एम.टी. मिलियन टन

[अनुवाद]

दसवीं योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कमी

*19. **श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग में नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे इन योजमाओं द्वारा उन सीमांत लघु भूमि धारकों जिन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ था और जो समाज के कमजोर वर्गों के हैं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) कृषि, पशुपालन, डेयरी और कृषि अनुसंधान विभाग में कमी की गई योजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (ग) नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में कार्यान्वित और दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में कार्यान्वित स्कीमें	दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित स्कीमें
1.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास प्रौद्योगिकी मिशन
2.	खेत पर जल प्रबंधन	खेत पर जल प्रबंधन
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम)
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	
5.	आयल पाम विकास कार्यक्रम	
6.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	
7.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन	सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन
8.	कृषि संगणना	कृषि संगणना
9.	कृषि में वृहत प्रबंधन	कृषि में वृहत प्रबंधन
10.	फसल सांख्यिकी में सुधार	फसल सांख्यिकी में सुधार
11.	समय पर सूचना देने की स्कीम	
12.	कृषि सांख्यिकी की सूचना के लिए एजेन्सी की स्थापना	
13.	फलों एवं सब्जियों तथा लघु फसलों संबंधी फसल अनुमानन सर्वेक्षण सहायता	
14.	अल्प विकसित/न्यूनविकसित राज्यों में सहकारिता, विपणन, प्रसंस्करण के लिए सहायता	इन स्कीमों को अन्य स्कीमों के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यक्रम को सहायता" में विलयित करने का प्रस्ताव है।
15.	उत्पादक सहकारी कताई मिलों में अंशपूजी सहभागिता	
16.	उत्पादक सहकारी चीनी मिलों में अंशपूजी सहभागिता	

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शून्य आधारित बजट प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप 16 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में से सात केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शेष रह गई। स्कीमों की संख्या में कमी इनके आपस में विलय से हुई जबकि कोई भी केन्द्रीय प्रायोजित सकीम हटाई/बन्द नहीं की गई।

स्कीमों के परस्पर विलय से राज्यों के लिए इनका प्रचालन तथा केन्द्रीय सहायता का इष्टतम उपयोग करना सुविधाजनक रहेगा। इसका छोटे एवं सीमांत किसानों सहित सभी प्रकार के किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा स्कीमों की संख्या में की गई कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	दसवीं योजना के दौराम बन्द केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का नाम
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	शून्य
2.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1. खरगोश विकास के लिए राष्ट्रीय मेंढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम 2. समेकित सूअर विकास हेतु राज्यों को सहायता 3. भारवाही पशुओं का संरक्षण एवं विकास 4. समुद्री मात्स्यिकी का विकास 5. समेकित तटवर्ती जलकृषि
3.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	इस विभाग द्वारा कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित नहीं की जाती।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी खाद्य कानून

***20. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरल और युक्तिसंगत खाद्य कानून बनाने पर विचार कर रही है जोकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा त्वरित निर्णयन और स्वयं अनुपालन को बढ़ावा देने में सहायक होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कर संरचना के औचित्यीकरण और वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने एक आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून और संबद्ध विनियम तैयार करने हेतु विधायी एवं अन्य परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। मौजूदा कानूनों को समरूप और आधुनिक बनाने तथा खाद्य उत्पादों के विनियमन हेतु एक एकल संविधि बनाने का प्रस्ताव है ताकि निर्णय तेजी से लिए जा सकें। आशा है कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं आधुनिक घटनाक्रम को ध्यान में रखेगा ताकि अनुकूल वातावरण का सृजन हो सके और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा स्वयं अनुपालन को बढ़ावा मिल सके।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सरल मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं।

करों को तर्कसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार इस संबंध में समय–समय पर समुचित कदम उठाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर बिक्री कर से छूट प्रदान करने हेतु लिखा है।

पोस्त और केनाबिस की खेती का विनियमन

1. श्रीमती प्रभा राव :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पोस्त और केनाबिस की खेती के विनियमन हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ताकि इन फसलों की अवैध खेती को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य सरकारें कौन–कौन सी हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोस्त और केनाबिस सहित चिकित्सीय पादपों की खेती हेतु संयुक्त राष्ट्र

विकास कार्यक्रमों (यू.एन.डी.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रारूप प्रस्ताव को भी अन्तिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पोस्त/औद्योगिक भांग की खेती की अनुमति के लिए कुछ राज्य सरकारों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त हुए। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार से पोस्त की खेती के लिए तथा उत्तरांचल सरकार से औद्योगिक भांग की खेती के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। पोस्त की खेती के प्रश्न पर यह उल्लेखनीय है कि नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र संघ एकल सम्मेलन, 1961 के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में तथा अफीम के विधिसंगत कृषक के रूप में भारत से उक्त खेती के अंतर्गत विनियमों का पालन करना अपेक्षित है। अतः अफीम की खेती तीन राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित है। साथ ही अफीम का वर्तमान स्टॉक अफीम के स्वदेशी और निर्यात आवश्यकताओं से बहुत अधिक है। वर्तमान नीति के अनुसार औद्योगिक भांग की खेती के प्रस्ताव के संबंध में ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बड़े शहरों में प्रदूषण

2. **श्री महेश्वर सिंह :**

श्री शिवाजी माने :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई और महाराष्ट्र में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रदूषण संबंधी अध्ययन कब किया गया था और क्या इस पर नया अध्ययन करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रदूषण कम करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उपर्युक्त शहरों को प्रदूषणमुक्त बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (च) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई और पुणे सहित देश के प्रमुख नगरों में प्रदूषण के कुछ प्राचलों में वृद्धि देखी गई थी। वायु और जल गुणता की निरंतर मानीटरी के लिए पूरे देश भर में फैले 98 शहरों/नगरों को शामिल करते हुए परिवेशी वायु (295) और जल (518) गुणता मानीटरी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। ध्वनि के मौजूदा स्तरों का मूल्यांकन करने हेतु समय-समय पर प्रमुख नगरों में सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

* पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए बहिस्त्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित करना।
* पारितंत्रों के प्रभाव को कम करने के लिए उद्योगों का उपयुक्त स्थान निर्धारण।
* औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
* स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देने, कड़े उत्सर्जन मानकों को शुरूआत और फ्यूल स्पेसिफिकेशनें के माध्यम से वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित करना।
* विभिन्न अधिसूचनाओं, जैसेकि डीजल जैनसेटों, पटाखों और मोटरवाहनों के लिए जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण।
* अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और पर्यावरणीय गुणता की बहाली के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना।
* पर्यावरण सुधार के लिए नगर-विशिष्ट कार्य योजनाएं।
* प्रवर्तनिक मेकेनिज्म को सुगम बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए मानीटरन नेटवर्क और संस्थागत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।

वर्षा जल का संचयन

3. **श्रीमती मिनाती सेन :**

श्री लक्ष्मण सेठ :

श्री सुबोध राय :

प्रो. ए. के. प्रेमाजम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय 2001 के बाद 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक के भूखंड स्वामियों ने दिल्ली में छत पर वर्षा जल संचयन को चुना है, उनकी संख्या क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कितने भवनों में छत के वर्षा जल संचयन का प्रबंध है;

(ग) क्या जल विशेषज्ञ भूविज्ञानियों के निर्देश के अंतर्गत इन भवनों का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा

4. **श्री मोहन रावले** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं द्वारा इसके विरोध को देखते हुए राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में कोई प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल, 2002 से राष्ट्रीय जल नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हैं तथा सभी राज्यों के मुख्य मंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल/प्रशासक और जल से संबंधित मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं। नीति को अपनाने के बाद, अगस्त-अक्तूबर, 2002 के दौरान बंगलौर, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहटी, जयपुर, लखनऊ तथा पुणे में आयोजित अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से नीतिगत कार्रवाई संबंधी बातचीत की गई। कार्रवाई योजना तैयार करते समय गैर-सरकारी संगठनों के विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त विचारों पर भी विचार किया गया। इस कार्य योजना को, 5 फरवरी, 2003 को आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया जिसमें इसे अपना लिया गया।

केवल कुछ गैर-सरकारी संगठन ने 'निजी क्षेत्र की भागीदारी' जैसे कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए अपने विचार व्यक्त किए। तथापि, प्रतिभागियों की आम सहमति के मद्देनजर राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य-योजना तैयार की गई थी और इस स्तर पर नीति की समीक्षा करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 'निजी क्षेत्र की भागीदारी' संबंधी प्रावधान में सुविधाएं/सेवाएं मुहैया कराने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था की गई है परन्तु इसमें एक स्त्रोत के रूप में जल के निजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः नीति की समीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसके अतिरिक्त इस नीति को हाल ही में अर्थात अप्रैल, 2002 में संशोधित किया गया और अपनाया गया था।

तथापि, नीति में निर्धारित किये गये अनुसार आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य-योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे 5 फरवरी, 2003 को आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में अपनाए जाने के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए इसे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

पम्बा नदी की सफाई

5. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल

में पम्बा नदी को प्रदूषण रहित करने हेतु कोई संशोधित परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) पम्बा और सबरीमाला में नदी प्रदूषण के उपशमन के प्राथमिकतावाले निर्माण कार्यों को मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत मई, 2003 में 18.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूर कर दिया गया है। इस परियोजना की लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 70:30 के अनुपात में होगी।

[हिन्दी]

सेबों का उत्पादन

6. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कौन–कौन से राज्यों में वर्ष–वार कितनी मात्रा में सेबों का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सार्वाधिक सेब उत्पादक राज्य में सेब का उत्पादन कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा सेब उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबों के उत्पादन की राज्यवार उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य है। यद्यपि वर्ष 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2000–01 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में सेब के उत्पादन में कमी आई है तथापि लगातार गिरावट का कोई संकेत नहीं है। सरकार अक्तूबर, 2000 से वृहत कृषि प्रबंधन–कार्ययोजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहायता/सहयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सेब सहित फलों के विकास के लिए सहायता दे रही है। इसके अंतर्गत, राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई है।

विवरण

भारत में सेब का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन

उत्पादन (000' मी. टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998–99	1999–2000	2000–01
अरुणाचल प्रदेश	16.0	8.5	8.5
हिमाचल प्रदेश	393.6	49.1	376.7
जम्मू–कश्मीर	791.6	929.0	751.3
उत्तर प्रदेश (पहाड़ी) उत्तरांचल	178.9	60.5	89.7
अन्य	0.3	0.3	0.4
कुल	1380.4	1047.4	1226.6

[अनुवाद]

राजस्थान में खनन के कारण बाघ पर्यावास का विनाश

7. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड स्थित पर्यावरणिक जांच अभिकरण ने खनन को रोकने का आह्वान किया है जिससे राजस्थान में सरिस्का बाघ अभयारण्य के निकट जामवा रामगढ़ में बाघ पर्यावास नष्ट हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कतिपय दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जामवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में खनन कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21.01.

2002 को हुई भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारि-संवेदी क्षेत्र अभिनिर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8. **श्री बाल कृष्ण चौहान** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में क,ख, ग और घ श्रेणी के अन्तर्गत श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-वार अलग-अलग कितने कर्मचारी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मुख्यालय) तथा इस मंत्रालय के उपक्रम अन्दमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड़ में कुल कर्मचारियों की श्रेणीवार स्थिति निम्नलिखित है:-

पर्यावरण और वन मंत्रालय (मुख्यालय)

क्र. सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी
1.	समूह "क"	180	1	13	7
2.	समूह "ख"	245	2	27	9
3.	समूह "ग"	306	16	57	16
4.	समूह "घ"	207	12	83	16

उपक्रम

क्र. सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी
1.	समूह "क"	12	*	**	-
2.	समूह "ख"	26			-
3.	समूह "ग"	278			12
4.	समूह "घ"	141			12

* अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में विशेष श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण हेतु पात्र श्रेणियों का निर्धारण न किए जाने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया।

** अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह हेतु अनसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं किया जाता है।

तटीय क्षेत्रों के विकास हेतु धनराशि

9. **श्री अबुल हसनत खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तटीय क्षेत्र विकास निधि से राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने तटीय क्षेत्र विकास निधि से धनराशि की सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण

यादव) : (क) से (ग) सरकार द्वारा मछुआरों के लाभ के लिए ऐसे किसी तटीय क्षेत्र विकास कोष की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, राज्यों को मात्स्यिकी के विकास तथा मछुआरों के कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राज्य को मात्स्यिकी विकास तथा मछुआरों के कल्याण के लिए 2000–01 से 2002–03 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 2109 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की है।

विदेशी पर्यटक कार्यालयों में अनधिकृत पद

10. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विदेशी पर्यटक कार्यालयों में अनधिकृत पदों का सृजन करने हेतु मंत्रालय की खिंचाई की है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर 1.74 करोड़ रुपए का भार पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारत लेखा परीक्षा कार्यालय, लंदन ने भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रेंकफर्ट के संबंध में स्टाफ लागत पर अनधिकृत व्यय से संबंधित कुछ टिप्पणियां की हैं, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

(ख) कोई भी पद अनधिकृत रूप से प्रचालित नहीं किया जा रहा है। भारत और स्थानीय आधार पर सभी पदों को बनाए रखने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी, अर्थात एकीकृत वित्त का अनुमोदन ले लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों की प्रतिशतता

11. **श्री लक्ष्मण सेठ** :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में युवकों की कुल संख्या में बेरोजगार युवकों का प्रतिशत क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : वर्ष 1999–2000 के दौरान वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर युवाओं में अनुमानित बेराजगारी दर (15–29 वर्ष के आयु समूह) युवा श्रम बल की प्रतिशतता के रूप में लगभग 12.1% थी।

लीची का उत्पादन

12. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में लीची के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कुल कितने हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती हो रही है; और

(ग) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन द्वारा पेश की जा रही चुनौती को देखते हुए लीची के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान लीची के उत्पादन संबंधी राज्य–वार उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) देश में लीची की खेती के अधीन कुल क्षेत्र 53600 हेक्टेयर (2000–01) है।

(ग) सरकार लीची सहित फलों के विकास के लिए कृषि में वृहत् प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता/सहयोग के तहत सहायता प्रदान करा रही है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड़ा) लीची सहित फलों के निर्यात संवर्धन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना, पैकेजिंग विकास, मानव, संसाधन विकास, निर्यात संवर्धन, मण्डी विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए व्यक्तियों/निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को शामिल करके अपेड़ा ने उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों के लिए तीन कृषि निर्यात क्षेत्र मंजूर किए हैं ताकि लीची के निर्यात संवर्धन हेतु क्षेत्र आधारित कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

विवरण

भारत में लीची उत्पादन का राज्य–वार उत्पादन

राज्य	उत्पादन (000' एम टी में)	
	1999–2000	2000–2001
असम	17.1	18.4
बिहार	316.5	303.3
झारखण्ड	–	5.0
उडीसा	6.0	8.2
पंजाब	11.1	11.5
त्रिपुरा	26.6	8.9
उत्तरांचल	12.9	8.8
पश्चिम बंगाल	37.6	42.0
अन्य	5.4	5.9
कुल	433.2	412.0

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कामगार

13. **प्रो. ए. के. प्रेमाजम :**

श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात आज तक गैर–सरकारी क्षेत्र में वर्ष–वार और राज्य–वार कुल कितने औद्योगिक कामगार दर्ज किए गए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 हेतु (नवीनतम उपलब्ध) कृषि के अतिरिक्त संगठित निजी क्षेत्र में कामगारों का राज्य–वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य	निम्न अवधि के दौरान कृषि के अतिरिक्त संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार (हजार में)		
		1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	545.75	564.75	582.57
2.	असम	45.18	43.29	43.23
3.	बिहार	252.40	251.63	251.25
4.	छत्तीसगढ़*			31.01
5.	दिल्ली	221.65	221.42	217.57
6.	गोवा	40.51	40.70	40.51
7.	गुजरात	817.17	767.68	759.96
8.	हरियाणा	234.16	230.77	236.20
9.	हिमाचल प्रदेश	43.63	47.33	47.49
10.	जम्मू–कश्मीर	10.52	10.52	10.52
11.	झारखंड*			@
12.	कर्नाटक	739.67	736.04	750.34
13.	केरल	474.78	474.78	507.95
14.	मध्य प्रदेश	238.99	226.50	186.32
15.	महाराष्ट्र	1500.80	1465.91	1429.79
16.	मणिपुर	2.31	2.67	2.65
17.	मेघालय	9.33	9.29	9.29
18.	मिजोरम	1.40	1.40	3.45
19.	नागालैंड	2.93	3.10	1.40
20.	उड़ीसा	94.32	85.52	84.72
21.	पंजाब	251.22	256.00	260.99
22.	राजस्थान	263.41	258.93	255.63
23.	तमिलनाडु	854.87	866.47	859.47
24.	त्रिपुरा	2.63	2.86	2.86
25.	उत्तरांचल*			35.22
26.	उत्तर प्रदेश	528.35	522.83	465.56
27.	पश्चिम बंगाल	600.53	601.82	591.91

1	2	3	4	5
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4.30	4.64	4.70
29.	चण्डीगढ़	24.09	24.92	27.45
30.	दमन एवं दीव	12.89	12.33	13.38
31.	पांडिचेरी	9.20	8.20	5.37
	योग	7826.96	7741.99	7718.76

-सूचना मूल राज्य में शामिल है।

@पचास से कम

[हिन्दी]

इस्पात उत्पादन

14. **श्री रामदास रूपला गावीत** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात का वर्ष–वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है:–

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन
2000–01	292.67
2001–02	306.35
2002–03	328.50

स्त्रोतः जे पी सी

(ख) और (ग) जी, हां। अप्रैल–जून, 2003 के दौरान इस्पात का उत्पादन 84 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 77.79 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इसमें 8% की वृद्धि हुई।

[अनुवाद]

असम में बाढ़ नियंत्रण

15. **श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष असम की ब्रह्मपुत्र बारक नदियों और अन्य सहायक नदियों में अचानक तेजी से आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक नुकसान हुआ है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता की मांग की है/कितनी उन्हें जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की लागत और समय–सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। 17.7.2003 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 48.50 लाख लोग भारी वर्षा/बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

(ख) सूचित की गई क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गंभीर स्वरूप की आपदा के मामले में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता दी जाती है। तथापि, राज्य में वर्तमान बाढ़ की स्थिति के संबंध में असम सरकार से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है।

जल संसाधन मंत्रालय ने दसवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 150,00 करोड़ रु. के केन्द्रीय हिस्से से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल (ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़ने वाले उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों के लिए) में गंभीर बाढ़ नियंत्रण/कटाव रोधी कार्यों को शुरू करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। योजना आयोग ने इस स्कीम को "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान किया है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन को अब विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों को परिचालित कर दिया गया है। इसके पश्चात इस स्कीम पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए इसे पूर्ण योजना आयोग/आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं.	विवरण	क्षति का ब्यौरा
1.	जिलों की कुल संख्या	23
2.	प्रभावित जिलों की संख्या	22
3.	प्रभावित गांवों की संख्या	4768
4.	प्रभावित आबादी	4.850 मिलियन
5.	प्रभावित क्षेत्र	0.654 मिलियन हेक्टेयर
6.	प्रभावित फसल क्षेत्र	0.201 मिलियन हेक्टेयर
7.	क्षतिग्रस्त मकान	4451
8.	जन क्षति	22

विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें

16. **श्री परसुराम माझी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार घरेलू विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें स्थापित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से घरेलू पत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों की स्थापना की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा शेष घरेलू विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) कालीकट और वाराणसी हवाईअड्डों पर डयूटी फ्री शाप खोली गई हैं।

(ग) मैसर्स फ्लेमिंगों इंटरनेशनल लि. जो एक दुबई बेस कंपनी है, को जयपुर, लखनऊ और अमृतसर हवाईअड्डों पर डयूटी फ्री शाप खोलने के लाइसेंस की पेशकश की गई है बशर्ते वह औपचारिकताओं को पूरा करे/स्वीकृति प्राप्त करें।

पशुधन को रोग से रोकने हेतु विश्व बैंक की सहायता

17. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पशुधन को प्रभावित करने वाले विभिन्न रोगों से निपटने हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में पशुधन को प्रभावित करने वाले रोगों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक में पशुधन को प्रभावित करने वाले रोगों की रोकथाम के लिए पशुधन एवं डेयरी विभाग अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान दे रहा है।

पोवई झील की सफाई

18. **श्री किरीट सोमैया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पोवई झील का किस सीमा तक विकास किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पोवई झील के विकास संबंधी प्रस्ताव के दूसरे चरण का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/प्रदान की जाने वाली है; और

(ङ) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने/पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जैव उपचार तकनीक द्वारा पोवई झील का संरक्षण 4,93,31,100/– रुपये की संविदा लागत से 20.04.2002 को आरंभ किया गया था। यह 30.04.2003 को पूरा हो गया है।

(ख) से (ङ) "पोवई झील मुहाना पारि–विकास" के लिए 3,26,90,059/– रुपये के एक प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च, 2003 में तीन भागों में प्राप्त हुई जिसमें भाग I और भाग II के कार्यों को 1,95,20,534/– रुपये की लागत से आरंभ करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना

19. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना हेतु प्रारूप प्रस्ताव मंत्रालय को वापस कर दिया है और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को यह प्रस्ताव आगे विचार हेतु कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद (आई एस आर डब्ल्यू डी) अधिनियम, 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन संबंधी प्रस्ताव वाले मंत्रिमंडल टिप्पण को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था। इस टिप्पण पर मंत्रिमंडल सचिवालय ने जल संसाधन मंत्रालय को गृह मंत्रालय और विधि कार्य विभाग से परामर्श करने की सलाह दी है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय इस मंत्रिमंडल टिप्पण को अनुमोदन के लिए पुनः मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप दे रहा है।

सुरक्षा सेवा भर्ती एजेंसियां

20. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा सेवा भर्ती एजेंसियों की संख्या में देश में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी एजेंसियां अपने सुरक्षा गार्डों, को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और तदअधीन बने नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(घ) सरकार ने श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) कुछ वर्षों में देश में सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि हुई है। सुरक्षा सेवाओं में नियोजित कामगारों के हित का संरक्षण करने की दृष्टि से "सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निजी सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से या नियोक्ता द्वारा सीधे निगरानी और सुरक्षा" के नियोजन को दिनांक 09.03.2001 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 216 (अ) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम की अनुसूची में जोड़ दिया गया था। इस नियोजन में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को देखते हुए इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। अधिनियम में, अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कामगारों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना नियोक्ताओं के लिए बाध्यकारी है। अधिनियम में चूककर्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध कानूनी और दाण्डिक प्रावधान है।

यू. एस. आई. टी. में सेल के शेयर

21. **श्री टीएच. चाओबा सिंह** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेल और अन्य कंपनियों के पास यूईसी इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी लि. (यूएसआईटी) के कितने प्रतिशत शेयर हैं;

(ख) क्या सेल ने यूएसआईटी के इक्विटी शेयर लेने के अलावा आरंभिक चरण में अधिकारियों को प्रतिनियुक्त और उनके वेतन का भुगतान करके कंपनी को योगदान दिया है;

(ग) क्या अमरीकी भागीदार यूएसआईटी को कारोबार उत्पन्न करने में सक्षम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या यूएसआईटी ने अमरीकी भागीदार को सामान्य वेतन और भत्तों के भुगतान के अतिरिक्त विपणन अथवा कारोबार संवर्धन व्ययों का भुगतान किया है;

(ङ) क्या सेल और संघ सरकार के नामांकिती यूएसआईटी के निदेशक मंडल में हैं;

(च) क्या यूएसआईटी में सेल की अंशधारिता को बातचीत द्वारा तय मूल्य पर अमरीकी भागीदार को बेचने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो सेल ने यूएसआईटी में अपनी अंशधारिता के सही बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

वी आर एस योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारी

22. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : श्रम मंत्रालय में पिछले दो वर्षों के दौरान विभागवार/श्रेणीवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : पिछले दो वर्षों के दौरान श्रम मंत्रालय के किसी भी कर्मचारी ने केन्द्र सरकार के पेशी कर्मचारियों के लिए चलायी जा रही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की विशेष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति नहीं ली है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी

23. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन मंत्रालय में पिछले दो वर्षों में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है; और

(ख) इनमें कितनी महिलाएं और कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1.4.2001 से 31.3. 2003 के दौरान, नागर विमानन महानिदेशालय के केवल 2 (दो) ग्रुप–ए अधिकारियों ने ही सरप्लस केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। इस अवधि के दौरान, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड में कोई वी.आर.एस. लागू नहीं था।

(ख) उक्त दोनों अधिकारी न तो महिलाएं थीं और न ही वे अनुसूचित जाति–जनजाति से संबंधित थे।

नारियल के वृक्षों में बीमारी

24. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के पुराने वृक्षों को काटकर व हटाकर उनके स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के संकर पौधों का रोपण करके बीमारी दूर करने के 'सीडीबी' कार्यक्रम में सिंचाई घटकों को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) नारियल विकास बोर्ड नौवीं योजना के दौरान भारत में समेकित नारियल विकास पर एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसमें नारियल प्रौद्योगिकी मिशन भी शामिल है। इस स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैः–

(i) प्रदर्शन–सह–बीज उत्पादन के जरिये गुणवत्तायुक्त पौध ,रोपण सामग्री का उत्पादन और नए पौध रोपण और पुनः पौध रोपण हेतु नर्सरी की स्थापना।

(ii) उत्पादकता सुधार हेतु नारियल जोतों में समेकित कृषि जिसमें 250 रुपये प्रति पाम की दर से क्षतिपूर्ति देते हुए रोग ग्रसित पाम को काटना और उसे हटाना।

(iii) 8000 रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता देते हुए, गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्रियों से नये बागान लगाना।

(iv) 35000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता देते हुये समेकित प्रबंध पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन प्लॉट तैयार करना। संस्तुत प्रौद्योगिकी पैकेज में सिंचाई भी शामिल है।

(v) 20000 रुपये प्रति यूनिट की वित्तीय सहायता से जैविक खाद यूनिट की स्थापना करना।

इसके अलावा कीट/कृमि और रोग प्रबंध हेतु प्रौद्योगिकियां अपनाने के उप–घटक के अंतर्गत पोषक तत्व और जल–प्रबंधन सहित उन्नत पद्धतियां परियोजना आधार पर नारियल प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल की गई हैं। इस स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट सिंचाई घटक शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि नारियल बागानों में टपका सिंचाई के लिए सहायता वृहत् कृषि प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भर्ती

25. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **नागर विमानन** मंत्री 7.4.2003 और 21.4.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3611 और 4322 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग) में उपर्युक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुए थे;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रश्नों के संबंध में अपेक्षित सूचना उस समय से एकत्रित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा पदों को केन्द्रीय रूप से रोजगार समाचार तथा दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, डक्कना क्रोनिकल, दि ट्रिब्यून, गुजरात समाचार, आनंद बाजार, दि हिन्दू, अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दुस्तान (हिन्दी), दि टाइम्स ऑफ इंडिया, पाइनियर, स्टेटमेन, डेली एक्सेलसियर, (जम्मू) इत्यादि जैसे राष्ट्रीय दैनिकों में विज्ञापन के माध्यम से भरा जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रेड सी और डी में कुछ नियुक्तियां स्थानीय रूप से, लेह, पूसा (नई दिल्ली), तथा किरबी प्लेस (नई दिल्ली) नामक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में स्मारकों का संरक्षण

26. **डा. एन वेंकटस्वामी** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश विशेषकर राज्य के चित्तूर जिले में ऐतिहासिक स्थल/स्मारक कौन–कौन से हैं; जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) राज्य, विशेषकर चित्तूर जिले के आस – पास स्थित इन स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के क्या उपाय और कार्य किए गए हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में संरक्षण और परिरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि अनुमोदित और व्यय की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) आंध्र प्रदेश में 136 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं जिनमें से निम्नलिखित 9 स्मारक चित्तूर जिला में संरक्षित हैं : (1) निम्न किला सहित राजा एवं रानी महल तथा राजाराजेस्वरी मंदिर परिसर, चंद्रगिरि; (2) ऊपरी किला एवं प्राचीन संरचनाएं, चंद्रगिरि; (3) श्री वेंकटेरवरा मंदिर, श्रीनिवासमंगापुरम; (4) श्री परसुरामेस्वरा स्वामी मंदिर, गुडीमल्लाम; (5) गुर्रमकोंडा स्थित किला; (6) निम्न किला, मध्य किला दीवार, मोट, पुराना किला गेटवे, पुराना हनुमान मंदिर, पुराना मंदिर एवं मस्जिद, गुर्रमकोंडा; (7) महल, गुर्रमकोंडा; (8) श्री पल्लीस्वरा मुदैया महादेव मंदिर, कालाकडा; एवं (9) श्री चेन्नाकेसावरस्वामी मंदिर, सोमपल्ले।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण एवं रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, जिला चित्तूर में, श्री परसुरामेस्वरा मंदिर, गुडीमल्लाम, श्रीनिवासमंगापुरम, चंद्रगिरि स्थित निम्न किला में राजाराजेस्वरी मंदिर परिसर, राजा एवं रानी महल, गुर्रमकोंडा स्थित मंदिर, रंजिन महल तथा अन्य संरचनाओं को संरक्षण हेतु लिया गया है।

(ग) पिछले वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए नियतन एवं व्यय निम्न प्रकार है;

2000–2001 रुपए 136.29 लाख

2001–2002 रुपए 114.39 लाख

2002–2003 रुपए 417.16 लाख

शीत भंडारों की स्थापना

27. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर राज्यों से राज्यों में और अधिक शीत भंडारों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल कृषि एवं सहकारिता विभाग, विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों सहित देश में "बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों तथा भंडारों के निर्माण/ विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता" नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम मांग आधारित है और परियोजना प्रस्ताव पात्र संगठनों से आने होते हैं। इस स्कीम के अधीन देश में 13.06.2003 तक 227.40 करोड़ रुपये की राजसहायता के साथ 31.79 लाख मी. टन, की अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु 716 शीतागारों को संस्वीकृति दी जा चुकी है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को विशेष दर्जा

28. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को राजस्थान सरकार से राजस्थान को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अनुमोदन मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अप्रैल, 2000 में केन्द्र सरकार से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राजस्थान को विशेष श्रेणी वाले राज्यों में शामिल करने का अनुरोध किया था। चूंकि राजस्थान राज्य ने पहले से ही 82 प्रतिशत सिंचाई क्षमता विकसित कर ली है इसलिए एआईबीपी वित्तपोषण हेतु राजस्थान को विशेष श्रेणी वाले राज्यों के समतुल्य मानने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री के अनुरोध को उपयुक्त नहीं पाया गया।

आंध्र प्रदेश में देव दूला परियोजना

29. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आंध्र प्रदेश में देव दूला परियोजना निर्माण का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य इस परियोजना पर विवाद के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने विवाद को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) माननीय सदस्य संभवतः गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम (एलआईएस) का उल्लेख कर रहे हैं। जिसमें वारंगल जिले के देव दूला गांव के निकट एक स्थल पर गोदावरी नदी से 50 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) जल लिए जाने की योजना है जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सकीम की सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुरोध सहित मई, 2001 में एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट में गोदावरी नदी से 50 टीएमसी जल लेकर आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, नालगोंडा और मेडक जिलों में फैले पांच लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराने की योजना थी। प्रथम दृष्टया, इस प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी बशर्ते कि गोदावरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार जल उपलब्ध कराया जाता। अन्तर्राज्यीय नदी पर एक वृहद परियोजना होने के कारण इस संबंध में योजना आयोग से निवेश स्वीकृति की आवश्यकता है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 2002 में गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम संबंधी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें गोदावरी नदी से (i) देव दूला गांव, (ii) गंगाराम गांव, और (iii) लंकाला गांव स्थित अन्तर्वाहों में से किसी एक से 50 टी एम सी जल

लेकर तेलंगाना क्षेत्र में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की योजना है। प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच के पश्चात केन्द्रीय जल आयोग ने दिसम्बर, 2002 और मार्च 2003 के दौरान इस रिपोर्ट पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजीं। परियोजना प्राधिकारियों ने फरवरी और अप्रैल, 2003 में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जिनमें पूर्व प्रस्तावों में कुछ संशोधन भी किए गए थे। आंध्र प्रदेश के मेडक, करीमनगर, वारंगल और नालगोंडा जिलों के तहत आने वाले लगभग 2.61 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराने के लिए अब प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में गंगाराम गांव के निकट एक स्थान से गोदावरी नदी से 38.2 टीएमसी जल सीधे लिए जाने की योजना है। इस प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात केन्द्रीय जल आयोग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को शामिल किए जाने के अधीन मई, 2003 के दौरान उपरोक्त परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है। इन टिप्पणियों में जल विज्ञान, अन्तर्राज्यीय, मूल आयोजना और पर्यावरणीय पहलू शामिल हैं। राज्य सरकार से प्रत्येक सह–बेसिन राज्य को इस विस्तृत परियोजना की एक–एक प्रति सूचनार्थ तथा उनके विचार जानने के लिए देने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण के लिए चीन से समझौता

30. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत क्षेत्र के राकस/मान सरोवर झील से उद्गमित सतलुज नदी से हिमाचल प्रदेश के सीमा वर्ती जिलों में होने वाली बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के तर्ज पर ही चीन से उद्गमित नदियों के जलीय आंकड़ों की अदला बदली के लिए करार पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) उपरी आवाह में जल वैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना करके ब्रह्मपुत्र नदी की तर्ज पर सतलुज नदी के संबंध में जल वैज्ञानिक सूचना मुहैया कराने के वास्ते चीनी प्राधिकारियों के साथ मामले को पहले ही उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त जून, 2003 में माननीय प्रधान मंत्री जी की चीन यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने सतलुज नदी को शामिल करने के लिए भी जल–वैज्ञानिक सूचना का आदान–प्रदान करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी जिससे बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में तथा जान–माल की क्षति को रोकने में मदद मिलेगी। चीनी पक्ष ने सूचित किया है कि वे इस अनुरोध पर विचार करेंगे तथा संबंधित जल–वैज्ञानिक केन्द्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेंगे।

[अनुवाद]

बेड़े का विस्तार

31. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर बस उद्योग ने अपनी नई क्रय बोली में कुछ असंगतियों को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एअर बस सौदे में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) सरकार को ऐसा कोई पत्रादि प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी फैसले क्रियाविधि के अनुसार लिए जाते हैं।

श्रमिक वर्ग की हड़ताल

32. **श्री सुनील खां :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक वर्ग की 21 मई, 2003 को देश–व्यापी हड़ताल थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मजदूर यूनियन द्वारा कोई अग्रिम नोटिस दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा क्या मुख्य मांगें की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिए हड़ताली श्रमिकों की शिकायतों को रोकने हेतु प्रभावी उपाय किए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) श्रमिक संघों द्वारा उठायी गई मुख्य मांगे निम्नलिखित थीं:–

(i) लाभ कमा रहे और अर्थ क्षम संभाव्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण को रोकना।

(ii) श्रम कानूनों में नियोजकों के पक्ष में और कामगारों के हितों के विपरीत कोई परिवर्तन करना।

(iii) कृषि कामगारों के लिए व्यापक विधान का तत्काल अधिनियमन।

(iv) नौकरी समाप्त करने वाली और बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियों की मनाही।

(v) असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम को अधिक व्यापक बनाया जाना।

(vi) आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की बहाली।

(vii) सभी प्रकार की उच्चतम सीमा को हटाकर बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन।

(viii) भविष्य निधि जमा राशियों पर 12 प्रतिशत ब्याज दर की बहाली।

(घ) और (ङ) जी, हां। हड़ताल को टालने के उद्देश्य से क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा संराधन कार्रवाहियां आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने 19.05.2003 को केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। माननीय श्रम मंत्री भी संघों के प्रतिनिधियों से मिले थे और उनकी मांगों पर उनसे विचार किया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण उपशमन योजनाएं

33. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लागू प्रदूषण उपशमन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य कौन–कौन से हैं;

(ख) ये योजनाएं देश में किन–किन राज्यों में शुरू की गई हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में ऐसी कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (घ) प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता योजना के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, संघ प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समितियों, पर्यावरण विभागों, केन्द्रीय/राज्य अनुसंधान संस्थाओं और अन्य सरकारी संगठनों को उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। इन संगठनों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता देने के लिए गुण आधार पर विचार किया जाता है। वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अनेक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से ऐसे विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

केरल में पर्यटन विकास

34. **श्री वी. एम. सुधीरन :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से राज्यों में पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) प्राप्त प्रस्तावों एवं राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ हुए परामर्श के आधार पर, केरल राज्य सहित, देश में वर्ष 2002–2003 के दौरान, 11121.10 लाख रुपए की धनराशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 212 पर्यटन परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002–2003 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृति राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	507.50
2.	असम	9	768.13

1	2	3	4
3.	अरूणाचल प्रदेश	5	41.30
4.	बिहार	8	505.00
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00
6.	गोवा	1	0.50
7.	गुजरात	2	197.12
8.	हरियाणा	8	332.25
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32
10.	जम्मू—कश्मीर	3	94.38
11.	झारखण्ड	0	0
12.	कर्नाटक	6	902.49
13.	केरल	11	861.36
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18
15.	महाराष्ट्र	8	623.86
16.	मणिपुर	2	5.24
17.	मेघालय	3	70.35
18.	मिजोरम	6	141.16
19.	नागालैण्ड	5	360.50
20.	उडीसा	2	47.50
21.	पंजाब	3	23.00
22.	राजस्थान	13	1098.70
23.	सिक्किम	13	346.24
24.	तमिलनाडु	5	559.00
25.	त्रिपुरा	5	216.13
26.	उत्तरांचल	3	548.00
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
30.	चण्डीगढ़	3	7.75
31.	दादर एवं नागर हवेली	2	8.07
32.	दिल्ली	14	504.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	2	7.87
	कुल	212	11121.10

[हिन्दी]

कपास विकास कम्पनी के आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज को पुरस्कार

35. **श्री अवतार सिंह भडाना :**

श्रीमती रमा पायलट :

डा. महेन्द्र सिंह पाल :

डा. चरण दास महंत :

श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास के बीज (बीटी—कॉटन) विकसित करने वाली कम्पनी को प्रौद्योगिकी पुरस्कार से पुरस्कृत करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कृषि संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने बीटी—काटन की खेती संबंधी निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) महाराष्ट्र संकर बीज कम्पनी, मुम्बई को उसकी अनुसंधान एवं विकास सक्षमताओं, सरकार से आवश्यक विनियामक अनुमोदनों के पश्चात कीटनाशीय जीन वाले भारतीय बी.टी.

कपास की संकर किस्मों के विकास और वाणिज्यीकरण सहित जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक) उत्पाद विकास में चल रहे अनुसंधान प्रयासों के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेण्ट) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास और वाणिज्यीकरण पुरस्कार 2003 प्रदान किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आनुवांशिकी अभियांत्रिक अनुमोदन समिति ने महाराष्ट्र संकर बीज कम्पनी को मार्च–अप्रैल, 2002 में तीन वर्षों की अवधि के लिए पर्यावरण में बी.टी. कपास की तीन संकर किस्मों को जारी करने की अनुमति प्रदान की थी। बी.टी. कपास के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक समिति गठित की है। इस मूल्यांकन के परिणामों से खरीफ, 2002 के दौरान प्रथम दृष्टया पता चलता है कि तीन बी.टी. कपास की संकर किस्में बॉलवर्म के लिए उचित प्रतिरोधी पाई गई है जिससे कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता कम हुई हैं। तथापि, चूंकि खरीफ, 2002 के दौरान कपास में कृमियों की घटना आमतौर पर लम्बे समय तक सूखे के कारण कम थी इसलिए बॉलवर्म के विरूद्ध इस प्रौद्योगिकी की क्षमता का आगामी दो वर्षों के लिए भी आकलन किया जाना जरूरी है।

[अनुवाद]

एम. एस. सी. एस. ए. के अन्तर्गत केन्द्रीय भंडार का पंजीकरण

36. **श्री रामजी मांझी :**

श्री रघुनाथ झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) **बहु** राज्य सहकारी संस्था अधिनियम (एम.एस.सी. एस.ए.) के अंतर्गत केन्द्रीय भण्डार को पंजीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत इसके पंजीकरण को रद्द करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय भण्डार जिसे दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत किया गया था, ने बहु–राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 1984 के तहत साधारण सभा द्वारा विधिवत अनुमोदन कराकर केन्द्रीय भण्डार को बहु–राज्य सहकारी सोसायटी में परिवर्तन करने हेतु केन्द्रीय पंजीकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। उसकी जांच की गई और उसे बहु–राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 1984 के प्रावधानों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप पाया गया और इसलिए केन्द्रीय भण्डार को एक बहु–राज्य सहकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निधियों का उपयोग

37. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से किन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) कौन–कौन से राज्य उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर सके; और

(ग) राज्य सरकारों ने उक्त धनराशि का पूर्णरूपेण उपयोग करने हेतु कौन–कौन से कदम उठाने का विचार किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन मंत्रालय की ऐसी स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनके तहत विभिन्न राज्यों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता या तो कुछेक स्कीमों के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में है अथवा यह पहले की किस्तों में जारी की गई निधियों के उपयोग से संबद्ध है। जहां कहीं भी पहले की किस्तों में जारी की गई निधियां अप्रयुक्त/आंशिक रूप से प्रयुक्त पाई जाती हैं वहां बाद में जारी की जाने वाली निधियों को अप्रयुक्त राशि के साथ समायोजित करके जारी किया जाता है। तथापि, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के मामले में केन्द्रीय सहायता एक वित्त वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय ऋणों के रूप में मुहैया कराई जाती है। ऋण की दूसरी किस्त पहली किस्त की 70% राशि खर्च करने पर ही जारी की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत दिये जाने वाले ऋण की वापसी अगले वर्ष से बकाया राशि पर ब्याज सहित बीस समान किस्तों में की जाएगी। तथापि, ऋण की 50% राशि के संबंध में पांच वर्ष की प्रारंभिक अनुग्रह अवधि मिलेगी। जिसके पश्चात् इन ऋणों की वापसी 15 समान किस्तों में की जाएगी। वार्षिक रूप से देय ऋणों की वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी जोकि प्रतिवर्ष 15 जून से प्रारंभ होगी।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य का नाम	वर्ष				
			1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नेपाल के हिस्से में कोसी और गंडक नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव	बिहार	209.06	438.00	302.20	372.047	753.8847
		उत्तर प्रदेश	94.78	शून्य	172-22	शून्य	84.44
2.	उत्तरी बिहार में बाढ़रोधी कार्यक्रम	बिहार	शून्य	शून्य	100.00	50.00	शून्य
3.	गंभीर कटावरोधी कार्य	बिहार	शून्य	शून्य	850.00	1358.00	1283.25
		उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	400.00	689.00	544.00
		उत्तरांचल	शून्य	शून्य	100.00	शून्य	95.00
		पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	650.00	1138.00	560.00
4.	लालबकिया, बागमती, कमला और खांडों नदियों पर तट बंधों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य	बिहार	100.00	80.00	100.00	200.00	150.00
5.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अरूणाचल प्रदेश	0.00	10.0	3.75	34.75	125.13
		असम	0.00	0.00	33.45	36.00	0.00
		बिहार	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
		छत्तीसगढ़	–	–	–	46.32	148.45
		गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		गुजरात	324.19	650.00	18.67	0.00	0.00
		हरियाणा	1294.63	841.74	503.02	2321.79	620.92
		हिमाचल प्रदेश	52.90	15.81	68.17	155.95	182.22
		जम्मू-कश्मीर	233.39	248.99	165.19	171.22	344.00
		झारखंड	–	–	–	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		कर्नाटक	668.00	885.37	1863.73	3423.84	2652.61
		केरल	806.04	788.11	745.62	507.94	0.00
		मध्य प्रदेश	245.99	167.20	123.41	15.86	615.05
		महाराष्ट्र	1719.15	660.60	461.14	744.72	331.33
		मणिपुर	132.33	128.05	113.09	0.00	211.03
		मेघालय	0.00	18.40	0.00	0.00	11.34
		मिजोरम	0.00	0.00	5.00	6.88	9.14
		नागालैंड	6.43	15.00	0.00	133.16	0.00
		उड़ीसा	774.40	365.28	1035.92	504.76	264.90
		पंजाब	500.00	3352.06	2133.49	0.00	1622.00
		राजस्थान	3834.87	2700.00	1592.19	2654.66	2939.27
		सिक्किम	0.00	0.00	0.00	5.50	1.25
		तमिलनाडु	2507.27	2336.74	1677.38	1336.14	2305.80
		त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उत्तर प्रदेश	3959.24	2804.92	3247.32	2274.19	2279.40
		उत्तरांचल	–	–	–	0.00	75.00
		पश्चिम बंगाल	275.00	306.73	424.77	0.00	284.00
6.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	आन्ध्र प्रदेश	7967.00	6501.50	9502.00	28166.00	3318.60
		अरूणाचल प्रदेश	0.00	750.00	750.00	1500.00	150.00
		असम	1395.00	1454.00	2407.70	1452.10	1627.38
		बिहार	3618.50	12969.50	14844.00	342.00	1448.05
		छत्तीसगढ़	950.00	1052.00	1393.00	4820.00	10400.00
		गोवा	0.00	350.00	6165.00	5800.00	0.00
		गुजरात	43282.00	27270.00	42185.00	58169.00	100033.00
		हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
		हिमाचल प्रदेश	500.00	1104.70	1801.50	324.40	815.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		जम्मू-कश्मीर	0.00	468.00	1046.00	1170.00	3499.90
		झारखंड	1164.00	1434.50	905.00	1082.00	967.00
		कर्नाटक	9450.00	15714.00	17100.00	49250.00	62085.00
		केरल	0.00	0.00	2240.00	1127.50	566.50
		मध्य प्रदेश	8125.00	9532.50	15132.80	21541.00	22000.00
		महाराष्ट्र	5086.00	4987.50	9702.00	3910.00	13313.40
		मणिपुर	1078.00	2181.00	150.00	936.00	1950.00
		मेघालय	0.00	269.40	551.20	447.00	150.00
		मिजोरम	0.00	143.30	143.30	200.00	75.00
		नागालैंड	0.00	273.00	500.00	500.00	265.90
		उड़ीसा	7150.00	9025.00	10032.00	16847.50	17957.00
		पंजाब	0.00	4200.00	5562.00	11369.00	3666.00
		राजस्थान	14005.00	10666.50	7846.70	9631.50	17438.50
		सिक्किम	0.00	136.00	0.00	240.00	75.00
		तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		त्रिपुरा	397.50	3465.30	1388.30	2106.30	1339.47
		उत्तर प्रदेश	7650.00	28600.00	31590.00	35469.00	35900.00
		उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	2516.25
		पश्चिम बंगाल	1000.00	2500.00	2682.50	3860.80	2813.30

[अनुवाद]

जुराला परियोजना

38. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का कृष्णा नदी पर जुराला परियोजना की भराव क्षमता और आंध्र प्रदेश में और अधिक बहाव को सुनिश्चित करने के लिए राजोलीबंध मार्ग परिवर्तन योजना (आरडीएस) के कार्य निष्पादन के संबंध में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में महबूब नगर के सूखा ग्रस्त किसानों की सहायतार्थ कौन सी कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जैव संसाधित सरसों

39. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार में जैव संसाधित (जी.एम.) सरसों की बिक्री को अनुमति प्रदान कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने जैव संसाधित सरसों पर कुछ आपत्ति जताई है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि जैव संसाधित सरसों का पुरुष प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) मैसर्स प्रोएग्रो सीड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा विकसित टांस्जैनिक सरसों की वाणिज्यिक निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव पर जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने विचार किया और महसूस किया कि "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया परीक्षण अन्तिम नहीं है और संकरण क्षमता, जीन प्रवाह, खर पतवार नाशियों के प्रति सह्यता, सस्यविज्ञानीय उत्कृष्टता आदि जैसे सभी सस्यविज्ञानीय और जैव सुरक्षा मामलों का पता लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा और अधिक परीक्षण किए जाने चाहिए। समिति ने यह भी नोट किया कि चूंकि सरसों खाद्य फसल है अतः स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर और अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

पायलटों का निलंबन

40. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने पायलट हैं जो इस कारण से निलंबित/बरखास्त किए गए कि उन्होंने सार्स के फैलने के कारण कुछ देशों में उड़ान भरने से मना कर दिया था;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उक्त सभी पायलटों को बहाल कर दिया है;

(ग) पायलटों की हड़ताल और टर्बाइन ईंधन के मूल्य में वृद्धि से कितने वित्तीय घाटे का अनुमान है; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और उक्त प्रयासों का क्या परिणाम निकला है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) एयर इंडिया के प्रबंधन ने 46 पायलटों को विभिन्न सेक्टरों पर उड़ानें प्रचालित करने से इंकार करने के कारण निलंबित किया। तथापि, आज की तारीख में किसी भी पायलट को सेवा से बरखास्त नहीं किया गया है। प्रबन्धन ने सभी 46 पायलटों का निलम्बन वापस ले लिया है। तथापि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) एयर इंडिया को अप्रैल–मई, 2003 के दौरान पायलटों की हड़ताल के कारण 3.7 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा हुआ है। कम्पनी ने अंशतः औसत ईंधन के दामों में 11 प्रतिशत की वृद्धि के कारण वर्ष 2001–2002 की तुलना में वित्त वर्ष 2002–2003 के दौरान 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया है।

(घ) भारत सरकार तथा एयर इंडिया प्रबंधन ने एयर इंडिया के प्रचालनों पर विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने तथा यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। एयर इंडिया ने अपनी यू एस ए/यू के/यूरोप की सभी उड़ानों को बरकरार रखा तथा दूसरे सेक्टरों पर केवल कुछ ही उड़ानें रद्द की गयी थीं। एयर इंडिया ने हड़ताली पायलटों के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी आरंभ कर दी है। एयर इंडिया के प्रचालन अब अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य है।

बाल श्रम कल्याण परियोजना

41. **श्री रामशकल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से बाल श्रम

कल्याण परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है क्योंकि इस मामले में किया गया कार्य नगण्य रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारत सरकार, कार्यमुक्त कराए गए बच्चों के लाभार्थ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना नामक दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समितियों को निधियां जारी की जा रही हैं। परियोजना समितियां, केन्द्र को अपनी प्रगति की आवधिक प्रगति रिपोर्टें भेजती हैं। राज्य सरकारों को कार्य विवरणयुक्त उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। आवधिक रिपोर्टें प्राप्त होने और राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत निधियां जारी की जाती है।

[अनुवाद]

निर्माण कार्य के लिए धान के खेत का इस्तेमाल

42. श्री सुरेश कुरुप : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्माण कार्यों के लिए धान के खेत का एक बहुत बड़ा भू-भाग अवैध रूप से भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार ऐसे कितने खेतों को निर्माणकार्य के योग्य बनाया गया है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ऐसी कोई सूचना किसी भी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

किसानों को बीटी कपास के बीजों की आपूर्ति

43. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की एम. मोनसोन्टो को जी ई ए सी से मंजूरी मिलने के बाद इसने लगभग 50,000 किसानों को बीटी कपास के बीजों की आपूर्ति कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन किसानों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या जी ई ए सी द्वारा गठित वैज्ञानिकों की एक टीम ने मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) सरकार का जैव संसाधित बीजों से किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के दौरान 41328 किसानों को निम्नानुसार बी टी कपास की आपूर्ति की गई थी:-

राज्य	किसानों की संख्या
मध्य प्रदेश	2016
गुजरात	13269
महाराष्ट्र	15935
आंध्र प्रदेश	6853
कर्नाटक	2960
तमिलनाडु	295
कुल	41328

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने बीटी कपास का निष्पादन संतोषजनक पाया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूसक कृमियों के नियंत्रण के लिए मण्डलेश्वर में बीटी कपास पर 3 छिडकाव किए गए थे। बॉलवर्म के लिए कोई छिडकाव नहीं किया गया था। केवल दो बार सिंचाई की गई थी।

(च) बी टी कपास के निष्पादन को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा मानिटर किया जाता है।

गन्ना किसानों के लिए पैकेज

44. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री वाई. जी. महाजन :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य के मामले में आए गतिरोध के पश्चात गन्ना किसानों को उभारने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने के न्यूनतम सरकारी मूल्य में कटौती करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के बजट भाषण में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चीनी उद्योग की समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान करेंगे और चीनी उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम प्रस्तावित करेंगे। तदनुसार, इस प्रयोजनार्थ, एक अंतरमंत्रालयी दल गठित किया गया है। जून, 2003 में हुए विचार विमर्श में गन्ना उत्पादकों को गन्ना मूल्य के भुगतान के मुद्दे पर पुनः विचार विमर्श किया गया था और इस पर सहमति थी इस संबंध में अंतरमंत्रालयी दल उपाय सुझायेगा।

(ग) और (घ) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेब उत्पादक

45. **डा. रामचन्द्र डोम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान और अन्य देशों से सेब के सस्ते आयात से कश्मीरी सेब हाशिए पर चले गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिकों को ई पी एफ का लाभ

46. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मात्र 10 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों को ही कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) श्रम कानून का लाभ शत-प्रतिशत श्रमिकों को दिलाने के लिए सरकार की ठोस नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ई पी एफ ओ ऑफिस में ठगों और दलालों की गतिविधियों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए ई पी एफ ओ में दलालों और ठगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राजस्थान क्षेत्र के 8.82 लाख सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, प्रतिष्ठानों और उद्योगों की 180 श्रेणियों पर लागू होता है जिनमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। 20 या उससे कम कर्मचारी नियोजित करने वाले और अभी भी सरकार की अधिसूचना द्वारा दायरे में न लिए गए प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की परिधि में नहीं आते।

(ग) कार्यबल का एक बड़ा प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

नियोक्ता – कर्मचारी संबंध की सम्बद्धता पर प्रचालित होता है, जिसे असंगठित क्षेत्र में निश्चित करना अक्सर कठिन होता है।

(घ) और (ङ) जब भी ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है तब कड़ी कार्रवाई की जाती है। सुविधा केन्द्रों पर शिकायत पेटिकाएं रखी गयी हैं तथा नियोक्ताओं और साथ ही कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जन संपर्क अधिकारी/सहायक भविष्य निधि आयुक्त और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से सम्पर्क करने से पूरे अवसर दिए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले ही एक पारदर्शी लोक शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की हैं।

[अनुवाद]

परम्परागत जलाशयों का संरक्षण

47. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्व रिकार्ड में विधिवत् दर्ज परम्परागत जलाशयों, तालाबों, झीलों के संरक्षण और उनके परम्परागत स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई ठोस कार्य नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जलनिकायों के संरक्षण और सुरक्षा सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं का रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राजस्व अभिलेखों का रख रखाव भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अतः पारंपरिक जलनिकायों, तालाबों, झीलों इत्यादि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए किसी भी कार्रवाई योजना को तैयार करने संबंधी सूचना संबंधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध है।

सब्जी का उत्पादन

48. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में सब्जी की राज्यवार उत्पादन और वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई;

(ख) अन्य विकसित देशों की तुलना में **देश** में सब्जी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कितनी है; और

(ग) देश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि सब्जी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान देश में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित उपलब्ध राज्य–वार सूचना संलग्न विवरण–। में दी गई हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि दर निम्नवत् हैं:–

वर्ष	उत्पादन (मि.मी. टन)	वृद्धि दर %
1998–1999	87.5	16.97
1999–2000	91	3.76
2000–2001	94	3.30

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान भारत में सब्जियों की औसत प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 76.14 कि.ग्रा. थी। विश्व औसत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 126.10 कि.ग्रा. थी। विभिन्न देशों में सब्जियों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है।

(ग) सरकार बागवानी उत्पादों के शीतागार/भण्डार के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता से संबंधित एक स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के जरिए 716 शीतागारों में 31.79 लाख मी. टन. की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है।

विवरण-।

सब्जियों का राज्य–वार उत्पादन

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्पादन (000' मी. टन में)		
	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3541.2	2839.1	3147.7
अरूणाचल प्रदेश	80.9	80.9	83.7
असम	2834.8	3089.4	2693.1
बिहार	9418.4	9548.8	10219.7
छत्तीसगढ़	-	-	1146.3

1	2	3	4
दिल्ली	651.9	651.9	862.7
गोआ	70.0	70.0	76.0
गुजरात	3255.0	2647.0	3070.8
हरियाणा	1850.0	2094.5	2191.5
हिमाचल प्रदेश	606.4	6660.9	734.2
जम्मू-कश्मीर	606.9	584.4	757.9
झारखण्ड	-	-	2109.5
कर्नाटक	4944.9	6796.9	5763.0
केरल	2857.2	2857.1	2530.9
मध्य प्रदेश	3276.2	3632.0	3501.9
महाराष्ट्र	4479.5	4828.6	5142.0
मणिपुर	45.0	53.1	67.4
मेघालय	308.7	252.9	303.6
मिजोरम	62.4	56.3	47.3
नागालैण्ड	313.3	235.7	253.6
उडीसा	10087.1	9096.0	8089.1
पंजाब	1906.3	2285.0	2310.0
राजस्थान	396.1	472.6	386.4
सिक्किम	42.2	43.0	59.7
तमिलनाडु	5704.8	5660.3	6011.0
त्रिपुरा	232.8	232.8	328.1
उत्तरांचल	840.7	733.2	1138.1
उत्तर प्रदेश	12680.6	13842.4	13030.4
पंजाब	16367.4	17413.8	17779.4
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	15.8	15.8
चंडीगढ़	11.5	1.2	1.7
दादर एवं नागर हवेली	13.5	13.5	13.5
दमन एवं दीव	1.0	1.1	1.1
लक्ष्यद्वीप	-	0.2	0.2
पाण्डिचेरी	33.5	32.6	54.2
कुल	87536.0	90823.0	93921.5

विवरण-II

वर्ष 2001 में भारत और अन्य देशों में सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

सब्जियाँ	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि.ग्रा./व्यक्ति/वर्ष
विश्व	126.10
चीन	275.86
भारत	76.14
संयुक्त राज्य अमेरिका	126.54
तुर्की	357.30
इटली	267.30
मिश्र	200.51
जापान	97.89
रसियन फैडरेसन	94.94
कोरिया गणराज्य	259.95
स्पेन	302.14
ईरान इस्लामिक गणतंत्र	160.71
मैक्सिको	95.04
फ्रांस	132.65
नाइजीरिया	67.72
ब्राजील	41.29
इण्डोनेशिया	34.33
यूक्रेन	120.29
पोलैण्ड	143.12

स्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन

महाराष्ट्र ग्रामीण जल और सफाई परियोजना चरण-II

49. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 16 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ङ) सितम्बर 2001 में महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना चरण–।। के लिए संभावित निधिकरण हेतु अनुमानित 1000 करोड़ रु. का एक प्रस्ताव विश्व बैंक के सामने रखा गया था जिसमें से 75 प्रतिशत धन विश्व बैंक तथा भारत सरकार के निधिकरण के लिए है। परियोजना तैयार करने के लिए नीति एवं मानव संसाधन विकास (पी एच आर डी) अनुदान जो 420,000 अमेरिकी डालर का था पर विश्व बैंक के साथ फरवरी, 2002 में हस्ताक्षर हुए एवं तत्पश्चात विश्व बैंक के मिशनों ने मई तथा दिसम्बर, 2002 में परियोजना निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा किया।

विश्व बैंक के साथ महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना चरण–II के लिए विचार–विमर्श 3–8 जुलाई 2003 के बीच हुए। इस बात पर सहमति हुई कि परियोजना की कुल लागत 268.6 मिलीयन (लगभग) अमेरिकी डालर में से 181 मिलीयन (लगभग) अमेरिकी डालर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश की इचमपल्ली और पोलवरम परियोजनाएं

50. **श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में इचमपल्ली परियोजना और ईस्ट गोदावरी जिले की पोलवरम परियोजना लम्बे समय से लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग (सी. डब्ल्यू. सी.) को दो हिस्सों में अप्रैल, 1983 और मई 1985 में प्रस्तुत की। राज्य सरकार ने इंचमपल्ली परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी केन्द्रीय जल आयोग को अक्तूबर, 1988 में प्रस्तुत की। इंचमपल्ली और पोलावरम परियोजनाओं में न केवल अन्तर्राज्यीय और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं बल्कि इन परियोजनाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता भी तय की जानी है। जल संसाधन मंत्रालय ने इन परियोजनाओं की आयोजना में शामिल अन्तर्राज्यीय पहलुओं के समाधान के लिए जुलाई, 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने जल संसाधन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, इन दोनों परियोजनाओं में शामिल अन्तर्राज्यीय मुद्दों का अभी समाधान किया जाना है।

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना पर निर्भर करती है।

सूखा राहत कार्यों के लिए अनुदान के रूप में आंध्र प्रदेश को चावल का स्टॉक

51. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वहां चलाए जा रहे सूखा राहत कार्यों के लिए अनुदान के रूप में चावल का और स्टॉक देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 लाख टन चावल की आपूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सभी संगत कारकों को देखते हुए सूखे संबंधी कार्यबल ने जुलाई के महीने में राहत रोजगार हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक से आंध्र प्रदेश को निःशुल्क 2.20 लाख मी. टन चावल का आबंटन अनुमोदित किया है। इससे सूखे की स्थिति में राज्य को किया गया कुल आबंटन 17.20 लाख मी. टन हो गया है।

क्षतिग्रस्त टायरों का उपयोग

52. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलायंस एयर ने बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में छह बार रीट्रीडिंत टायर का प्रयोग किया था जिसे सेना द्वारा मई, 2003 में लेह से अपने सैनिकों को लाने हेतु किराये पर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वह टायर उड़ान भरने के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था जिसकी वजह से 93 यात्रियों को ले जा रहे उस विमान की इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी;

(ग) क्या विमानों में रीट्रीडित टायरों के प्रयोग के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस गंभीर लापरवाही हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई जांच करवायी गयी है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) इस गंभीर लापरवाही के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विमान ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित एहतियाती अवतरण किया था।

(ग) और (घ) जी हां। रिट्रेड टायरों का इस्तेमाल विमानन उद्योग की एक सामान्य प्रक्रिया है। इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर के विद्यमान निर्देशों के अनुसार बी-737 विमानों में 6 बार रिट्रेड किए गए टायरों का उपयोग किया जा सकता है।

(ङ) से (छ) जांच के दौरान यह पाया गया है कि टायर खराब होने की घटना संदेहास्पद फॉरेन ऑब्जैक्ट डैमेज (एफओडी) अथवा मैटीरियल फेलियर के कारण हुई थी। उपरोक्त उड़ान के रखरखाव/उड़ान प्रचालनों में विहित व्यक्ति/व्यक्तियों की (ओर से) कोई लापरवाही नहीं पायी गयी।

[हिन्दी]

पर्यटकों का आना

53. **डा. अशोक पटेल :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अपरिवर्तित रही है; जबकि विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत आए और कितने भारतीय पर्यटक विदेश गए; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ और विदेश यात्रा पर भारतीय पर्यटकों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान, भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों एवं विदेश के विभिन्न देशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या इस प्रकार है:-

(मिलियन में)

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	विदेश गए भारतीयों की संख्या
2001	2.54	4.56
2002	2.36	4.62

(ग) वर्ष 2001 एवं 2002 के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "ट्रैवल" शीर्ष के अंतर्गत अनुमानित विदेशी मुद्रा आगमन एवं बहिर्गमन इस प्रकार है:-

वर्ष	विदेशी मुद्रा आगमन (करोड़ रुपयों में)	विदेशी मुद्रा बहिर्गमन (करोड़ रुपयों में)
2001	14344	12103
2002	14195	14298

[अनुवाद]

सामुदायिक वन प्रबंधन

54. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए कतिपय योजनाओं के माध्यम से धन प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके अंतर्गत किन–किन क्षेत्रों को लाया गया है;

(घ) क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऐसी योजना के लिए किसी प्रकार का ऋण प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, विशेषकर उड़ीसा के मामले में इसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सामुदायिक वन प्रबंधन की कोई विशेष योजना नहीं है। हालांकि, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों में वन विकास अभिकरणों को संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा पुनरूद्भव एवं वनों और संबंधित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी विकास के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) राज्यवार स्वीकृत किए गए वन विकास अभिकरण (एफडीए) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) की संख्या तथा उनके अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन अमरीकी डालर दिए हैं। इस परियोजना को 2002–03 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उड़ीसा में सामुदायिक वन प्रबंधन योजना के लिए ऋण नहीं दिया है।

विवरण

गत दो वर्षों में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई राज्यवार परियोजनाएं और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं		जेएफएमसी की सं.		है. में कवर किया क्षेत्र (10वीं योजना के दौरान)	
		01–02	02–03	01–02	02–03	01–02	02–03
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	12	50	565	2000	21090
2.	छत्तीसगढ़	2	10	41	345	1950	15670
3.	गुजरात	1	7	26	264	1500	12415
4.	हरियाणा	7	2	365	96	9400	3405
5.	हिमाचल प्रदेश	2	1	97	35	2950	1520
6.	जम्मू–कश्मीर	4	15	200	490	4580	28204
7.	कर्नाटक	1	29	25	1016	625	42755
8.	मध्य प्रदेश	7	18	358	498	20300	32650
9.	महाराष्ट्र	4	8	166	323	4003	18325
10.	उड़ीसा	1	23	41	917	820	39636
11.	पंजाब	1	0	50	0	650	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राजस्थान	1	6	15	159	1250	12550
13.	तमिलनाडु	1	12	30	425	2500	23000
14.	उत्तर प्रदेश	5	25	179	816	7344	33615
15.	उत्तरांचल	1	3	44	457	815	4122
16.	गोवा**	0	0	0	0	0	0
17.	झारखंड	0	3	0	159	0	5700
18.	बिहार	0	0	0	0	0	0
19.	केरल	0	6	0	88	0	6150
20.	पश्चिम बंगाल	0	5	0	481	0	9470
21.	अरूणाचल प्रदेश	3	5	59	131	3846	11030
22.	असम	0	0	0	0	0	0
23.	मणिपुर	0	7	0	149	0	11674
24.	नागालैंड	3	10	94	182	4130	14900
25.	सिक्किम	1	5	43	171	2100	12350
26.	त्रिपुरा	1	8	16	184	800	16400
27.	मिजोरम	0	18	0	260	0	26170
28.	मेघालय**	0	0	0	0	0	0
	कुल	47	238	1899	8211	71563	402801

**राज्यों द्वारा एफ डी ए तंत्र को अभी स्वीकृत करना है।
जे एफ एम सी : संयुक्त वन प्रबंधन समिति।

एरियोफाइड माइट ऑन कॉकोनट पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला

55. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में एरियोफाइड माइट ऑ कॉकोनट विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें मुख्य रूप से क्या सिफारिशें की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यशाला में की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों और इनके क्रियान्वयन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) एरियोफाइड माइट ऑन कॉकोनेट पाम के कारगर हेल्थ मैनेजमेंट के संबंध में सरकार/नारियल विकास बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) नारियल की खेती से आय बढ़ाने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं; तो उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में नारियल उत्पादक देशों के बीच सूचना और प्रौद्योगिकियों के आदान–प्रदान के जरिए एरियोफाइड माइट के प्रभावी प्रबंधन हेतु कार्यनीतिक

योजना तैयार करने के लिए दिनांक 5 से 7 अप्रैल, 2003 तक बंगलौर में नारियल विकास बोर्ड और एशिया और प्रशान्त नारियल समुदायों द्वारा संयुक्त रूप से नारियल माइट पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(ख) कार्यशाला की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(i) वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर फार्म स्तर पर नारियल किसानों की आय में सुधार के लिए आवश्यक कार्यनीतिक दृष्टिकोण।

(ii) माइट प्रबंधन में किसानों के ज्ञान और दक्षता के त्वरित उन्नयन के जरिए माइट के प्रबंध हेतु समेकित सामुदायिक प्रयास की तत्काल आवश्यकता है।

(iii) सूचनाओं के शीघ्र आदान-प्रदान, कार्यनीतिक प्रबंध और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

(iv) किसानों को बेहतर समझ के लिए कम्पैक्ट ब्लाक एप्रोच के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में माइट के प्रबंधन हेतु बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शन ताकि किसान इसे अपना सकें।

(v) एरियोफाइड माइट के प्रबंधन के बारे में स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण पुस्तिका निकालने पर जोर दिया जाए।

(vi) निरूपण, अनुप्रयोग के समय और प्रणाली और अन्य संबंधित फसल मौसम और कृमि कारकों के संबंध में जैव-विज्ञानीय एजेंट हिरसुरेला थम्पोसोनी के उपयोग पर गठन अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

(vii) जैविक पुनः चक्रण के साथ संतुलित पोषक तत्व और पर्याप्त नमी द्वारा पाम के स्वास्थ्य का प्रभावी प्रबंध।

(viii) उन स्थितियों में रासायनिक/वानस्पतिक कृमिनाशियों के उपयोग की सिफारिश की जाती हैं जहां माइट की संख्या न्यूनतम आर्थिक स्तर से अधिक हो जाती है। तथापि, इसके लिए सतर्क किया गया कि अविवेकपूर्ण ढंग से रसायनिक कृमिनाशियों का उपयोग न किया जाए। लहसुन के सत्व, नीमजल जैसे वाणिज्यिक उपोत्पादों के साथ-साथ नीम के तेल के उपयोग की सिफारिश की गई।

(ix) तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, अन्य देशों में वैज्ञानिकों और विकास कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जहां अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है, पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) सिफारिशों को क्रियान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकारों और अनुसंधान संस्थानों को भेज दिया गया है।

(ङ) नारियल में एरियोफाइड माइट के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नलिखित है:-

(i) जैव विज्ञानीय उपायों के जरिए माइट पर नियंत्रण हेतु जैव एजेंट विकसित करने हेतु जैव वैज्ञानिक नियंत्रण परियोजना निदेशालय के जरिए 3.00 लाख रु. की लागत से नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक अनुसंधान परियोजना/हिरसुरेला थोम्पसोनी आधारित बायो एजेंट नामतः "माइकोहिट" विकसित किया गया है। प्रभावित और जैव सुरक्षा हेतु खेत में इसका परीक्षण किया जा रहा है। बोर्ड ने इस पहलू पर आगे और अधिक अनुसंधान करने के लिए पी.डी.बी.सी. को 6.65 लाख रु. भी निर्मुक्त किए हैं;

(ii) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से नारियल विकास बोर्ड द्वारा किसानों के बीच जागरूकता अभियान, विचारगोष्ठी, सामूहिक चर्चा आयोजित की गई;

(iii) नारियल विकास बोर्ड ने विभागीय कर्मचारियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण का संचालन किया और नेट पर माइट से संबंधित सूचना तक पहुंच हेतु वैबसाइट विकसित की;

(iv) नारियल माइट पर अनुसंधान कार्य हेतु राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अन्तर्गत 142.45 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है;

(v) नारियल माइट के प्रबंध हेतु उपयुक्त नियंत्रक उपाय करने तथा प्रौद्योगिकी संस्तुत करने में प्रयासों की समीक्षा एवं समन्वयन हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया था। यह समिति आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा कर रही है। समिति ने समग्रतावादी दृष्टिकोण की सिफारिश की है जिसमें माइट से प्रभावित नारियल बागानों की व्यवस्था करने के लिए पोषक तत्वों की स्थिति में सुधार, वानस्पतिक और जैव कृमिनाशियों का उपयोग शामिल है;

(vi) नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान नारियल माइट के नियंत्रण हेतु केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 57.99 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई।

(च) नारियल किसानों की आय बढ़ाने के लिए गहन नारियल कृषि प्रणाली को बढावा दिया जा रहा है। ताकि वे प्रति यूनिट क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त कर सकें। राज्य सरकारों को ऐरियोफाइड माइट के प्रबंध हेतु अंतः फसलन और मिश्रित फसलन सहित समेकित कृमि प्रबंध पद्धतियों के प्रदर्शन के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा हेतु प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तथा नारियल के किसानों हेतु लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य कार्यक्रम सुनिश्चित

करती है। वर्ष 2003 के लिए मिलिंग कोपरा हेतु 3325 रु. प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 3575/- रु. प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी

56. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात शिष्टमंडल के हाल के दौरे में रूसी शिष्टमंडल के साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की अनुषंगी इकाई इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (आई आई एस सी ओ) के मामले में और अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) इस्पात राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय इस्पात प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे पर रूसी सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टीपीई) के साथ संयुक्त उद्यम में इस्को का पुनरूद्धार, भिलाई इस्पात संयंत्र की बकाया राशि का निपटान तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) का रोमेल्ट प्लांट स्थापित करना शामिल था। इस्को के पुनरूद्धार के संबंध में यह सहमति हुई कि मैसर्स टीपीई प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा और इसकी संभावना दो माह में रूसी फैडरेशन सरकार को बताएगा जो इस विषय के संबंध में हुई किसी प्रगति के बारे में भारत सरकार को सूचित करेगा।

विमान सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

57. **श्री वी. वेत्रिसेलवन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन नीति घरेलू विमान सेवा में 40% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढाने के लिए नागर विमानन नीति में कब तक परिवर्तन लाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा गठित एफ डी आई संबंधी स्टीयरिंग कमेटी ने अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू एयरलाइंस सेक्टर में एफ डी आई की सीमा में 40% से 49% तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। सरकार ने अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

सूखाग्रस्त कर्नाटक के लिए सहायता

58. **श्री आर. एस. पाटिल** :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूखाग्रस्त कर्नाटक को वर्षवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ख) क्या कर्नाटक इस समय लगातार तीसरे वर्ष भी सूखे का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या जून माह के दौरान कर्नाटक सरकार के एक शिष्टमंडल ने सहायता हेतु केन्द्र से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य के कुछ भागों में सूखे की स्थिति की सूचना दी थी। वर्ष 2001-02 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 58.72 करोड़ रुपये तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत निशुल्क 1.00 लाख मी. टन खाद्यान्न राज्य को दिया गया। वर्ष 2002-03 के सूखे के लिए 61.66 करोड़ रुपये का आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 207.65 करोड़ रु. की सहायता तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अन्तर्गत निशुल्क 6.65 लाख मी. टन. खाद्यान्न राज्य को दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। जुलाई 2003 तक राहत रोजगार के लिए राज्यों को 0.55 लाख मी. टन अतिरिक्त खाद्यान्न राज्य को दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2002–03 के सूखे हेतु राज्य के लिए कुल खाद्यान्न आबंटन 7.20 लाख मी. टन हो गया है।

[हिन्दी]

रांची विमानपत्तन पर कार्य

59. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची विमानपत्तन की भूमि रक्षा मंत्रालय की है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप विस्तार संबंधी कार्य और कतिपय अन्य कार्य विमानपत्तन पर पूरे नहीं किये जा सके हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने इस आशय के संबंध में रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रक्षा मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं। रांची हवाईअड्डे की भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जल विवादों के कारण बंद परियोजनाएं

60. **श्री जे. एस. बराड़ :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के बीच जल विवादों के कारण बंद हुई चालू परियाजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में उठने वाले किसी भी विवाद का समाधान आपसी विचार–विमर्शों इत्यादि के माध्यम से किया जाता है/जा रहा है।

जल संकट

61. **श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश पर मंडरा रहे जल संकट की जानकारी है जिसके परिणाम स्वरूप कानून और व्यवस्था तथा स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सरकार को असमान भौगोलिक विस्तार के परिणामस्वरूप होने वाली गंभीर क्षेत्रीय और अस्थाई कमियों की स्थिति की जानकारी है हालांकि भारत को वार्षिक वर्षा और कुल जल संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। जल विवादों के कारण कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या के कुछ दृष्टांत देखने में आए हैं।

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने, प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने तथा निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन में तीव्रता लाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, जिसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों की तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, जैसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए है। जल की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के वास्ते एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित करने के लिए हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

बी. टी. कॉटन हाइब्रिड्स का उपयोगिता संबंधी परीक्षण

62. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

श्री शिवाजी माने :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के उत्तरी भागों में बी. टी. कॉटन हाईब्रिड्स के उत्पादन के मद्देनजर इसका उपयोगिता संबंधी परीक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परीक्षणों को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस परीक्षण के पूरा होने तक उत्तरी भारत मे बी. टी. कॉटन की पैदावार के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की बी.टी. कॉटन प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में क्या नीति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2003 के खरीफ मौसम में अखिल समन्वित कपास सुधार परियोजना (अ.भा.स.क.सु.प.) के माध्यम से उत्तरी भारत के तीन राज्यों नामतः पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में आठ बी टी कपास संकरों का मूल्यांकन कर रही है। ये केन्द्र हैं :

1. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
2. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, फरीदकोट
3. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
4. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र, सिरसा
5. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर

(ग) अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना (अ.भा.स.क.सु.प.) प्रणाली के अंतर्गत दो वर्षीय बहुस्थानिक परीक्षण सामान्यतः परिणामों के विचार के लिए बीटी कपास संकरों हेतु आवश्यक होते हैं।

(घ) जी, नहीं। उत्तरी भारत में बी टी कपास की उपज से संबंधित निर्णय दो वर्षीय बहुस्थानिक परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

(ङ) जी, प्रश्न नहीं उठता।

(च) कपास में बी टी प्रौद्योगिकी अमेरिकी डोडा कृमि के कारण हुए नुकसान के विरूद्ध प्रतिरोधिता/सहिष्णुता लाने के लिए उपयोगी है। यह आशा की जाती है कि यह प्रौद्योगिकी किसानों के खेत की परिस्थितियों के अधीन बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए स्थान–विशिष्ट और सस्यीय प्रमाणित कपास जीनोटाइपों में रखी जानी चाहिए। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) ने देश के केन्द्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र संकर बीज कम्पनी के तीन बी टी कपास संकरों की वाणिज्यिक खेती का अनुमोदन कर दिया है।

विमान किराये में वृद्धि

63. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व देशों के अनिवासी भारतीयों से एयर इंडिया द्वारा विमान किराये में की गई अनुचित वृद्धि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया द्वारा वसूल किया जा रहा वर्तमान किराया अन्य देशों की एयर लाइनों से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रवासियों के ग्यारह कुवैत में बसे सामाजिक संगठनों ने फरवरी, 2003 से प्रभावी कुवैत–भारत सेक्टर पर किराया वृद्धि के बारे में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कुवैत से भारत के लिए इस वर्ष फरवरी से प्रभावी विमान किराए में कुवैत एयरवेज की अध्यक्षता में यील्ड इम्प्रूवमेंट कमेटी के फैसलों के कारण वृद्धि हुई थी। एअर इंडिया सहित, कुवैत से बाहर से प्रचालन करने वाली सभी एयरलाइनों ने इसका अनुसरण किया।

जल संरक्षण

64. श्री राजैया मल्याला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में झीलें और तालाब तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान सभी झीलों और तालाबों की गाद निकाल कर और नयीं झीलें और तालाब खोद कर नष्ट हो रहे जल का संरक्षण करने हेतु जल संरक्षण की स्थिति को सुधारने के लिए कौन–कौन से कदमों का प्रस्ताव किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) अधिकांश झीलें और तालाब आकार में सिकुड़ते जा रहे हैं और उन पर विभिन्न प्रकार के जैविक दबाव बढ़ रहे हैं।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण उपायों सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने तालाबों, झीलों और नदियों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का परिरक्षण करने तथा देश में जल निकायों की गुणवत्ता में सुधार/पुनरूद्धार करने के लिए अनेक उपाय किये है। भोजन, चारा, ईंधन और घरेलू, सिंचाई और प्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल मुहैया कराने के लिए स्वच्छ जल निकायों के महत्व को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने झीलों और तालाबों को पुनरूद्धार करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। संरक्षण और प्रबंधन के लिए अब तक ऐसी 24 आर्द्र भूमियों को अभिज्ञात किया जा चुका है। संबंधित राज्य सरकार को सर्वेक्षण और भूमि सीमांकन, खर पतवार नियंत्रण, आवाह क्षेत्र सुधार, गाद हटाने, जैव विविधताओं के संरक्षण, प्रदूषण उपशमन, शिक्षा संबंधी जागरूकता, सामुदायिक विकास, आदि जैसी विविध गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

विभिन्न राज्यों में राज्य संचालन समितियां गठित की गई है। इन समितियों के मुख्य सचिव अध्यक्ष है तथा राज्य सरकार के विभागों के सदस्य होते हैं तथा इसमें गैर–सरकारी संगठन/शिक्षाविद भी शामिल हैं। इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, आर्द्र भूमि जिसकी स्थिति शहरीकरण और अन्य मानवीय क्रियाकलापों के कारण विकृत हो गई है उसके लिए एक अलग कार्यक्रम–राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रारंभिक स्तर पर 10 झीलों की पहचान की गई हैं।

[हिन्दी]

बजटीय आबंटन में कमी

65. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, वर्षा जल संचयन और जल सुधार पर होने वाला व्यय वर्ष 1997–98 में कुल बजटीय आबंटन का 7.30 प्रतिशत था जिसे वर्ष 2002–03 के दौरान घटाकर 5.55 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त गिरावट के कारण देश में जल की समस्या गंभीर हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय है और सभी प्रकार की सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमें राज्यों द्वारा उनके अपने राज्य योजना आबंटनों से पूरी की जाती हैं। वर्ष 1997–98 के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में हुआ व्यय कुल राज्य योजना आबंटनों का 16.82% था जबकि, वर्ष 2002–03 के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय 16.23% था। इस प्रकार सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर राज्य योजना के व्यय में वर्ष 1997–98 की तुलना में वर्ष 2002–03 में कोई विशेष कमी नहीं आई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई योजनाएं

66. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने विदेशी सहायता के लिए केन्द्र सरकार को कितनी सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक योजना पर क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस समय कौन–कौन सी राज्य सरकारें विदेशी सहायता प्राप्त कर रही हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण अभिकरणों से सहायता के वास्ते प्राप्त 16 स्कीमों पर इस समय जल संसाधन मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। जिसमें से, 4 स्कीमें तकनीकी–आर्थिक कार्य रूप से व्यवहार्य पाई गई और इसलिए संबंधित वित्तपोषण अभिकरणों को प्रस्तुत करने के वास्ते आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार से सिफारिश की गई है। अन्य स्कीमों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ पत्राचार चल रहा है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति और उन्हें आर्थिक कार्य विभाग को भेजा जाना राज्य सरकारों द्वारा दाता अभिकरणों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की अनुपालना पर निर्भर करता है।

(ग) इस समय, वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश सरकारें विभिन्न वित्त पोषण अभिकरणों से बाह्य सहायता प्राप्त कर रही हैं।

अर्लम फार्म केरल को सौंपा जाना

67. **श्री पी. राजेन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "अर्लम फार्म" केरल सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने भारत सरकार से केन्द्रीय राज्य फार्म अर्लम को आपस में सहमति से तय हुई लागत पर लेने का प्रस्ताव दिया है ताकि इसकी आधी भूमि को जनजातियों के पुनर्वास के लिए और शेष भूमि का फार्म के रूप में उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार मजदूरों/कर्मचारियों को, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के उपरान्त, बचे कर्मचारियों को लेने के लिए सहमत हो गई है क्योंकि फार्म के लाभकारी स्थिति में कार्य करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक भी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूजल का दोहन

68. **श्री अशोक ना. मोहोल : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों ने भूजल का आवश्यकता से अधिक दोहन किया है जिसके परिणामस्वरूप जल स्तर गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश तैयार किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सिंचाई के लिए राज्यवार कितने प्रतिशत भूजल का दोहन किया गया है;

(ङ) देश में भूजल के दोहन से राज्य–वार कितने क्षेत्र की सिंचाई की जाती है; और

(च) सरकार ने भूजल स्तर को ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखण्ड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ स्थलों के भू जल स्तरों में महत्वपूर्ण गिरावट पाई गई है।

(ख) और (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, भू–जल के विकास को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक मॉडल बिल तैयार किया गया था जिसे वर्ष 1970 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था ताकि वे इस संबंध में उपयुक्त कानून बना सकें। इस माडल बिल को संशोधित किया गया और वर्ष 1992 तथा 1996 से इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः परिचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, देश में भूजल प्रबंधन और विकास को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण का गठन भी किया गया है।

(घ) और (ङ) भू जल से सृजित सिंचाई क्षमता और सिंचाई के लिए इसके उपयोग का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(च) केन्द्र सरकार ने देश में भूजल के पुनर्भरण के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं:—

(i) देश में भू जल पुनर्भरण अध्ययन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन करना।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/दिशा–निर्देश परिचालित करना ताकि वे भू जल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठयक्रमों का आयोजन करना।

(iv) वर्षा जल संचयन संबंधी विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भण्डार के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से छत के वर्षा जल संचयन संबंधी एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबीइण्डिया.काम.) प्राप्त करना।

विवरण

भूजल से सृजित सिंचाई क्षमता
(मार्च, 2002 तक संभावित)

(मि. हैक्ट.)

क्र.सं.	राज्य	उपयोज्य सिंचाई क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	सिंचाई के लिए प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत
		मि.हैक्टे.	मि.हैक्टे.	मि.हैक्टे.	%
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3.960	3.311	2.365	59.72
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.018	0.001	0.001	5.56
3.	असम	0.900	0.442	0.284	31.56
4.	बिहार	4.947	4.033	2.547	51.48
5.	गोवा	0.029	0.004	0.004	13.66
6.	गुजरात	2.756	2.418	1.785	64.77
7.	हरियाणा	1.462	2.379	2.240	153.25
8.	हिमाचल प्रदेश	0.068	0.027	0.021	30.66
9.	जम्मू – कश्मीर	0.708	0.013	0.011	1.55
10.	कर्नाटक	2.574	1.321	1.031	40.07

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	0.879	0.177	0.170	19.33
12.	मध्य प्रदेश	9.732	4.167	3.090	31.75
13.	महाराष्ट्र	3.652	3.549	2.469	67.61
14.	मणिपुर	0.369	0.001	0.001	0.27
15.	मेघालय	0.063	0.002	0.001	1.57
16.	मिजोरम	0.005	0.001	0.001	20.00
17.	नागालैंड	0.005	0.001	0	0
18.	उड़ीसा	4.203	0.555	0.350	8.33
19.	पंजाब	2.917	6.925	6.303	216.07
20.	राजस्थान	1.778	4.511	4.032	226.79
21.	सिक्किम		आकलित नहीं		
22.	तमिलनाडु	2.832	2.301	1.334	47.10
23.	त्रिपुरा	0.081	0.013	0.010	12.41
24.	उत्तर प्रदेश	16.799	16.349	13.574	80.80
25.	पश्चिम बंगाल	3.318	2.239	1.597	48.13
	कुल राज्य	64.055	54.74	43.221	67.47
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.116	0.066	0.065	56.03
	कुल जोड़	64.171	54.806	43.286	67.45

स्रोतः सिंचाई प्रभाग, जल संसाधन मंत्रालय की "लघु सिंचाई संबंधी दसवीं योजना (2002-2007) के प्रस्तावों को तैयार करने संबंधी कार्य दल की मसौदा रिपोर्ट"

विदेशी धन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा

69. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी धन से देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर विदेशी वित्त संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) से (ग) मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अल्कोहल युक्त पेयों और लघु उद्योग क्षेत्र हेतु आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को स्वचालित मार्ग के तहत रखा गया है। विदेशी वित्त संस्थाओं से निधिकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का भुगतान

70. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों को अपनी चीनी विकास निधि से बकाया धनराशि का भुगतान करने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की मिल मालिकों पर कितनी धनराशि देय है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2003–04 के बजट भाषण में, अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया था कि खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चीनी उद्योग की समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान करेंगे और चीनी उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम प्रस्तावित करेंगे। तदनुसार, इस प्रयोजनार्थ, एक अंतरमंत्रालयी दल गठित किया गया है। जून, 2003 में हुए विचार विमर्श में गन्ना उत्पादकों को गन्ना मूल्य के भुगतान के मुद्दे पर पुनः विचार विमर्श किया गया था और इस पर सहमति थी कि इस संबंध में अंतरमंत्रालयी दल उपाय सुझायेगा। उत्तर प्रदेश में (2.5.2003 की स्थिति के अनुसार) गन्ना उत्पादकों के संबंध में गन्ना मूल्य बकायों से संबंधित स्थिति इस प्रकार है:–

(करोड़ रु. में)

2002–03		
(i)	संदेय गन्ना मूल्य	4114.40
(ii)	प्रदत्त गन्ना मूल्य	2509.99
(iii)	बकाया	1604.41
(iv)	संदेय शेष मूल्य की प्रतिशतता	38.99

[हिन्दी]

कीटनाशकों के उपयोग संबंधी कानून

71. श्री पदमसेन चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के उपयोग के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए एक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कानून को कब तक बनाये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कीटनाशकों के उपयोग के परिणामस्वरूप पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 तथा खाद्य अपमिश्रण रोकथाम, अधिनियम, 1954 के अधीन पहले से ही पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। अतः उपर्युक्त प्रयोजनार्थ अलग से कोई कानून बनाए जाने की जरूरत नहीं है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परागोडु और अपर तुंगा परियोजनाओं का निरीक्षण

72. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह तुंगभद्रा बेसिन में परागोडु और अपर तुंगा परियोजना का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनिधियों को निर्देश दें; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिनांक 15.6.2003 के अपने पत्र में माननीय प्रधानमंत्री से तुंगभद्रा बेसिन में चित्रावती नदी पर परगोडु परियोजना तथा ऊपरी तुंगा परियोजना का निरीक्षण करवाये जाने का अनुरोध किया है।

(ख) सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ दिनांक १६ जून, २००३ को परागोडु परियोजना स्थल का दौरा किया है। उन्होंने क्रमशः १५ जून, २००३ और १६ जून, २००३ को हैदराबाद ओर बंगलौर में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी की और इन बैठकों में तुंगभद्रा बेसिन में चित्रावती नदी और ऊपरी तुगा परियोजना पर परागोडु परियोजना पर चर्चा की। केन्द्रीय जल आयोग ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.6.2003 को नई दिल्ली में दूसरी अंतर्राज्यीय बैठक बुलाई है जिसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कृषि में नकारात्मक वृद्धि

73. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री बी. के. पार्थसारथी :

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वित्त वर्ष में कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण सामान्य वर्ष के तेरह वर्षों के पश्चात् कम मानसून का आना बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में कौन–कौन से कदम उठाने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जून, 2003 में जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि में सम्बद्ध क्षेत्रों सहित वृद्धि दर पिछले वर्ष में 5.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002–03 में (–)3.2 प्रतिशत है।

(ख) देश के अनेक भागों में भयंकर सूखे के कारण वर्ष 2002–03 में कृषि में नकारात्मक वृद्धि है। वर्ष 2002 में 14 अच्छे मानसूनों के पश्चात पहला अखिल भारत सूखा वर्ष था। इससे पहले 1987 अखिल भारत सूखा वर्ष था।

(ग) मानसून के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा सभी क्षेत्रों में अतिकालिक सूखा स्थितियों में कृषि की संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित जैसे कई दीर्घावधिक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:–

(i) चल रही मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.);

(ii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.);

(iii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.);

(iv) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.);

(v) समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.);

(vi) समेकित वनरोपण एवं परिस्थितिकी विकास परियोजना (आई.ए.ई.पी.एस.)।

गंगा अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में कमरों का आबंटन

74. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. ए. आर. आई., नयी दिल्ली में गंगा अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में कितने समय के लिए कमरे आबंटित किए जाते हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) के कुछ उच्च स्तर के अधिकारी वहां पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से ठहरे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अतिथि गृह में कमरों के आबंटन के मामले में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन हो, क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार अतिथि गृह में जगह सामान्यतः 10 दिन की अवधि के लिए आबंटित की जाती है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशक सहित निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्वयं के विवेक में 10 दिन की अवधि से ज्यादा की अवधि के लिए निर्धारित दरों पर भुगतान के आधार पर अतिथि गृह आबंटित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

(ख) और (ग) अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भा.कृ.अ.प. को निर्धारित दरों पर कमरे के किराये का भुगतान करने के आधार पर 10 दिन की अवधि से ज्यादा अवधि के लिए अतिथि गृह में रहने की अनुमति दी गई है। अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव, भा.कृ.अ.प. द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान को कमरे के किराये का भुगतान करने के अलावा इन्हें जी. आई. एम.एफ.ओ. एम. सं. 2(39)/94–ई.–।। (बी), दिनांक 27 अक्तूबर, 1994 में दिए गए प्रावधान के अनुसार मकान किराये भत्ते का पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(घ) अतिथि गृह में जगह आबंटित करने के लिए भा. क.अ.प. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समस्त भा.कृ.अ.प. संस्थानों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

पशुधन स्वास्थ्य योजना को कार्यान्वित न किया जाना

75. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं में नस्लों से संस्करण से उनमें विभिन्न रोग लग जाने की संभावना बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पशुधन स्वास्थ्य योजना को कार्यान्वित न किए जाने से पशु मृत्यु दर बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस आबंटित धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पशु रोगों का नियंत्रण करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए विभाग विभिन्न पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों का सहायता और राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना नामक पशुधन रोग नियंत्रण योजनाओं के लिए आबंटित निधियों का पूरा उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान 2730.00 लाख रुपए की आबंटित धनराशि में से 2902.40 लाख रुपए की राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

चारा बैंक की स्थापना

76. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चारा बैंकों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में ऐसा कोई चारा बैक स्थापित किया जा चुका है अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार एक चारा बैंक के लिए 55.00 लाख रुपए की सीमा तक एक मुश्त अनुदान के रूप में 75 प्रतिशतः 25 प्रतिशत केन्द्रः राज्य की वित्त पोषण प्रणाली के आधार पर चारा बैंक की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता देती है।

(ग) से (ङ) केरल राज्य सरकार को केरल राज्य में चारा बैक की स्थापना के लिए 1998-99 के दौरान 38.85 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। राज्य ने 19.05 लाख रुपए खर्च किए हैं। शेष 19.80 लाख रुपए की राशि के लिए धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

किसानों को विपणन सुविधायें

77. **श्री शिवाजी माने :**

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को व्यापारियों के दबाव के कारण बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री के लिये विपणन सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने किसानों को विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विनियमित मंडियों के नेटवर्क के जरिए देश में कृषि जिंसों के संगठित विपणन की व्यवस्था की गई है। विनियमित मंडियों से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य दिलाते हुए प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार का वातावरण तैयार करने में मदद मिली है। कृषि उत्पाद विपणन समितियां संबंधित राज्य कृषि विपणन विनियम अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगमित निकाय हैं। कृषि उत्पाद विपणन समितियां मंडियों का प्रबंध करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य विपणन विनियम अधिनियमों के अंतर्गत मंडी यार्डो को अधिसूचित किया जाता है तथा राज्य सरकारों, विपणन बोर्डों और कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा इनका विकास किया जाता है। 31.3.2003 तक संबंधित राज्य विपणन विनियमन अधिनियमों द्वारा 7383 मंडियां कवर की गई हैं। 27,294 ग्रामीण प्राथमिक मंडियां हैं, जिनमें से लगभग 15% विपणन विनियम के अंतर्गत कार्य करती हैं।

कृषि और सहकारिता विभाग ने देश में विपणन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं-

(i) राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्य कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन करने तथा साथ ही निजी और सहकारी क्षेत्रों में कृषि विपणन अवसंरचना की स्थापना को बढ़ावा देने तथा प्रत्यक्ष विपणन और ठेके पर कृषि, बंधक रख कर वित्तपोषण, पराक्रम्य भंडागारण प्राप्ति प्रणाली को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है।

(ii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत थोक मंडियों, ग्रामीण प्राथमिक मंडियों के विकास तथा साथ ही क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। 31–3–2003 की स्थिति के अनुसार 20 थोक मंडियों, 92 ग्रामीण प्राथमिक मंडियों के विकास तथा 14 राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1013.96 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(iii) कृषि विपणन सूचना नेटवर्क की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत कृषि जिंसों के संबंध में मूल्य संबंधी आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क की स्थापना की जा रही है, ताकि किसानों द्वारा इसका कुशल और समय पर उपयोग किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक महत्वपूर्ण कृषि मंडियों, राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों और विपणन और निरीक्षण निदेशालय के कार्यालयों को कवर करते हुए 810 नोड को कम्प्यूटर सुविधाएं और इंटरनेट संयोजकता प्रदान की गई है।

(iv) ग्रामीण गोदामों (ग्रामीण भंडारण योजना) की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत किसानों के उत्पादों को मात्रात्मक और गुणात्मक हानि से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार परियोजना की पूंजी लागत के 25% की दर से राजसहायता देती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लाभानुभोगियों को पूंजी लागत के 33.3% की उच्च राजसहायता दी जाती है। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 59.29 लाख टन की क्षमता वाली 995 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 31.3.2003 तक 7.42 लाख टन की क्षमता वाली 1575 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

नव इस्पात नीति

78. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई इस्पात नीति बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दूसरे चरण के सुधार, पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के संदर्भ में लोहा और इस्पात उद्योग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। प्रथम प्रारूप तैयार कर दिया गया है और सभी भागीदारों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन पर आतंकवाद का प्रभाव

79. **श्री रतनलाल कटारिया : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विश्व के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जापान, सिंगापुर, थाईलैण्ड, चीन, अमरीका और इंग्लैण्ड की तुलना में पर्यटन उद्योग का परिदृश्य कैसा रहा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2002 के दौरान जिन देशों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों में नकारात्मक वृद्धि हुई, उन देशों में, इंडोनेशिया, भारत, इजराइल, केन्या, साइप्रस, मैक्सिको, मोरक्को, नार्वे, पेरू, पौलेंड, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।

(ख) पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

* नए व आकर्षक संदेशों द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं से सीधा सम्पर्क।
* विश्वस्तरीय सामग्री का सृजन।
* केन्द्रीकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान।
* एअंरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों एवं विदेशों के थोक व्यापारियों के साथ सीधा सहकारी विपणन।

* उभरते हुए बाजारों, विशेष रूप से चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अत्यधिक फोकस करना।
* व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।
* संपादकीय जन संपर्क एवं प्रचार का उच्चतम उपयोग।
* इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का उपयोग।
* पर्यटक प्रकाशनों का सृजन
* आतिथ्य कार्यक्रमों को पुनः प्रवर्तित करना, जिनमें विभिन्न पर्यटन उत्पादों की प्रथम जानकारी देने के लिए, मीडिया से जुड़ी हस्तियों, टूर आपरेटरों को भारत से परिचय कराने के लिए हवाई पैसेज प्रदान करना शामिल है।

उपयुक्त के अलावा, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित लघुकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाएं हैं:-

* पर्यटन विभाग कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
* एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
* नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
* विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन;
* ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन पर विशेष बल देना;
* सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और अच्छे कार्यपालन की ओर ध्यान देना; तथा
* पर्यटन परिपथों एवं पर्यटन-सह-सांस्कृतिक हबों का विकास।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जापान, सिंगापुर, थाईलैण्ड, चीन, यू.एस.ए., यू.के. तथा भारत की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:-

देश	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या (मिलियन में)		
	2000	2001	2002
जापान	4.76	4.77	5.24
सिंगापुर	6.92	6.73	लागू नहीं
थाईलैण्ड	9.58	10.10	10.90
चीन	31.23	33.17	36.80
यू.एस.ए.	50.95	45.49	41.89
यू.के.	25.21	22.83	23.94
भारत	2.65	2.54	2.36

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों के विकास के लिये राज्यों को धनराशि

80. **डा. मंदा जगन्नाथ :**

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये राज्य सरकारों को आबंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंन्ध्र प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गयी सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन परियोजनाएं, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके, प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित की जाती है और धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, गुण-दोषों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए, आंध्र प्रदेश सहित, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 784 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी।

(ग) वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	31.3.2003 तक रिलीज की गई राशि
2000–01	363	86.47	45.44
2001–02	209	56.09	33.11
2002–03	212	111.21	86.80

मिलों और फैक्ट्रियों की बंदी के कारण मजदूरों का निधन

81. **श्री रघुनाथ झा :**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिलों और फैक्ट्रियों के बंद होने से उत्पन्न बेरोजगारी के कारण कई मजदूरों और उनके परिवार वाले मौत की कगार पर हैं और कुछ ने आत्महत्या कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें वैकल्पिक जीविकोपार्जन उपाय उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार को मिलों और कारखानों के बंद होने से बढ़ती बेरोजगारी तथा श्रमिकों को पेश आ रही कठिनाइयों की जानकारी है।

(ग) 10 वीं योजना की विकास कार्यनीति उन क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल देती है जिससे उच्च गुणवत्ता के रोजगार के अवसरों के सृजित होने की संभावना हो जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवायें, निर्माण इत्यादि। इसके अलावा वर्ष 2001–02 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के यौक्तिकीकृत कामगारों की परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्तनाती हेतु एक योजना शुरू की गई है जिसमें यौक्तिकीकृत कामगारों के स्वः रोजगार पर बल दिया गया है।

तटीय क्षेत्रों में खनिजकण का खनन

82. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के तटीय क्षेत्रों में खनिजकण खनन हेतु निजी कंपनियों को अनुमति देने के लिये केरल समेत कई राज्यों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हेतु अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में निजी कंपनियों के साथ विशेषकर केरल में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसी योजनाओं के पारिस्थितिकीय प्रभाव की जांच हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (च) सरकार को गैर सरकारी पक्षकारों सहित विभिन्न एजेंसियों से देश के तटीय क्षेत्रों से दुर्लभ खनिज पदार्थों और संबंधित गार्नेट के खनन हेतु पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो नीचे दिए अनुसार हैं:–

क्र.सं.	पक्षकार/एजेंसी	राज्य	परियोजना का ब्यौरा	पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स इंडियन रेयर अर्थ लि. की भिमली बीच सैंड माइनिंग प्रोजेक्ट	आंध्र प्रदेश	–	सूचना के अभाव में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं
2.	मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट इंडिया लि. की गार्नेट सैण्ड माईनिंग परियोजना	आंध्र प्रदेश	खनन पट्टा क्षेत्र 95.085 हैक्टेयर	पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है।
3.	मैसर्स वी.वी. मिनरल्स की हैवी मिनरल्स माईनिंग एक्सपैन्शन परियोजना	तमिलनाडु	–	सूचना के अभाव में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है।
4.	मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट इंडिया लि. की गार्नेट सैण्ड माईनिंग परियोजना	तमिलनाडु	खनन पट्टा क्षेत्र 10.105 हैक्टेयर	परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है।

1	2	3	4	5
5.	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के तीन प्रोस्पेक्टिंग लीजों (प्रोस्पेक्टिंग और अन्वेषण) हेतु स्थल मंजूरी	तमिलनाडु	–	सूचना के अभाव में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है।
6.	मैसर्स इंडियन रेयर अर्थ लि. की चावड़ा बीच सैण्ड परियोजना	केरल	–	सूचना के अभाव में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है।

(छ) और (ज) ऐसी खनन परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण हेतु ठेकों का रद्द किया जाना

83. **डा. वी. सरोजा :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार हवाई अड्डों के विकास के काम के लिये नियुक्त वैश्विक सलाहकार का ठेका रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक प्रबंध किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस व्यवस्था को किस तरह लागू करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई तथा कोलकाता के चारों मैट्रों हवाईअड्डों पर विकास कार्य करने के लिए सरकार ने कोई विश्वव्यापी सलाहकार नियुक्त नहीं किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, उपरोक्त चार मैट्रो हवाईअड्डों की पुनर्संरचना पर सलाह देने के लिए, मैसर्स केएमपीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए स्कूल

84. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हर राज्य में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने और इन छोटे बच्चों (बाल श्रमिकों) को काम से दूर रखने के मद्देनजर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से खास जिले में बाल श्रम की घटना दर को कम करने के लिए जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को हटाने तथा उनके पुनर्वास हेतु कदम उठाए हैं। योजना के अंतर्गत बाल श्रम बहुल जिलों में विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है। जिनमें अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख रेख आदि की व्यवस्था की गई है।

(ख) अब तक, 13 बाल श्रम बहुल राज्यों में 2.11 लाख बच्चों को दायरे में लाने के लिए 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

गंगा और यमुना को प्रदूषित करने वाले उत्सर्जी पदार्थों पर रोक

85. **श्री अनन्त गुढे :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपशिष्ट सामग्री, गंदा पानी और शहरों तथा कस्बों का मलबा विभिन्न स्थानों पर गंगा और यमुना में चला जाता है और नदी जल के साथ बहता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गंगा/यमुना में इन

वस्तुओं को जाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 18 राज्यों की 31 नदियों के किनारे स्थित 157 शहरों के प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकारों की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदूषण निवारण के निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:–

* खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले अशोधित सीवेज को रोकने के लिए अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन संबंधी निर्माण कार्य।

* दिशापरिवर्तित किए गए सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र।

* नदी किनारे पर खुले में शौच रोकने के लिए अल्प लागत स्वच्छता कार्य।

* काष्ठ प्रयोग के संरक्षण और अर्द्ध जले शवों को नदी में बहाने से रोकने के लिए विद्युत शवदाहगृह और उन्नत काष्ठ शवदाहगृह।

* लोगों द्वारा नदियों में नहाने के लिए स्नान घाटों का सुधार।

[हिन्दी]

दालों की कीमत

86. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **कृषि** मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार को देश में दलहन की बढ़ती कीमतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी खाद्यान्नों विशेषकर दलहनों का उत्पादन बढ़ाने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में खाद्यान्नों विशेषकर दलहनों की कीमतों में कमी लाने के लिये की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) आधार वर्ष 1993–94 पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार, समूह के रूप में दलहन के मूल्य ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.1 प्रतिशत की कमी की तुलना में 5 जुलाई, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान 0.8 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। तथापि, इस अवधि के दौरान अरहर (तुर) तथा मसूर के मूल्य बढ़े। निम्नलिखित तालिका अलग–अलग दलहन के संबंध में मूल्य परिवर्तन के आंकड़े दर्शाती है:

वार्षिक (बिन्दु दर बिन्दु) मूल्य परिवर्तित (%)

	दलहन	(थोक मूल्य सूचकांक में अंतर का प्रतिशत)	
		5 जुलाई, 2003 को समाप्त वर्ष	पिछले वर्ष की यही अवधि
1.	अरहर (तुर)	10.0	7.2
2.	मूंग	–1.7	4.1
3.	उड़द	–11.6	–17.9
4.	चना	–0.8	–14.9
5.	मसूर	6.4	3.7

(ख) से (घ) दलहन उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए 350 जिलों को शामिल करते हुए 30 राज्यों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, प्रमाणित बीजों का उत्पादन व वितरण, बीज मिनीकिटों का वितरण, समेकित कृमि प्रबंध तथा उन्नत कृषि उपकरणों का वितरण जैसे विभिन्न घटकों पर सहायता मुहैया कराई जा रही है। दलहन समेत खाद्यान्न के मामले में उल्लेखनीय हैं कि देश के अनेक भागों में उत्पादन व उत्पादकता पर भयंकर सूखे के प्रभाव के कारण वर्ष 2001–2002 में 212.04 मिलियन मी. टन से घटकर वर्ष 2002–03 में 182.57 मिलियन मी. टन जाने के बावजूद, 5 जुलाई, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि 3.1 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सभी जिंसों के मामले में यह 5.1 प्रतिशत थी। खाद्यान्न के मामले में मूल्य वृद्धि की अपेक्षाकृत कम दर बफर मापदण्डों से अधिक स्टॉक की सुगम स्थिति दर्शाती है।

नये हवाई अड्डों का निर्माण

87. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली, मुंबई और लखनऊ स्थित वर्तमान हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की बजाय नए हवाई अड्डों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन नये हवाई अड्डों की स्थापना में अनुमानतः कितनी लागत आने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विमान दुर्घटनायें

88. **श्री जी. जे. जावीया** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 2003 से गुजरात, मुम्बई, दिल्ली और तमिलनाडु समेत विभिन्न स्थानों पर नागरिक विमानों की कई दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के लिए कौन लोग दोषी और जवाबदेह पाये गये;

(घ) प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया या दिया जाएगा;

(ङ) प्रत्येक मामले में जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) किन मामलों में तोड़–फोड़ की आशंका जताई गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 2003 से दो दुर्घटनाएं हुई हैं, अर्थात् (i) एक 19.04.2003 को मुम्बई में मैसर्स अजल इंडिया के बेल 412 हेलीकॉप्टर बीटी–एजैड सी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था तथा (ii) 29.04.2003 को मनाली में मैसर्स हिमालयन हैली–सर्विसेज के लामा एसए–315बी हेलीकॉप्टर वीटी–एचआईएम दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना में दो विदेशी राष्ट्रिको सहित तीन यात्रियों तथा एक कर्मीदल सदस्य की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी।

(ग) दुर्घटना निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मैसर्स अजल इंडिया के बैल 412 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट की नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संवीक्षा की जा रही है। मैसर्स हिमालयन हैली–सर्विसेज के लामा एसए–315बी हेलीकॉप्टर के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय की जांच चल रही है।

(घ) चूंकि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर निजी कम्पनियों के थे, इसलिए संबंधित आपरेटरों को, प्रत्येक मामले में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करना है।

(ङ) चूंकि जांच प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए प्रत्येक मामले में जांच रिपोर्ट के ब्यौरे इस समय बता पाना संभव नहीं है।

(च) इन दोनों मामलों में किसी प्रकार की तोड़–फोड़ की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पार्किंग का ठेका

89. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अहमदाबाद हवाई अड्डे (घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय) पर पार्किंग का ठेका देने के लिये विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो ठेका के लिये आवेदन करने वाली पार्टियों/फर्मों/ठेकेदारों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा दिये गये वित्तीय प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और ठेकेदार के बीच किन निबंधन और शर्तों पर समझौता हुआ और इस ठेके से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितने राजस्व की आय हुई;

(घ) किस कम्पनी को ठेका दिया गया;

(ङ) क्या उक्त ठेकेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को ठेका दिया है जो कार मालिकों से मनमाना पैसा वसूल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या को सुधारने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) मैं यश मार्किटिंग एंड ट्रेडिंग कं. ने ठेके के लिए प्रति माह 450500 रु. की वित्तीय पेशकश की थी जबकि मै. गरूड़ सर्विसेज वर्क्स ने प्रति माह 453786 रु. की पेशकश की थी।

(ग) मै. गरूड़ सर्विसेज को 1.8.2002 से 453786 रु. प्रति माह राजस्व के रूप में पांच वर्ष के लिए ठेका दिया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1.8.2002 से 30.11.2002 तक लाभ कमाया। टैरिफ में वृद्धि की वजह से 1.12.2002 से यह राजस्व 589992 रु. प्रति माह बढ़ा दिया गया।

(घ) मै. गरूड सर्विस वर्क्स, मुम्बई।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

महानदी पर बांध

90. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री द्वारा उड़ीसा राज्य में जल प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के समय दिये गये वक्तव्य के अनुपालन में महानदी में बार–बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु उस पर बांध बनाने के लिये कोई कदम उठाया है ताकि हीराकुंड बांध के निचले इलाकों के डेल्टा क्षेत्र में रहने वाले लोगों, भूमि और रिहायशी क्षेत्रों को होने वाले गंभीर नुकसान को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन से संबंधित स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण और निष्पादन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का होता है तथा राज्य सरकारों द्वारा इनका वित्तपोषण आमतौर पर बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के तहत योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को मुहैया कराई जाने वाली वार्षिक योजना निधियों से किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य ने महानदी में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हीराकुंड के अनुप्रवाह पर महानदी पर बांध बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत नहीं की है।

विमानों के कारण वातावरणीय प्रदूषण

91. **डा. चरणदास महंत** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमानों के कारण बढ़ रहे वातावरणीय प्रदूषण के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न विमान कंपनियों के विमान वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) विमानन, विशेषकर ग्रीनहाऊस गैसें प्रदूषण के कई स्त्रोतों में से एक हैं। विमानन के कारण भूमण्डलीय उष्णता में मामूली वृद्धि हुई है। भूमण्डलीय जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करने हेतु गठित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय–जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्तर–सरकारी पैनल (आई पी सी सी) ने सूचित किया है कि अगले 50 वर्षों में विमानन के कारण भूमण्डलीय उष्णता में मामूली वृद्धि प्रक्षेपित है। सरकार तथा एयरलाइनों द्वारा उठाए गए निवारात्मक उपायों में ईंधन की दृष्टि से अधिक दक्ष इंजनों तथा बेहतर ईंधन का प्रयोग और वायु यातायात प्रबंधन में सुधार करना शामिल है।

विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली राशि

92. **श्री बी. के. पार्थसारथी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2003 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में विदेशों में कार्यरत कामगारों द्वारा करीब 10 अरब डालर की राशि भेजी गई और कुछ उपायों से इसे दोगुना करने की संभावना है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां।

(ख) विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों द्वारा जमा राशि में वृद्धि करने तथा भारतीय श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र सरकार का श्रम मंत्रालय दिनांक 21.11.2002 को लोक सभा में उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक 2002 पेश कर चुका है। जिसमें केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना की व्यवस्था है। परिषद का एक कार्य उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए विदेश में रोजगार अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन विकास

93. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पर्यटन की अपार संभावना के मद्देनजर वहां पर्यटन के विकास हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन पर्यटन केन्द्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई/जारी की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने, बिहार राज्य समेत, देश में पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु, पर्यटक केन्द्रों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना विकास, गंतव्य विकास एवं भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु योजनाएं तैयार की हैं।

(ख) और (ग) इन परिपथों/गंतव्यों का अभिनिर्धारण, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श एवं तालमेल द्वारा किया जाता है। बिहार में बौद्ध परिपथ के एकीकृत विकास हेतु परियोजना के लिए वर्ष 2002–2003 के दौरान 505.00 लाख रु. की धनराशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परियोजना हेतु 505.00 लाख रुपए की पूरी धनराशि जारी कर दी गई है।

[अनुवाद]

अंगूर का उत्पादन

94. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 31 मार्च, 2003 की तिथि के अनुसार देश में अंगूर का उत्पादन और खपत कितनी थी

(ख) क्या पिछले वर्षों में अंगूर के आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र समेत देश के कुछ हिस्सों में अंगूर के अधिक उत्पादन की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में अंगूर आयात के मुद्दे की समीक्षा करने और अंगूर उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) भारत में विगत तीन वर्षों में अंगूर के उत्पादन तथा निर्यात के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

	(000 मी. टन में)	
	उत्पादन	निर्यात
1998–99	1082.7	11.53
1999–2000	1137.8	14.03
2000–01	1056.9	20.65

देश में अंगूर की वास्तविक खपत के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां। हाल के वर्षों में अंगूर के आयात में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति देखी गई है।

(ग) विगत तीन वर्षों में अंगूर के आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु. में)
2000–01	32.43	11.86
2001–02	244.38	132.72
2002–03	371.95	162.14

(घ) देश के किसी भाग में अंगूर के अतिरेक उत्पादन होने की कोई सूचना नहीं है, यद्यपि महाराष्ट्र में उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, वहां वर्ष 2001–02 के 9.37 लाख मी. टन से बढ़कर 2002–03 में 9.89 लाख मी. टन हो गया।

(ङ) और (च) अंगूर ऐसी 300 संवेदनशील वस्तुओं की सूची में है, जिनका सरकार द्वारा लगातार मानिटरन किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

उदयगिरि की विरासत स्थल के रूप में घोषणा

95. **श्री अनादि साहू** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जाजपुर जिले में उदयगिरि को विरासत स्थल घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उदयगिरि को बौद्ध सर्किट में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) उदयगिरि, एक उत्खनित स्थल जिसमें स्तूप, मठ, चैत्य तथा अन्य संरचनाएं हैं जिन्होंने इसे उड़ीसा के जिला जाजपुर में एक सुप्रसिद्ध बौद्ध स्थल के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, को प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव एवं उनका पर्यावरण संबंधी विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करती है। वर्ष 2002 के दौरान 1,49,416 भारतीयों एवं 1530 विदेशियों ने उड़ीसा के जिला जाजपुर में उदयगिरि स्थित उत्खनित स्थल का दौरा किया है। उदयगिरि रत्नागिरि से 8 कि.मी. तथा ललितगिरि से 15 कि.मी. दूर है जो एक बौद्ध त्रिकोण बनाते हैं।

श्रम न्यायालयों में लम्बित मामले

96. **श्रीमती प्रभा राव** :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायालयों में कई मामले तीन वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे ऐसे न्यायालयों/न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक न्यायालय/न्यायाधिकरण में राज्यवार लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) इन न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों के निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नियोक्ताओं द्वारा न्यायाधिकरणों के आदेशों को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के नियोक्ताओं के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैव संसाधित तम्बाकू

97. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उद्योग जैव संसाधित तम्बाकू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) देश में जैव संसाधित तम्बाकू का अभी तक व्यवसायिकरण नहीं हुआ है।

अकाल संहिता का क्रियान्वयन

98. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पड़े अभूतपूर्व सूखे को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने मई, 2003 में राज्यों को अगले तीन महीनों हेतु अकाल संहिता लागू करने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न और सहायता दी गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) उस मामले में राज्य सरकारें एक पक्षकार है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने संबंधित आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय सरकार ने अपनी कार्रवाई के तौर पर सूखा प्रभावित राज्यों का ध्यान माननीय न्यायालय के उक्त निर्देशों की ओर आकृष्ट किया है। अब तक किसी भी राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए कोई सहायता नहीं मांगी है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत रोजगार के सृजन के लिए खाद्यान्न का निःशुल्क आबंटन किया जाता है।

वर्ष 2002–2003 के सूखे के लिए सितम्बर, 2002 से जून, 2003 के बीच किए गए खाद्यान्न आबंटन का ब्यौरा निम्नवत है:–

राज्य	आबंटित खाद्यान्न (लाख मी. टन)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	17.20
छत्तीसगढ़	4.74
गुजरात	3.06
हरियाणा	0.25
हिमाचल प्रदेश	0.10
झारखण्ड	0.40
कर्नाटक	7.20
केरल	0.52
मध्य प्रदेश	7.80
महाराष्ट्र	2.32
उड़ीसा	6.44
राजस्थान	31.10
तमिलनाडु	4.50
उत्तरांचल	0.50
उत्तर प्रदेश	2.00

डेयर/आई. सी. ए. आर. के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु अनुदान

99. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त/योजना मंत्रालय के विद्यमान अनुदेश के अनुसार इन दो एजेंसियों द्वारा केवल उन प्रस्तावों पर विचार और मूल्यांकन किया जाता है जिनके लिए वित्त पोषण की उपलब्धता की पुष्टि पहले कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि मंत्रालय ने डेयर/आई.सी.ए.आर. के अवसंरचना के नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा पुराने उपकरणों को बदलने हेतु अनुदान देने हेतु योजना आयोग के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय ने अप्रयुक्त उपस्करों को बदलने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान के लिए योजना आयोग के साथ मामले को उठाया है। वर्ष 2002–03 की वार्षिक योजना के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और वर्ष 2003–04 की वार्षिक योजना के लिए पुनः 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। योजना आयोग ने वार्षिक योजनाओं 2002–03 और 2003–04 के दौरान अलग से एकमुश्त अनुदान के रूप में राशि आबंटित नहीं की है।

कम लागत वाली एयरलाइन

100. **श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने कम लागत वाली एयरलाइन चलाने की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी कुछ सेक्टरों पर कम लागत प्रचालनों की रीति के अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री-दीवार के निर्माण के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराना

101. **श्री टी. गोविन्दन : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को समुद्री दीवार का निर्माण करने और राज्यों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कटाव रोधी कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान धनराशि आबंटित/जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत सरकार ने समुद्र–कटाव–रोधी कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निम्नानुसार निधियां आबंटित की है:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	2000–01	2001–02	2002–03
तमिलनाडु	1.00	–	–
पश्चिम बंगाल	–	3.50	–

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या

102. **श्री बालकृष्ण चौहान : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणीवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी–वार कितने कर्मचारी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिव सागर में खुदाई कार्य

103. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने असम में शिवसागर जिले के चिरायदेव में 32 अहोम राजाओं के कब्रिस्तान में हाल ही में खुदाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव चिरायदेव को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु क्या उपाय किए है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चराई–देव, जिला शिवसागर, असम में मैदाम नं. 2 की खुदाई शुरू की है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरे किए गए संरक्षण और क्षेत्र विकास कार्य इस प्रकार है:–मैदाम नं. 2 की अहाता दीवार, स्थल के सामने चारदीवारी दीवार और क्षेत्र के दूसरी ओर बाड़, प्रवेश द्वार के स्मारकों के लिए रास्ता तथा सुविधाएं जैसे पेय जल, प्रसाधन कक्ष खण्ड और वाहनों को खड़ा करने का स्थान।

निधियों का उपयोग

104. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन तथा पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2002–2003 हेतु पर्यटन के संवर्धन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु आबंटित निधियों का उपयोग नहीं किए जाने की बात नोट की है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तथा स्थलवार पूर्वोत्तर में पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च की गई राशि, प्रत्येक स्थल हेतु आबंटित राशि तथा अप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने और परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) वर्ष 2002–2003 में पर्यटन विभाग का मूल योजना बजट 225.00 करोड़ था। इसके अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए की राशि अनुपूरक अनुदान के रूप में दी गई। बजट आबंटन का 10% सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया गया था। पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र के लिए आबंटित बजट का पूरा–पूरा उपयोग किया है। यह ध नराशि, चल रही विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं तथा पूर्वोत्तर परिपथ जैसी नई परियोजनाओं एवं सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य अभिनिर्धारित गंतव्यों के लिए रिलीज की गई। पूर्वोत्तर राज्य के लिए वर्ष 2002–2003 में खर्च की गई राशि 25.76 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग के लिए वर्ष 2003–04 के योजना बजट में 325 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। इसमें से बजट की 10% अर्थात् 32.50 करोड़ रुपए की राशि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित की गई है। राज्य सरकार के साथ अवसंरचना का अभिनिर्धारण, संवर्धन एवं प्रचार परियोजनाओं की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। स्वीकृत की गई परियोजना की मानीटरिंग, पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे इनका कार्य त्वरित गति से किया जा सके। साथ ही राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है, कि वे इन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करें।

कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक अनुसंधान

105. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई जैव–प्रौद्योगिकी कम्पनियां कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक अनुसंधान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके अनुसंधान परिणामों की निगरानी/समीक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार जो कि देश में जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान का एक नॉडल विभाग है, से पता लगा है कि कृषि क्षेत्र की 23 कम्पनियां जैव–प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। ये समस्त 23 कम्पनियां कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक अनुसंधान कार्य में जैव–प्रौद्योगिकी औजारों को इस्तेमाल कर रही हैं। इन कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुसंधान के परिणामों की निगरानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

विवरण

कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक अनुसंधान कार्य करने वाली आधुनिकतम जैव–प्रौद्योगिकी कम्पनियों की सूची

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	कार्य का स्वरूप
1	2	3
1.	अंकुर सीड. प्रा. लिमिटेड, नागपुर	पराजीनी फसलें
2.	अजीत सीड कम्पनी, लिमिटेड, औरंगाबाद	पराजीनी फसलें

1	2	3
3.	अवेस्था जेनग्रेनिक टैक्नालाजी प्रा. लिमिटेड, बंगलौर, कर्नाटक	पराजीनी फसलें
4.	महेन्द्र हाईब्रिड सीड कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
5.	न्यूजीविद् सीड्स लिमिटेड, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
6.	महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कम्पनी लिमिटेड़, मुंबई	पराजीनी फसलें
7.	जे के सीड लिमिटेड, सिकंदराबाद	पराजीनी फसलें
8.	गंगाराम शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड़, औरंगाबाद	पराजीनी फसलें
9.	सेनगीटा इंडिया प्रा. लिमिटेड, औरंगाबाद	पराजीनी फसलें
10.	मोनसेंटों इंडिया प्रा. लिमिटेड, बंगलौर	पराजीनी फसलें
11.	एस पी आई सी लिमिटेड, चैन्नई	पराजीनी फसलें
12.	इंडो–अमेरिकन हाईब्रिड सीड्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, बंगलौर	पराजीनी फसलें
13.	मैटालिक्स लाईफ साईंस प्रा. लिमिटेड, बंगलौर	पराजीनी फसलें
14.	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड, अकोला	पराजीनी फसलें
15.	प्रोएग्रो सीड कम्पनी लिमिटेड, गुडगांव	पराजीनी फसलें
16.	नाथ सीड कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
17.	तुलसी सीड प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
18.	डी–नोसिल क्रोप प्रोटैक्शन प्रा. लिमिटेड, मुबई	पराजीनी फसलें
19.	रासी सीड्स (प्रा.) लिमिटेड, अत्तूर, तमिलनाडु	पराजीनी फसलें
20.	हाईब्रिड राईस इंटरनेशनल लिमिटेड़, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
21.	कृषधन सीड्स लिमिटेड, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
22.	नंदी सीड्स कम्पनी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	पराजीनी फसलें
23.	रैलीस कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर	पराजीनी फसलें

पर्यटक सूचना केन्द्र

106. श्री परसुराम माझी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित पर्यटक सूचना केन्द्रों की संख्या कितनी है और वहां नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कार्यालयों के कार्यकारण की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

विदेशों में पर्यटक कार्यालयों की कुल संख्या	अधिकारियों/स्टाफ की कुल संख्या
13	58

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन विभाग ने, विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों की पुनः अवसंरचना करने के उद्देश्य से, वर्ष 2001–2002 के दौरान, उनके कार्यकरण की समीक्षा की थी। मास्को, मैड्रिड, स्टाकहोम, ब्यूनस आयरस और तेल अवीव में स्थित पांच कार्यालयों को समीक्षा के उपरांत बंद कर दिया गया था।

सरसों के उत्पादन में गिरावट

107. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान सरसों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सरसों के उत्पादन और खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2001-2002 के दौरान 50.4 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना मे वर्ष 2002-2003 के दौरान तोरिया तथा सरसों का उत्पादन 39.7 लाख मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है। देश में सरसों की खेती वाले प्रमुख राज्यों में व्याप्त भीषण सूखे के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) तिलहनों/खाद्य तेल की खपत का फसल-वार अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि देश में खाद्य तेल की खपत का अनुमान सभी तिलहन फसलों के रूप में किया जाता है। देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान तोरिया और सरसों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान तोरिया-सरसों का राज्यवार उत्पादन

(000 मी. टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1.0	1.0	1.0
अरूणाचल प्रदेश	21.1	20.6	23.0
असम	129.0	141.2	137.1
बिहार	76.5	84.4	78.2
छत्तीसगढ़	–	16.0	22.1
गुजरात	301.0	230.6	292.1
हरियाणा	595.0	554.0	796.0
हिमाचल प्रदेश	6.1	6.1	6.1
जम्मू-कश्मीर	50.4	25.0	38.9
कर्नाटक	1.8	2.0	1.9
मध्य प्रदेश	676.5	323.6	415.9
महाराष्ट्र	2.8	1.9	3.1
मणिपुर	0.6	0.7	0.3
मेघालय	4.6	4.7	4.8
मिजोरम	1.6	1.8	2.2
नागालैण्ड	14.0	16.0	16.0
उड़ीसा	3.0	1.7	2.2
पंजाब	63.0	64.0	60.0
राजस्थान	2478.7	1312.8	1942.7
सिक्किम	4.2	3.5	3.5
तमिलनाडु	0.1	0.1	0.2
त्रिपुरा	2.3	2.5	2.5
उत्तर प्रदेश	1076.0	945.7	845.4
पश्चिम बंगाल	278.5	417.0	336.9
दिल्ली	0.6	0.7	0.7
अखिल भारत	5788.4	4187.2	5040.4

सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली

108. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम आदमी श्रमिक और पददलित लोगों को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के क्या लाभ हैं;

(ख) क्या सरकार देश में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली की कमी से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो क्या जापान, कोरिया आदि जैसे देशों में यह प्रणाली पूरी तरह लागू है जबकि भारत में केवल 22 प्रतिशत जनसंख्या इसके दायरे में आती है;

(घ) यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय (ई एस आई एस) ने कुछ अन्य मंत्रालयों की सहायता से इस संबंध में कोई प्रयास किया है अथवा कोई योजना बनाई है तथा एक समन्वित अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) देश के लगभग 40 करोड़ कुल श्रम बल में से अनुमानतः 8 प्रतिशत ही वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, मृत्यु के समय एकमुश्त लाभ, चिकित्सा लाभ, विकलांगता लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के दायरे में आते हैं। ये कामगार अधिकांशतः संगठित क्षेत्र में हैं।

साथ ही, असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामगार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों को पाने के पात्र हैं। अभिज्ञात समूहों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने भी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो असंगठित क्षेत्र में कामगारों को कुछ सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या अधिक होने और काफी फैली होने से, ऐसे कामगारों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच का विस्तार करना एक विशाल कार्य है और इसमें काफी समय लगेगा तथा बहुत बड़े संसाधन की अपेक्षा होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों का मुख्य उद्देश्य पहचान योग्य समूहों के दायरे को बढ़ाना है।

(घ) से (च) सरकार नए केन्द्रों को दायरे में लेने के लिए धीरे-धीरे स्कीम को विस्तारित करने और साथ ही, बड़ी संख्या में बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने हेतु अपेक्षित बुनियादी सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीमों में अनेक नए कार्य हुए हैं। प्रत्येक वर्ष, अतिरिक्त कर्मचारियों को दायरे में लेने के लिए इसे नए क्षेत्रों में विस्तारित किया जाता है।

मछुआरों के लिए बचत एवं राहत योजना में केन्द्र के अंश को जारी करना

109. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के बाद से मछुआरों हेतु बचत एवं राहत योजना के केन्द्रीय अंशदान के संबंध में अंशदान की पुरानी पद्धति को प्रशासनिक मंजूरी देने तथा केरल सरकार को 893 लाख रुपए की लंबित राशि जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) इस समय केरल सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के बचत-सह-राहत घटक को 2000-2001 में संशोधित किया गया था। बचत-सह-राहत घटक की संशोधित वित्त पोषण प्रणाली के अनुसार समुद्री मछुआरों को 8 माह की बहुलता वाली अवधि के दौरान 45 रुपए के स्थान पर 75 रुपए प्रति माह का अंशदान करना होगा। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर बराबर की हिस्सेदारी के साथ संचित धनराशि लाभार्थियों को कमी वाली अवधि के दौरान 300-300 रुपए की चार मासिक किश्तों में वितरित की जाएगी। केरल सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना के दिशानिर्देशों के दौरान मछुआरों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 485.5 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

तिरूपति के लिए विमान सम्पर्क

110. **डा. एन. वेंकटस्वामी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति में पर्यटकों की अत्यधिक आवाजाही के मद्देनजर तिरूपति और विभिन्न मेट्रो शहरों के बीच नई विमान सेवाएं शुरू करने हेतु कोई टेक्नो-इकानॉमिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइंस हैदराबाद–तिरूपति–हैदराबाद मार्ग पर सप्ताह में दो बार तिरूपति और हैदराबाद के बीच प्रचालन करती है। सरकार ने देश के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के बीच विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयलाइनों पर निर्भर करता है कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर खास–खास स्थानों के लिए विमान सेवाएं मुहैया करे।

बांधों का निर्माण

111. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में कितने बांध निर्माणाधीन हैं;

(ख) उक्त बांधों का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था;

(ग) ये बांध कौन से हैं और कहां–कहां स्थित हैं तथा तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इसके पश्चात आज तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) इन बांधों के संबंध में कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(ङ) इन बांधों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) यह सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एअर इंडिया में बासी आहार

112. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में दिया जाने वाला भोजन उच्च स्तरीय गुणवत्ता का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों में एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बासी भोजन देने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषी अपराधियों की जिम्मेदारी निश्चित की गई है; और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार की जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं

113. श्री राजो सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को जलापूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी परियोजना का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने पटना के एकीकृत विकास के लिए 1669.89 करोड़ रुपये की लागत वाली तथा कैथर शहर के वास्ते जल निकास संबंधी 2.55 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना की रूपरेखा नामक दो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये हैं। इन दो प्रस्तावों में से पटना शहर के एकीकृत विकास को तकनीकी दृष्टि से सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है तथा जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते दिनांक 07.04.2003 को शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा आर्थिक मामला विभाग से

सिफारिश की गई थी। शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा दूसरे प्रस्ताव की जांच की गई तथा टिप्पणियां बिहार सरकार को भेज दी गई हैं।

शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता राज्य का विषय है तथा राज्य योजना निधियों से पी एच ई डी/शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से जल आपूर्ति एवं स्वच्छता स्कीमों की योजना, डिजाइन तथा उसका निष्पादन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों का है।

[अनुवाद]

होटलों में पेय पदार्थों की कीमत

114. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री राधा मोहन सिंह :

श्री राम विलास पासवान :

श्री रामजीवन सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कुछ बड़े होटलों द्वारा पैक्ड पेयजल और ऐसे ही अन्य पेयों की अत्यधिक कीमत वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि इनमें न्यूनतम खुदरा मूल्य से कितनी अधिक कीमत वसूली जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे पेय पदार्थों हेतु वसूली जाने वाली कीमत को कम कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पैक्ड पेयजल न्यूनतम खुदरा मूल्य से उच्चतर दर पर बेचने संबंधी मामला उपभोक्ता मामले, तोल एवं माप विभाग के साथ उठाया गया है जो इस संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना को अग्निशामक यंत्रों की आपूर्ति

115. **श्री शीशराम सिंह रवि :**

श्री रामजी मांझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने गत वर्ष दिल्ली दुग्ध योजना को लाखों रूपए के अग्निशामक यंत्रों की आपूर्ति की थी;

(ख) क्या उनमें से कई अग्निशामक यंत्र खाली पाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा केन्द्रीय भंडार को काली सूची में दर्ज करने के अलावा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त 'ख' के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस को हुआ नुकसान

116. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री भास्करराव पाटील :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान अभियंत्रण बेसों पर विमानों के उड़ने लायक होने संबंधी विभिन्न जांचों को पूरा करने में हुए विलंब के कारण इंडियन एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नुकसान के लिए जवाबदेही निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस के बेड़े का विस्तार

117. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के लिए बेड़े की खरीद के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस खरीद योजना में कम से कम एक वर्ष का विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) बेड़े की खरीद योजना को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़ा प्राप्ति प्रस्ताव के संबंध में पूर्व लोक निवेश बोर्ड की बैठकें 25.4. 2003 तथा 12.6.2003 को हुई थी। अप्रैल, 2003 में सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस को विनिवेश रोस्टर से निकाले जाने के निर्णय ले लिए जाने के बाद ही, इंडियन एयरलाइंस से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता था। सरकार में विनिवेश निर्णय के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

खनन गतिविधियों के कारण वनों का विनाश

118. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के क्योंझर जिले सहित देश में खनन गतिविधियों के कारण नष्ट हुई वन भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खान मालिकों द्वारा अधिग्रहित की गई वन भूमि के बदले कोई प्रतिपूरक वन परियोजना आरंभ की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खनन गतिविधियों के कारण हुए वन विनाश के कारण पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने देश में खनन कार्यों के लिए 8063.044 हैक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग किया है। इसमें उड़ीसा के क्योंझर जिले की 976.635 हैक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग शामिल है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में वन क्षेत्र/हरित क्षेत्र बनाए रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार वन भूमियों के वनेतर उपयोग किए गए क्षेत्र के बदले दुगनी वनेतर भूमि या अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करने और इनके अनुरक्षण की शर्तें लगाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अवक्रमित वन भूमियों के बराबर की भूमियों पर सेफ्टी जोन बनाए जाने और इनका अनुरक्षण करने तथा परियोजना लागत पर सेफ्टी जोन के डेढ़ गुणा क्षेत्र में पौध रोपण करने और इसका अनुरक्षण करने की शर्त भी लगाती है जिससे आसपास के पर्यावरण पर खनन के कुप्रभावों को कम किया जा सके और इन्हें रोका जा सके। केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनन प्रस्तावों को वानिकी मंजूरी प्रदान करते समय वनों, पर्यावरण और हरियाली के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन के लिए उपयोग किया गया वन क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3
1.	असम	0.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.000

1	2	3
3.	आन्ध्र प्रदेश	1786.56
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.000
5.	बिहार	8.700
6.	चण्डीगढ़	0.000
7.	छत्तीसगढ़	926.739
8.	दादर व नागर हवेली	0.000
9.	दमन व दीव	0.000
10.	दिल्ली	0.000
11.	गोवा	0.000
12.	गुजरात	0.000
13.	हरियाणा	0.000
14.	हिमाचल प्रदेश	359.405
15.	झारखंड	378.144
16.	कर्नाटक	618.080
17.	केरल	10.452
18.	मणिपुर	0.000
19.	मेघालय	0.000
20.	मध्य प्रदेश	664.446
21.	मिजोरम	0.000
22.	महाराष्ट्र	1205.266
23.	नागालैंड	0.000
24.	पंजाब	0.000
25.	उड़ीसा	1465.338
26.	सिक्किम	0.000
27.	राजस्थान	588.598
28.	तमिलनाडु	11.840
29.	त्रिपुरा	0.000
30.	पश्चिम बंगाल	0.000
31.	उत्तर प्रदेश	0.000
32.	उत्तरांचल	39.476
33.	जम्मू-कश्मीर	0.000
34.	पांडिचेरी	0.000
35.	लक्षद्वीप	0.000
	कुल	8063.044

कार्गो की चोरी

119. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध शाखा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्गो हैंडलिंग एजेंसियों के कुछ कर्मचारियों सहित कुछ लोगों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली पर खेपों से कथित रूप से सामानों की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमित कर्मचारियों की मिलीभगत से विमानपत्तन से कोर्गो की चोरी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर कार्गो की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर बारह व्यक्तियों जिसमें कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली निज़ी एजेंसी के कर्मचारी भी शामिल थे तथा दो व्यवसायियों को हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है।

(ग) अभी तक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमित स्टाफ के इसमें लिप्त होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसने जांच आरंभ कर दी है। संबंधित एयरलाइन से वर्ल्ड ट्रैसर एक्शन भेजने का अनुरोध किया गया है। कार्गो टर्मिनल पर सुरक्षा को पर्यवेक्षी जांचों से और बढ़ा दिया गया था। सभी कार्गो अधिकारियों को अधिक सतर्क रहने को कहा गया है। कार्गो काम्प्लेक्सों तथा आसपास के क्षेत्रों की रात्रि जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तन का विस्तार

120. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तन के विस्तार के बारे में 10 मार्च, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2766 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ::

(क) कुल्लू से ए.टी.आर.–72 प्रकार के विमान के संचालन हेतु धावन पट्टी की लंबाई में वृद्धि किए जाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) धावन पट्टी के विस्तार हेतु नदी के मार्ग को बदलने और नदी नियंत्रण कार्य को हटाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से किस तिथि को अनुरोध किए गए थे; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार कार्य की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर नदी के मार्ग को बदलकर/नियंत्रित करके रनवे की लंबाई में वृद्धि किए जाने के लिए भूमि की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने नदी को नियंत्रित किए जाने या फिर व्यास नदी पर पुल बनाने की बाबत पुख्ता राय देने के बारे में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिनांक 12.11.2002 को रनवे के विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रि–क्लेम्ड भूमि उपलब्ध कराने और किसी विशेषज्ञ एजेंसी की मार्फत नदी के नियंत्रण/उसके मार्ग को बदल जाने के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया।

(ग) विशेषज्ञ–समिति पुख्ता राय प्रस्तुत करने के कार्य में लगी है।

[अनुवाद]

तुलन-पत्रों में हेरफेर

121. **श्री के. येरननायडू** :

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :

श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2001–02 के इंडियन एयरलाइंस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तुलन पत्र में कुछ विसंगतियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने तुलन पत्र में विमानपत्तनों पर फ्लाईट हैंडलिंग सेवाओं के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी को सम्मिलित नहीं किया था;

(ग) लैंडिंग एवं पार्किंग प्रभारों के मद में देयता के न्यून विवरण के क्या कारण हैं जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पता लगाया था; और

(घ) तुलन पत्रों में हेरफेर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2001–2002 के लिए इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के तुलन–पत्र में किन्हीं विसंगतियों के बारे में टिप्पणी नहीं की गई थी। वस्तुतः, सीएजी ने वर्ष 2001–2002 के लिए *शून्य रिपोर्ट* दी है जो इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 47 पर प्रकाशित की गई है। उन्होंने वर्ष 2001–02 के लिए भारतय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखे के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। लेकिन ये टिप्पणियां इंडियन एयरलाइंस द्वारा देय लाइसेंस फीस और रॉयल्टी के लेखाकरण के संबंध में किसी विसंगतियों से संबंधित नहीं हैं।

तथापि, सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर एक पृथक रिपोर्ट में, सीएजी ने (वर्ष 2003 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 2 में) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों के बारे में कुछ ओवरस्टेटमेंट्स और अण्डरस्टेटमेंट्स की ओर टिप्पणियां की हैं। यह रिपोर्ट मई, 2003 में प्राप्त हुई। ये टिप्पणियां वर्ष 2000–01 से संबंधित हैं न कि वर्ष 2001–02 से। उत्तर सीएजी को भेज दिया जाएगा।

प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध

122. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कतिपय निर्धारित माइक्रोन के प्लास्टिक के थैलों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन थैलों पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाने के बजाए आंशिक प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या प्लास्टिक थैलों के निर्माताओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में पंजीयण कराना अनिवार्य है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नियमों के सूक्ष्मता से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) सरकार के दिनांक 17 जून 2003 की अधिसूचना एस. ओ. संख्या 698 (अ) के तहत पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जारी कर दिया गया है। उक्त नियमों के अंतर्गत 8x12 इंच आकार के और 20 माइक्रोन से कम मोटाई के अक्षत या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बनी थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) और (घ) संशोधित नियमों को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्रभावी, क्रियान्वयन के लिए भेजा गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(छ) प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान पर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समिति की सिफारिशों के आधार पर प्लास्टिक की थैलियों के अंधाधुंध उपयोग व इन्हें इधर-उधर फेंकने से रोकने के उद्देश्य से छोटे आकार एवं कम मोटाई वाली थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ज) और (झ) जी हां। संशोधित नियमों की धारा 10 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि प्लास्टिक थैलियों का विनिर्माण करने वाले प्रत्येक अधिष्ठाता को पंजीकरण की स्वीकृति/नवीकरण के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करना होगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली इकाईयों को सुनिश्चित करने के पश्चात इन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेंगे और/अथवा उसका नवीकरण करेंगे।

[हिन्दी]

धरोहर पिस्तौल की चोरी

123. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय से गायब हुई पिस्तौल वर्ष 1971 में आत्मसमर्पण के समय जनरल नियाजी द्वारा सौंपी गई पिस्तौल नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो इसे गलत तरीके से जनरल नियाजी की पिस्तौल बताने का उद्देश्य क्या था;

(ग) इस खामी के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या पिस्तौल के मालिक की सही पहचान स्थापित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मालिक की पहचान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) जी, हां। रक्षा विभाग के ऐतिहासिक रिकार्डों के अनुसार, यह पिस्तौल, फ्लैग आफिसर कमांडिंग, पूर्वी पाकिस्तान नौसेना के रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ का निजी हथियार था। रक्षा मंत्रालय ने उक्त पिस्तौल को जनरल नियाजी का पिस्तौल नहीं बताया था। हालांकि मीडिया ने इसे अन्यथा बताया है।

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां

124. **श्री श्रीनिवास पाटील : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्राजील की तुलना में भारत में प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) भारत में फसलोपरांत फलों एव सब्जियों के प्रसंस्करण में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एकल खिड़की सेवा के अंतर्गत मौजूदा खाद्य नियमों को युक्तियुक्त बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जैव–प्रौद्योगिकीय प्रविधियों को अपनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत पंजीकृत यूनिटों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों का प्रतिशत बाजार में पहुंचने वाली फल–सब्जियों के 2 प्रतिशत से कम है। ब्राजील में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के बारे में सटीक सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के वास्ते सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, वर्तमान यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण/विस्तार के वास्ते सहायता देने, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिन्केज के लिए सहायता देने तथा मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने एक आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून और संबद्ध विनियम तैयार करने हेतु विधायी एवं अन्य परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। मौजूदा कानूनों को समरूप और आधुनिक बनाने तथा खाद्य उत्पादों के विनियमन हेतु एक एकल संविधि बनाने का प्रस्ताव है ताकि निर्णय तेजी से लिये जा सकें। आशा है कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं आधुनिक घटनाक्रम को ध्यान में रखेगा ताकि अनुकूल वातावरण का सृजन हो सके और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्वतः अनुपालन कर सके।

(ङ) और (च) जैव प्रौद्योगिकीय विधियों का इस्तेमाल कच्ची उपज के साथ–साथ प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। जहां तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संबंध है विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के वास्ते उद्योग द्वारा वर्तमान में किण्वन विधि जैसी कुछ जैव प्रौद्योगिकीय विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सर्वेक्षण

125. **श्रीमती प्रभा राव :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डे पर अपेक्षित सुधार के संबंध में यात्रियों से सुझाव मांगने के निमित्त दिल्ली हवाई अड्डे पर एक निजी–एजेंसी द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण कराया गया है

(ख) यदि हां, तो क्या इस एजेंसी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अधिकृत किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस एजेंसी द्वारा तैयार की गई कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट एएआई को सौंपी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सर्वेक्षण में यात्रियों द्वारा मुख्य रूप से क्या–क्या सुझाव दिए गए/शिकायतें की गई और हवाई अड्डों की भावी विकासात्मक योजनाओं में कहां तक इन सुझावों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के बारे में यात्री संतुष्टीकरण सर्वेक्षण करने की बाबत एक दिल्ली में स्थित वाली अनुसंधान परामर्शदाता कंपनी मैसर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज की सेवाएं किराए पर ली गई थीं।

(ग) अगस्त, 2003 के अंत तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को परामर्शदाता द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कम्प्यूटर घोटाला

126. **श्री अवतार सिंह भडाना :**

श्री आदि शंकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, पवन रैना समिति और भास्कर बरूआ समिति की जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने में असफल रहा है, जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में करोड़ों रुपए के कम्प्यूटर खरीद घोटाले की विभागीय जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने पी.ई.सं. 1(ए)/2001–ए.सी.यू. (vi) रजिस्टर किया था तथा एन.ए.टी.पी. के तहत कंम्प्यूटरों और नेटवर्किंग उपकरणों की खरीद में तथाकथित अनियमितताओं की जांच की थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच–पड़ताल पवन रैना और भास्कर बरूआ समितियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच–पड़तालों का एक परिणाम है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच–पड़ताल रिपोर्ट के अनुसार जांच में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध किसी दुर्भावपूर्ण दोष का पता नहीं चला। चूंकि, आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला बंद कर दिया। इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

आगरा किले से ताजमहल तक यमुना में प्रदूषण

127. **श्री अबुल हसनत खां :**

श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आगरा किले और ताजमहल के बीच यमुना नदी तल के 2 किलोमीटर लंबी हिस्से की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें 5 फीट मिट्टी भरी गई है और 160.0 मीटर भूमि, 5 फीट ऊंची दीवार पर लगभग 800 मजदूर कार्यरत हैं, जो किले के निकट स्थित राम बाग पुर से ताज के निकट स्थित शमशान घाट तक फैला हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ताज हैरिटेज कोरीडोर परियोजना के संबंध में कोई स्वीकृति लिए बिना यमुना नदी में सुधार कार्य शुरु किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जुलाई, 2003 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को पूरे मामले की जांच करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर माननीय न्यायालय में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तथा सी.बी.आई. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए दो महीने का समय दिया गया है जिसके पश्चात उचित आदेश पारित किए जाएंगे। अतः मामला न्यायाधीन है।

वर्मिकम्पोस्ट का उत्पादन

128. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका से कम्पोस्ट उर्वरकों की बड़े पैमाने पर हो रही मांग की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई गैर–सरकारी संगठनों ने गोबर एवं मूत्र से उत्पादित वर्मिकम्पोस्ट की आपूर्ति करने की पेशकश की है;

(ग) क्या आवारा पशुओं के गोबर एवं मूत्र से वर्मिकम्पोस्ट उत्पादित करने की कोई विस्तृत परियोजना सरकार को सौंपी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वर्मिकम्पोस्ट के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) यू. एस. ए. से कम्पोस्ट उर्वरकों के लिए कोई भारी मांग कृषि मंत्रालय के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) और (ग) ऐसे कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार, फसलों के लिए पोषक तत्वों के अनुपूरक स्त्रोत के रूप में वर्मिकम्पोस्ट सहित जैविक खादों के विभिन्न स्त्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रौद्योगिकी मिशन के विभिन्न कार्यकलापों में वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन एक है। राज्य सरकारें वृहत प्रबंध स्कीम के तहत वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त, किसानों के खेतों पर वर्मीकम्पोस्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु केंचुओं की प्रभावकारी नस्ल की पर्याप्त उपलब्धता को सुकर बनाने हेतु, जैविक कृषि राष्ट्रीय परियोजना के अनुमोदन के बाद इसके अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से वर्मीकल्चर हैचरियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा

129. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि लागत और मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) द्वारा प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में स्थापित दीर्घावधिक अनाज संबंधी नीति पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा "न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद" शीर्षक के अंतर्गत की गई सिफारिशों में से एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की स्थिति से संबंधित है। समिति के अनुसार, सी.ए.सी.पी. को एक अधिकार–प्राप्त सांविधिक निकाय बनाया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में 6–7 नवम्बर, 2002 को आयोजित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में प्रणाली विज्ञान संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य निष्कर्षों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रणाली–विज्ञाम संबंधी तथा सम्बद्ध सिफारिशों की जांच करने के लिए प्रो. वाई. के अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का हाल ही में गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय में सी.ए.सी.पी. की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों की जांच शामिल है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा

130. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से बाल श्रम से संबंधित कानूनों में त्वरित संशोधन करने और राज्य सरकारों के सहयोग से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समय–सीमा निर्धारित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बाल श्रम संबंधी कानूनों में तेजी से परिवर्तन लाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है। तथापि, वर्तमान में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में कोई भी संशोधन विचाराधीन नहीं है।

लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय को बंद करना

131. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय को बंद करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने 250 कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) की सिफारिशों के अनुसरण में विकास आयुक्त लोहा और इस्पात का कार्यालय (डीसीआईएंडएस) को बंद करने तथा कर्मचारियों को अधिशेष घोषित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को अधिशेष घोषित करने और उसके बाद पुनतैनाती के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पुनर्प्रशिक्षण और पुनतैनाती प्रभाग द्वारा जारी किए गए विस्तृत अनुदेशों की शर्तों के अनुसार पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

132. **श्री नवल किशोर राय :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लक्षित वार्षिक विकास दर को प्राप्त कर 10 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने का है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में लक्षित वार्षिक विकास दर को प्राप्त करने में अफसल होने के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के दौरान उक्त में से कितने प्रतिशत रोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से 50 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 30 मिलियन रोजगार अवसर सामान्य विकास विकास प्रक्रिया के माध्यम से तथा शेष 20 मिलियन विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए जाने प्रस्तावित हैं।

रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 1999–2000 के दौरान किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर देश में अनुमानित रोजगार लगभग 336.75 मिलियन था।

(ङ) दसवीं योजनावधि के दौरान 10 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से रोजगार अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य है।

ताज विमानपत्तन का कार्य

133. **डा. अशोक पटेल :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताज विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति की गई है;

(ख) इस परियोजना पर व्यय की जाने वाली अनुमानित धनराशि कितनी है; और

(ग) उक्त विमानपत्तन के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को परियोजना स्थल के लिए तकनीकी क्लियरेंस दे दिया है। भूमि अर्जन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ख) और (ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो जाने पर ही अनुमानित राशि तथा समय का पता चलेगा।

[अनुवाद]

चक्रवात के कारण औद्योगिक इकाइयों का बंद होना

134. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1999 के महाचक्रवात के पश्चात् कितनी औद्योगिक इकाइयां बंद हुई हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(ग) श्रमिक असंतोष के कारण कितनी इकाइयां बंद हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में इन इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1999 के महाचक्रवात के बाद उड़ीसा में 17 औद्योगिक इकाइयां बंद हो गयी हैं।

(ख) बंदी के परिणामस्वरूप 1060 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(ग) श्रमिक असंतोष के कारण कोई इकाई बंद नहीं हुयी है।

(घ) इस प्रकार की बंदी के अधिकांश कारण वित्तीय संकट, नामाधिकार का नवीकरण न होना और प्रतिकूल बाजार दशा इत्यादि थे अतः बंद इकाइयों को पुनरूज्जीवित नहीं किया जा सका।

कपास उत्पादकता

135. **श्री वी. वेत्रिसेलवन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कपास की उत्पादकता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीज प्रदाता एजेन्सियों पर नियंत्रण के अभाव, मिलावटी बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों की घटिया गुणवत्ता आदि के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फरवरी, 2000 में कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन में चार मिनी मिशनें हैं। मिनी मिशन–I उत्पादकता वृद्धि समेत कपास में उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जबकि कृषि एवं सहकारिता विभाग कपास के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु मिनी मिशन–II कार्यान्वित कर रहा है। मिनी मिशन–II के अंतर्गत, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीज, स्प्रेयर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फेरोमोन ट्रैप्स और बायो–एजेन्ट आदि की आपूर्ति के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के अन्तरण हेतु राज्यों को सहायता दी जाती है। कपड़ा मंत्रालय मिनी –मिशन III और IV के लिए नोडल मंत्रालय है जो क्रमशः कपास की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मण्डी के बुनियादी ढांचे के विकास और ओटाई एवं पेराई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देता है।

(ग) जी नहीं, किसानों को गुणवत्ता बीजों, उर्वरकों और कीटनाशियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राधिकरणों का पर्याप्त नियंत्रण है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपारी का मूल्य

136. **श्री आर. एस. पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की सहायतार्थ सुपारी हेतु निर्धारित मूल्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सुपारी हेतु न्यूनतम मूल्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सुपारी उत्पादकों के हितों के

संरक्षण के लिए राज्य सरकारों के विशेष व्यक्तिगत अनुरोध पर सुपारी की अधिप्राप्ति के लिए सरकार मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित कर रही है और इसके प्रचालन में यदि कोई हानि होती है, तो उसका वहन केन्द्र और राज्य बराबर–बराबर करते हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत कर्नाटक में 6000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2925 टन सुपारी की खरीद की गयी। इसी प्रकार 2002–03 के दौरान इस सकीम के अंतर्गत, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 5500/– रुपये प्रति क्विंटल की दर से 756 टन सुपारी की खरीद की गई।

पर्वतीय विकास

137. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय विकास हेतु कार्य योजना करने के लिए उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या है और इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 के आयोजन के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। परंतु इसके विचारार्थ विषयों के लिए पर्वत विकास की कार्य योजना तैयार किया जाना अपेक्षित नहीं था। इसलिए इस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी विमान कंपनियों के विमान उतारने के अधिकार

138. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कंपनियों ने भारत में विमान उतारने के अधिकार हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पर सीधा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या पर्यटन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर नागर विमानन मंत्रालय से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत में विमान उतारने के अधिकार हेतु किन–किन विदेशी कंपनियों ने अनुरोध किया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के लिए/से अधिकांश अंतरराष्ट्रीय यातायात एथनिक प्रकृति का है। उन देशों से अवतरण अधिकारों के लिए कोई अनुरोध लंबित नहीं पड़े हैं जहां से विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आते हैं। अवतरण अधिकारों के लिए विदेशी एयरलाइनों के अनुरोध मूल रूप से भारतीय यातायात को पूरा करने के लिए होते हैं। और इस प्रकार के अनुरोधों का उन विदेशी पर्यटकों की संख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता जो भारत की यात्रा पर आते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से परामर्श करके, जनवरी 2003 से कोरिया गणराज्य, मलेशिया, तुर्की, इटली, गल्फ एयर, ओनर देश (यूएई, ओमन, बहरीन) तथा थाईलैंड से द्विपक्षीय विमान सेवाओं पर वार्ताएं हुई और भारत के लिए प्रचालन के लिए उनकी नामित विमान कंपनियों को अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, व्यस्ततम भीड़–भाड़ को क्लियर करने के लिए पिछले शरद्–कालीन सत्र में एक सीमित मुक्त आकाश नीति की भी घोषणा की गई थी। इस नीति को यूरोपीय विमान कंपनियों (वाहकों) के मामले में जून, 2003 के अंत तक बढ़ा दिया गया था।

(च) अवतरण अधिकारों के लिए आवेदन करने वाली बड़ी एयरलाइनों में एमीरैट्स, ओमन एयर, कतर एयरवेज, कुवैत एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, श्रीलंकन एयरलाइंस इत्यादि हैं।

जल संसाधनों का संरक्षण

139. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संरक्षण में गैर–सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गैर–सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राष्ट्रीय जल नीति (2002) में निर्धारित किए गए अनुसार जल संसाधनों के प्रबंधन में सहभागिता दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ एस)/स्वैच्छिक संगठनों को जल संरक्षण में अहम भूमिका निभानी है। इसमें नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख है:–

> "विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन में जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में एक प्रभावशाली और निर्णायक ढंग से न केवल विभिन्न सरकारी अभिकरणों बल्कि प्रयोक्ताओं अन्य दावाधारकों को भी शामिल करते हुए एक सहभागिता दृष्टिकोण शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए उपयुक्त भूमि सुनिश्चित करते हुए इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक विधिक और संस्थागत परिवर्तन किए जाने चाहिए। जल प्रयोक्ता संघों तथा नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को जल उपयोगकर्त्ता समूहों/स्थानीय निकायों को अंततोगत्वा ऐसी सुविधाओं के प्रबंधन के हस्तांतरण की दृष्टि से उपयुक्त स्तरों पर उत्तरोत्तर रूप में संबंधी अवसंरचना/सुविधाओं के प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन में विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए।"

(ख) जल संसाधन मंत्रालय, जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता से संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को सहायता मुहैया करा रहा है। स्वच्छ जल वर्ष–2003 के लिए जल संरक्षण को एक गतिविधि के रूप में अभिज्ञात किया गया है तथा गैर सरकारी संगठनों को इस प्रयोजन के लिए सहायता देने के लिए 150 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

एअर इंडिया की घाटे में चल रही उड़ानें

140. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को कुछ उड़ानों की वजह से घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उड़ानों का ब्यौरा क्या है और एअर इंडिया की कुल उडानों में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन उड़ानों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं। एअर इंडिया घरेलू मार्गों और घरेलू हब व स्पॉक को छोड़कर सभी मार्गों पर नकद लाभ कमाती हैं। तथापि, ये उड़ानें या तो पोजिशनिंग उड़ानें हैं या फिर ये अलग–अलग दूर–दराज के स्थलों से गेटवे हवाई अड्डों से होकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ट्रैफिक फीड करती है। अतः इनकी लाभप्रदता नेटवर्क की लाभप्रदता के संयोजन में देखी जानी चाहिए न कि अलग से।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्पंज आयरन का उत्पादन

141. **श्री जे. एस. बराड़ :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्पंज आयरन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002–2003 के दौरान स्पंज आयरन का कितना उत्पादन दर्ज किया गया और वर्ष 2003–2004 में कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) इसकी वर्तमान घरेलू मांग का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002–2003 के दौरान कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और वर्ष 2003–2004 हेतु निर्यात का लक्ष्य क्या है; और

(घ) वर्ष 2002–2003 के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है और वर्ष 2003–2004 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) 2002–2003 के दौरान स्पंज लोहे का उत्पादन 69.08 लाख टन हुआ था और 2003–2004 के दौरान 75.00 लाख टन स्पंज लोहे का उत्पादन होने की संभावना है।

(ग) 2002–2003 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया

गया और 2003–2004 के लिए निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 2003–2004 के लिए प्रक्षेपित मांग लगभग 74 टन है।

(घ) उपरोक्त "ग" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों की पुनर्संरचना

142. **श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :**

श्री ए. नरेन्द्र :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री कमल नाथ :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को नई कंपनियों के लिए विदेशी संयुक्त उपक्रम साझेदारों का पता लगाने के लिए वैश्विक परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिनके अंतर्गत दिल्ली तथा मुम्बई स्थित विमानपत्तनों की पुनर्संरचना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली तथा मुम्बई स्थित विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी) : (क) से (घ) दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों की पुनर्संरचना के लिए कार्यवधि पर अभी विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन हेतु कृतिक बल

143. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा. एस. पी. गुप्ता के नेतृत्व में रोजगार सृजन हेतु अधिकतम संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृतिक बल के अन्य विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) उक्त कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) योजना आयोग के सदस्य डा. एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में, राज्य स्तर पर रोजगार नीति तैयार करने, राज्य स्तर पर रोजगार सृजन का प्रबोधन करने तथा राज्य सरकारों द्वारा 10वीं योजना में रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों एवं नीतियों के कार्यान्वयन हेतु, एक कार्य बल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

अपक्षम वन भूमि का उपयोग

144. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अपक्षम वन भूमि में ईंधन की लकड़ी और चारा उगाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी योजनाएं कार्यान्वित हैं;

(ख) इस संबंध में महाराष्ट्र को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को अपक्षम वन भूमि के उपयोग हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) क्षेत्रोंमुखी ईंधनलकड़ी और चारा परियोजना (एओएफएफपी) की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना नौवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित देश भर में (50:50 की भागीदारी) में क्रियान्वित की गई थी। तथापि, 10वीं योजना में, इस मंत्रालय की सभी वनीकरण गतिविधियां, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) के अंतर्गत मिला दी गई हैं और वन

विकास अभिकरणों के विक्रेन्द्रित संगठन के माध्यम से क्रियान्वित की गई हैं जिसमें ईंधन लकड़ी और चारा प्रजातियां भी शामिल हैं। यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र योजना है।

नौवीं योजना और 10वीं योजना के दौरान, महाराष्ट्र को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	योजना	वित्तीय (लाख रुपयों में)	
		नवीं योजना	दसवीं योजना
1.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना	303.53	13.63 (रखरखाव)
2.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	184.76	841.43
	कुल	488.29	855.06

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत योजनाएं

145. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) ऐसी योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण में कितना सुधार होने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी) कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के लिए परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 23, 91,300 रुपए की राशि की सहायता दी गई है। उक्त वर्ष के दौरान दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध हुआ है। वृक्षारोपण, कुओं और तालाबों की सफाई जैसे कार्योन्मुखी घटक विशेषकर प्रभावी रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान दी गई सहायता का राज्य वार ब्यौरा

राज्य	2002-2003 (रुपए)
1	2
आंध्र प्रदेश	27,91,800
कर्नाटक	7,75,800
तमिलनाडु	21,07,800
केरल	13,63,050
सिक्किम	2,10,000
मेघालय	3,50,000
नागालैंड	6,99,000
मिजोरम	2,36,000
त्रिपुरा	10,12,000
असम	14,36,000
मणिपुर	15,54,000
उड़ीसा	35,13,690
पश्चिम बंगाल	14,94,900
झारखण्ड	9,55,800

1	2
बिहार	33,74,100
दिल्ली	8,17,200
उत्तरांचल	8,64,000
उत्तर प्रदेश	49,79,800
मध्य प्रदेश	26,47,800
छत्तीसगढ़	3,90,600
जम्मू–कश्मीर	22,54,500
हिमाचल प्रदेश	8,98,920
हरियाणा	7,04,700
चण्डीगढ़	1,32,300
पंजाब	6,46,200
महाराष्ट्र	23,91,300
गोवा	1,19,700
गुजरात	11,53,800
राजस्थान	12,34,350
पांडिचेरी	94,500
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	32,400
दमन एवं दीव	9,000
दादर एवं नगर हवेली	18,000

किलों का नवीकरण

146. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे किलों का पता लगाया है जो जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन किलों के नवीकरण कार्यों को शीघ्र करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) वर्तमान योजना अवधि के दौरान संरचनागत मरम्मतों के लिए अभिनिर्धारित किलो, राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	किला का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	पहाड़ी किला	मडोकसीरा	आनंदपुर
2.	चंद्रगिरि	चंद्रगिरि	चित्तूर
3.	सिद्धौट किला	सिद्धौट	कुड्डपा
4.	गोलकोंडा किला	हैदराबाद	हैदराबाद
5.	वारंगल किला	वारंगल	वारंगल
6.	गोट्टी किला	गोट्टी	आनंदपुर
7.	ध्वस्त किला	अडोनी	कुरनूल
8.	धरनीकोटा किला	धरनीकोटा	गुंटूर
9.	जिला भांडेर किला	मछलीपट्नम	
10.	किला गंडीकोटा	गंडीकोटा	कड्डप्पा
बिहार			
1.	रोहतासगढ़	रोहतास	रोहतास
2.	राजगिर	राजगिर	नालंदा
3.	बलिराजगढ़ किला	मधुबनी	मधुबनी
4.	राजा बिशाल का गढ़	वैशाली	वैशाली
5.	चौंकीगढ़	चौंकीगढ़	पश्चिम चंपारन
दिल्ली			
1.	लाल किला	दिल्ली	दिल्ली
2.	सलीमगढ़	दिल्ली	दिल्ली

1	2	3	4
3.	पुराना किला	दिल्ली	दिल्ली
4.	फिरोजाबाद कोटला	दिल्ली	दिल्ली
5.	तुगलकाबाद किला	दिल्ली	दिल्ली
6.	आदिलाबाद किला	दिल्ली	दिल्ली
7.	राय पिथौरा किला	दिल्ली	दिल्ली
दियू संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दियू किला	दियू	दियू
गोवा			
1.	अगुआडा किला	गोवा	गोवा
गुजरात			
1.	किला दीवार	चंपानेर	गोधरा
2.	पावागढ़ किला	पावागढ़ पहाडी	गोधरा
हिमाचल प्रदेश			
1.	कांगड़ा किला	कागड़ा	कागड़ा
2.	नुरपूर किला	नुरपुर	नुरपुर
हरियाणा			
1.	पृथ्वी राज चौहान का किला	हांसी	हांसी
जम्मू-कश्मीर			
1.	अखनूर किला	अखनूर	जम्मू
2.	रामनगर किला	रामनगर	उधमपुर
झारखंड			
1.	रूअम किला		सिंगभूम
कर्नाटक			
1.	जिला दीवार एहोल	एहोल	बाघलकोट
2.	किला दीवार, बादामी	बदामी	—वही—

1	2	3	4
3.	मिरजान किला	मिजान	उत्तर कनारा
4.	बीदर किला	बीदर	बीदर
5.	गुलबर्गा किला	गुलबर्गा	गुलबर्गा
6.	किला डुंगिअन	बंगलौर	बंगलौर
7.	किला चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग
8.	टीपू सुल्तान उच्च किला	बेल्लारी	बेल्लारी
9.	किला बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर
10.	किला एवं द्वार धारवाड़	धारवाड़	धारवाड़
केरल			
1.	पालकडे किला	पालकडे	पालकडे
2.	बेकल किला	पल्लीकेरे	कररगोड
3.	तेल्लीचेरी किला	तेल्लीचेरी	कन्नुर
महाराष्ट्र			
1.	रायगढ़ किला	रायगढ़	अगरकोट
2.	जंजीरा किला	राजापुर	अगरकोट
3.	सिंधुदुर्ग किला	मालवान	सिंधुदुर्ग
4.	विजयदुर्ग किला	दौलताबाद	औरंगाबाद
5.	पनहाला किला	पनहाला	कोलापुर
6.	गोविलगढ़	चिक्कलदवारा	अमरावती
मध्य प्रदेश			
1.	रायसेन किला	रायसेन	रायसेन
2.	अटेर किला	अटेर	भिंड
3.	मांडु किला	मांडु	धार
4.	लालजी किला	लालजी	बालाघाट

1	2	3	4
5.	अजयगढ़	अजयगढ़	पन्ना
6.	धरमनी किला	धरमनी	सागर
7.	किला	खिमलासा	सागर
पंजाब			
1.	भटिंडा किला	भटिंडा	भटिंडा
राजस्थान			
1.	रणथंमौर किला	रणथंमौर	सवाई माधोपुर
2.	भरतपुर किला	भरतपुर	भरतपुर
3.	जैसलमेर किला	जैसलमेर	जैसलमेर
4.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौडगढ़
5.	कुम्भलगढ़	कुम्भलगढ़	राजसमंद
6.	भटनेर किला	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
7.	मंडौर किला	जोधपुर	जोधपुर
तमिलनाडु			
1.	जिंजी किला	जिंजी	वेलुपुरम
2.	सेंट जार्ज फोर्ट	चेन्नई	चेन्नई
3.	डच किला	मद्रास	कांडीपुरम
4.	चिन्नाकवंदानुर किला	चिन्नाकवंदापुर	सलेम
5.	शिवगंगा किला	शिवगंगा	तंजौर
6.	वेल्लौर किला	वेल्लौर	वेल्लौर
7.	तिरूपयम किला	तिरूपयम	पुडुडुकोट्टी
8.	पल्लापट्टी किला	पल्लापट्टी	डिंडीगुल
9.	अत्तुर किला	अत्तुर	सलेम
10.	कृष्णागिरि किला	कृष्णागिरि	धरमपुर
11.	राजनगुडी किला	राजनगुडी	पेरमबलूर

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	आगरा क़िला	आगरा	आगरा
2.	जगनेर किला	जगनेर	आगरा
3.	मुगल नगर एवं किला	फतेहपुर सीकरी	आगरा
4.	झांसी किला	झांसी	झांसी
5.	जौनपुर किला	जौनपुर	जौनपुर
6.	जयचन्द का किला	ज़ाफराबाद	जौनपुर
7.	किला ललितपुर	अहरौरा	मिर्जापुर
8.	कानटिल किला	विध्यांचल	मिर्जापुर
9.	हातिमपुर किला	वाराणसी	वाराणसी
10.	विजयगढ़ किला	मिर्जापुर	मिर्जापुर
पश्चिम बंगाल			
1.	कुरूपबेरा किला	गगनेस्वर	मिदनापुर

पंजाब में फसल चक्र

147. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में किसान परम्परागत गेहूं और चावल की खेती से बड़े पैमाने पर एरण्डी जैसी लाभप्रद फसलों की ओर उन्मुख हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार द्वारा फसल चक्र में ऐसे बदलाव हेतु क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में आने वाली अनुमानित गिरावट का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पंजाब राज्य में एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में गेहूं और चावल के स्थान पर अन्य लाभप्रद फसलों जैसे अरंड, ग्वार, बासमती और मक्का की खेती की गई है।

(ख) इस बदलाव के लिए पंजाब सरकार द्वारा किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

(ग) इस बदलाव के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि मक्का और बासमती खाद्यान्न फसलें हैं। अरंड और ग्वार की फसलों की खेती बहुत ही छोटे क्षेत्र में की जाती है।

इंडियन एयरलाइंस की निष्क्रिय आस्तियां

148. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की कुछ आस्तियां लम्बे समय से अप्रयोज्य पड़ी हुई हैं और वे इंडियन एयरलाइस के लिए किसी तरह राजस्व का अर्जन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खाली प्लाटों की हाल में बिक्री की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य अप्रयोज्य सम्पत्तियों को कब तक बेचे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने कुछ पूर्व वर्षों में ली गई उनकी कुछ ऐसी चल सम्पत्तियों की पहचान की है, जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की सम्पत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने डीएलएफ, कुतुब एन्क्लेव, फेस–।।।, गुडगांव में 19 प्लाट बेचे हैं जिनकी कुल कीमत 8,38,58,800/- रुपए है।

(घ) अन्य उपयोग में नहीं लाई जा रही खाली पड़ी सम्पत्तियों को निदेशक मंडलों के अनुमोदन से बेचने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

विवरण

क्र.सं.	भू–खंडों के ब्यौरे	क्षेत्रफल	खरीद–वर्ष
1	2	3	4
मुख्यालय			
1.	डी एल एफ कुतुब एन्क्लेव, फेस–।।।, गुडगांव में 6 प्लाट	2436 व.मी.	1991
उत्तरी क्षेत्र			
2.	श्रीनगर में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	3623 व.मी.	1987
3.	श्रीनगर में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	8079 व.मी.	1985
4.	खजुलराहो में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	22,500 व. फुट	1987
5.	चण्डीगढ़ में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	472 व.मी.	1985
6.	जम्मू में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	1262.73 व.मी.	1986
7.	जम्मू में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	1515 व.मी.	1987
दक्षिणी क्षेत्र			
8. (क)	चेन्नई में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	5416 व.मी.	1988
8 (ख)		518.5 व.मी.	1995
9.	बंगलौर में स्टाफ क्वार्टरों के लिए 2 प्लाट	805 व.मी.	1984

1	2	3	4
10.	कोचीन में बुकिंग कार्यालय के लिए 4 प्लाट	2024.14 व.मी.	1985
11.	कोयम्बतूर में बुकिंग कार्यालय के लिए प्लाट	4025 व.मी.	1990
12.	त्रिवेन्द्रम में स्टाफ क्वार्टरों के लिए 7 प्लाट	2765 व.मी.	1985
पूर्वी क्षेत्र			
13.	डिब्रूगढ़ में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	28779 व.मी.	1985
14.	दीमापुर में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	1038.59 व.मी.	1989
15.	गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि	1784 व.मी.	1984
16.	पटना में बुकिंग कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि	566.5 व.मी.	1988
पश्चिमी क्षेत्र			
17.	भुज में बुकिंग कार्यालय के लिए बिल्डिंग	400 व.मी.	1971
18.	बडौदा ों बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	2000 व.मी.	1989
19.	गोवा में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	2020 व.मी.	1987
20.	राजकोट में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	1078.82 व.मी.	1988
21.	जामनगर में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	1000 व.मी.	1988
22.	चरकोप, कांडीवली मुम्बई में 6 रिहायशी प्लाट	5410.24 व.मी.	1985
23.	नेरूल, मुम्बई में 2 रिहायशी प्लाट	70,000 व.मी.	1984
24.	नासिक में एसएम के बंगलों के लिए रिहायशी भूमि	385 व.मी.	1984
25.	अहमदाबाद में स्टॉफ क्वार्टरों के लिए भूमि	16,000 व.मी.	1990
26.	औरंगाबाद में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	708.217 व.मी.	1988
27.	राजकोट में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	1331.59 व.मी.	1992
28.	नासिक में फ्लैट	6	1984
29.	भुज में स्टाफ क्वार्टर	8	1983
30.	अहमदाबाद में फ्लैट	5	1987
31.	अहमदाबाद में फ्लैट	1	1984
32.	मंगलौर में फ्लैट	1	1984

प्रदूषित शहर

149. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के क्रमवार नाम क्या हैं और देश के प्रदूषित शहरों की सूची में उनका रैंक क्या है;

(ख) उक्त शहरों में से प्रत्येक शहर में प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत 1995 से 2001 की अवधि के लिए प्राप्त किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा के आधार पर प्रदूषित शहरों की पहचान की गई है। ऐसे शहरों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। संघ राज्य क्षेत्रों में, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की पहचान करने, प्रदूषण भार का मूल्यांकन और वाहनों, उद्योगों और अन्य स्त्रोतों सहित विविध क्षेत्रों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए शहर-दार कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

विवरण

भारत में अप्राप्य (नॉन-अटेनमेंट) शहरों की सूची

(परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकडा 1995-2001 के आधार पर)

क्र.सं.	शहर	प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत
1	2	3
(क)	**महानगर**	
1.	आगरा	वाहन, उद्योग
2.	अहमदाबाद	वाहन, उद्योग
3.	बंगलौर	वाहन
4.	भोपाल	वाहन
5.	चैन्नई	वाहन, उद्योग
6.	दिल्ली	वाहन
7.	धनबाद	उद्योग
8.	फरीदाबाद	वाहन, उद्योग
9.	हैदराबाद	वाहन
10.	इन्दौर	वाहन
11.	जबलपुर	वाहन
12.	जयपुर	वाहन
13.	कानपुर	वाहन, उद्योग
14.	कोच्चि	वाहन, उद्योग
15.	कोलकाता	वाहन, उद्योग
16.	लखनऊ	वाहन
17.	लुधियाना	वाहन उद्योग
18.	मदुरै	वाहन
19.	मुम्बई	वाहन, उद्योग
20.	नागपुर	वाहन
21.	नासिक	वाहन
22.	पटना	वाहन, प्राकृतिक धूल
23.	पुणे	वाहन
24.	सूरत	वाहन, उद्योग
25.	वड़ोदरा	वाहन, उद्योग
26.	वाराणसी	वाहन, प्राकृतिक धूल
27.	विशाखापतनम्	वाहन, उद्योग

1	2	3
(ख)	**अन्य शहर**	
1.	अलवर	वाहन, प्राकृतिक धूल
2.	अंगुल	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूल
3.	अंकलेश्वर	उद्योग
4.	भिलाई	उद्योग
5.	चण्डीगढ़	वाहन, उद्योग
6.	चन्द्रपुर	उद्योग
7.	दमताल	प्राकृतिक धूल
8.	देहरादून	वाहन, प्राकृतिक धूल
9.	गजरौला	उद्योग
10.	गोबिन्दगढ़	उद्योग
11.	हावड़ा	वाहन, उद्योग
12.	जालन्धर	वाहन, उद्योग
13.	झरिया	उद्योग, प्राकृतिक धूल
14.	जोधपुर	प्राकृतिक धूल
15.	कोरबा	उद्योग
16.	कोटा	वाहन, उद्योग
17.	नागदा	उद्योग
18.	परवानू	उद्योग, प्राकृतिक धूल
19.	रायपुर	वाहन
20.	राजकोट	वाहन, प्राकृतिक धूल
21.	राऊरकेला	उद्योग
22.	सतना	उद्योग
23.	शिमला	प्राकृतिक धूल
24.	सोलापुर	वाहन, प्राकृतिक धूल
25.	उदयपुर	वाहन, प्राकृतिक धूल
26.	वापी	उद्योग

कोचीन में पर्यटन मेला

150. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोचीन में "पर्यटन मेला" आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद-लंदन उड़ान

151. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज ने सरकार को हैदराबाद से लंदन के लिए सीधी उड़ान आरंभ करने हेतु अपनी इच्छा जाहिर करते हुए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनका अनुरोध कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा अन्य नियामक मुद्दों का कब तक समाधान होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) एक पत्र नवम्बर, 2002 में ब्रिटिश एयरवेज से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने निकट भविष्य में हैदराबाद से अपना प्रचालन शुरू करने की इच्छा जतायी थी।

(ग) इस समय हैदराबाद ब्रिटिश एयरवेज के लिए अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है ऐसे अनुरोधों पर जब कभी सभी सरकारी स्तर की द्विपक्षीय नागर विमानन विचार विमर्श होता है पर विचार किया जाता है।

संकट प्रबंधन दल की रिपोर्ट

152. डा. वी. सरोजा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकट प्रबंधन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का इसकी सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय, जो देश में प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध के लिए एक नोडल विभाग हैं, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त मंत्रालय को ऐसे किसी भी संकट प्रबंध समूह की जानकारी नहीं है, जिसके द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी।

अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां

153. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार ऐसी कितनी नियुक्तियां की गईं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी नियुक्तियां लंबित/विचाराधीन/रद्द कर दी गईं; और

(ङ) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के सभी मामलों पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सामाजिक सुरक्षा नम्बर कार्ड

154. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 50 लाख श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नम्बर कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उससे कामगरों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का विचार "री-इन्वेन्टिंग ई.पी.एफ. इंडिया" नामक परियोजना के एक भाग के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या को आबंटित करने का है।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम आदि जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर आधारित 14 अंकों वाली संख्या होगी तथा इसे प्रथम चरण में छः प्रायोगिक केन्द्रों एवं कुछ चुनिन्दा स्थानों पर शुरू किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या, सदस्यों को बेहतर एवं गुणवत्ता वाली निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने का आधार तैयार करेगी;

(i) सदस्य किसी भी स्थान पर तथा किसी भी समय अपने वैयक्तिक खातों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;

(ii) अंशदाता से दावे की प्राप्ति तथा उसे चेक जारी किए जाने के बीच लगने वाला समय दो से तीन दिन होगा;

(iii) सदस्यों का एक ही खाता होगा जिस पर सदस्य द्वारा रोजगार बदलने पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा;

(iv) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या से संगठन के साथ सभी प्रकार के लेनदेन के कार्यों में सदस्यों की पहचान करने में सुविधा होगी, इससे नियोजकों के हस्तक्षेप के बिना बेहतर एवं त्वरित सेवा प्रदान की जा सकेगी।

(घ) आबंटन कार्य चालू तिमाही के दौरान शुरू किया जाना है।

[अनुवाद]

फ्लाइंग इंस्टीटयूट के विरूद्ध प्रभार

155. **श्रीमती रीना चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजपूताना विमानन अकादमी और अहमदाबाद एविएशन तथा एरोनॉटिक्स के विरूद्ध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के समक्ष लम्बित प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस फ्लाइंग इंस्टीटयूटस के विरूद्ध भारी वसूली लंबित होने के बावजूद भी इन्हें उड़ान प्रचालन की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मैसर्स ओ. टी. जी. ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड को विमान का संचालक तथा स्वामी होते हुए रजिस्ट्रेशन नं.–वी.टी.–सी.एन.ए.,–वी.टी.–जे.जे.जी. और वी.टी.–एन.डब्ल्यू.जी. वाले विमानों के विरूद्ध लैंडिंग, पार्किंग, आर. एन. एफ. सी. इत्यादि के लंबित प्रभारों का ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ अधिकारी अपने निजी हितों के कारण भारी राशि को इससे छूट देने का प्रयास कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं। फिर भी, मैसर्स राजपूताना एविएशन अकादमी ने चूंकि अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पब्लिक प्रीमिसेज (एविक्शन ऑफ अनआथराइजेड आकुपेंट्स) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) जी, नही।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

156. **श्री जी. जे. जावीया : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, वृद्धों, महिलाओं तथा बीमार व्यक्तियों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं तथा रियायतों का ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव भविष्य में ऐसी सुविधाओं को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे व्यक्तियों ने सुविधाओं में वृद्धि करने की मांग की है और इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) दोनों एयरलाइनें वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर मरीजों, सैन्य बल कार्मिकों तथा नेत्रहीनों के लिए अपने घरेलू मार्गों पर मूल किरायों में विशेष रियायतें पेश कर रही है। वर्तमान में दोनों एयरलाइनों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर के मरीजों, सैन्यबल कार्मिकों तथा नेत्रहीनों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं इस प्रकार हैं:–(i) श्रेणी के हिसाब से किरायों पर 50% से 80% की छूट, (ii) जरूरतमंद यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं, (iii) सभी हवाई अड्डों पर व्हीलचेयरों वाले यात्रियों, शिशुओं सहित महिलाओं, वृद्धजनों, स्ट्रेचर वाले मामलों आदि को सहायता प्रदान करने के लिए ग्राहक सेवा काउंटर हैं, (iv) जहां भी संभव हो उनकी व्यवस्था टॉयलेटों के समीप की जाती है और फ्लोर लेवल एग्जिट के लिए शूट उपलब्ध कराये जाते हैं, (v) उनके लिए ऐसी सीटों की व्यवस्था की जाती है जिनमें उनके आराम के लिए अधिकतम स्थान होता है अथवा पैरों पर लगे उपकरणों के लिए स्थान होता है, (vi) उन्हें ऐसी जगह सीटें दी जाती हैं जहां से उन्हें जब जरूरत हो जल्द ही सहायता दी जा सके, (vii) जहां संभव हो वृद्धजनों को आइजल सीटें दी जाती हैं एअर इंडिया सभी हवाई अड्डों पर

वृद्ध तथा बीमार यात्रियों को उनके अनुरोध पर डाक्टरी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए बिना निःशुल्क व्हीलचेयर्स उपलब्ध कराती है। बीमार यात्रियों तथा स्ट्रेचर केसों को यात्रा के लिए स्वीकृति से पहले एअर इंडिया मैडिकल सर्विसेज डिपार्टमैंट द्वारा डॉक्टरी रूप से क्लियर किया जाना होता है। सी एस आई हवाई अड्डे पर उतरने व चढ़ने वाले दोनों स्थानों पर, यदि अपेक्षित हो, तो एम्बुलिफ्ट के साथ –साथ एम्बुलैंस के लिए भी प्रबंध किये गये हैं। वृद्ध जनों के लिए अर्हता के मापदण्ड, यात्रा आरंभ करने की तारीख को, पुरूष वरिष्ठ यात्रियों के मामले में 65 वर्ष तथा महिला यात्रियों के मामले में 63 वर्ष है।

(ख) से (ङ) दोनों एयरलाइनों के पास न तो फिलहाल इन सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और न ही अभी हाल ही में इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए उन्हें कोई मांग प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विलय

157. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव, कृषि क्षेत्र में कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के विलय का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ योजनाओं को समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप किसानों को किस तरह लाभ मिलने की संभावना है; और

(च) विलय की गई योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में कार्यान्वित और दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	नवीं योजना के अंतिम वर्ष में कार्यान्वित स्कीमें	दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित स्कीमें
1.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास प्रौद्योगिकी मिशन
2.	खेत पर जल प्रबंधन	खेत पर जल प्रबंधन
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम)
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	
5.	आयल पाम विकास कार्यक्रम	
6.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	
7.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन	सिक्किम, जम्मू–कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन
8.	कृषि संगणना	कृषि संगणना
9.	कृषि में वृहत प्रबंधन	कृषि में वृहत प्रबंधन
10.	फसल सांख्यिकी में सुधार	फसल सांख्यिकी में सुधार
11.	समय पर सूचना देने की स्कीम	
12.	कृषि सांख्यिकी की सूचना के लिए एजेन्सी की स्थापना	
13.	फलों एवं सब्जियों तथा लघु फसलों संबंधी फसल अनुमानन सर्वेक्षण	
14.	अल्प विकसित/न्यूनविकसित राज्यों में सहकारिता, विपणन, प्रसंस्करण के लिए सहायता	इन स्कीमों को अन्य स्कीमों के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यक्रम को सहायता" में विलंबित करने का प्रस्ताव है।
15.	उत्पादक सहकारी कताई मिलों में अंशपूंजी सहभागिता	
16.	उत्पादक सहकारी चीनी मिलों में अंशपूंजी सहभागिता	

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शून्य आधारित बजट प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप 16 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में से सात केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शेष रह गई। स्कीमों की संख्या में कमी इनके आपस में विलय से हुई जबकि कोई भी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हटाई/बन्द नहीं की गई।

स्कीमों के परस्पर विलय से राज्यों के लिए इनका प्रचालन तथा केन्द्रीय सहायता का इष्टतम उपयोग करना सुविधाजनक रहेगा। इसका छोटे एवं सीमांत किसानों सहित सभी प्रकार के किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(च) "कृषि सांख्यिकी का सुधार" नामक समाहित स्कीम को कार्यान्वियन हेतु अनुमोदित किया गया है। "तिलहन, दलहन, ऑयल पाम तथा मक्का की समेकित स्कीम (आई.एस. ओ.पी.ए.एम.)" तथा "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कार्यक्रम को सहायता" नामक विलय की गई स्कीमों के लिए ई. एफ. सी. की बैठकें शीघ्र ही आयोजित किए जाने की संभावना है।

दक्षिणी राज्यों में पर्यटन विकास

158. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई दक्षिणी राज्यों में पर्यटन मंत्रियों की बैठक में दक्षिण में पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को दक्षिण के लिए हैरिटेज रेलगाड़ी चलाने और दक्षिण राज्यों में और अधिक विदेशी विमान कम्पनियों को अनुमति देने हेतु सरकार को सुझाव दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में पर्यटन उद्योग को सरकार से पर्याप्त धनराशि न मिलने के कारण घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या हैरिटेज तथा थिमेटिक संग्रहालय सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और हैरिटेज स्थलों के रखरखाव हेतु अपेक्षित सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) एक सामान्य पर्यटक ब्लॉक के रूप में, दक्षिण भारतीय गंतव्य स्थलों के विकास और विपणन में, एकीकृत तरीके से, प्रोत्साहन देने और सहायता करने के उद्देश्य से, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 5 जून, 2003 को, दक्षिण भारत के पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था।

(ख) बैठक में निश्चय किया गया कि भारत सरकार को "ओपन स्काई पॉलिसी" के कार्यान्वयन के लिए एप्रोच किया जाए। यह भी प्रस्ताव था कि दक्षिण भारत के लिए सर्कुलर टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाए।

(ग) से (ङ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार का वर्ष 2003–04 के लिए 325 करोड़ रुपए का योजना आबंटन है।

पर्यटन का विकास ओर संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, निम्नलिखित योजनाओं के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है:–

(1) यात्रा परिपथों का एकीकृत विकास

(2) उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास

(3) भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता

दक्षिणी राज्यों सहित, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पहले ही, वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

पर्यटन विभाग भी अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से, भारत और विदेशों में, भारत सरकार के सभी पर्यटक गंतव्य स्थलों का संवर्धन कर रहा है।

वायु प्रदूषण के कारण नीति

159. डा. चरण दास महंत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में वायु प्रदूषण अभी भी बहुत अधिक है और 40 हजार लोग प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेषकर दिल्ली में प्रदूषण के फैलाव को रोकने में विफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रमुख नगरों में विविक्त पदार्थों को छोड़ कर वायु प्रदूषण के स्तर निर्धारित मानकों के भीतर हैं। विभिन्न उपाय करने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण भार में गिरावट आई है। ऐसा कोई निर्णायक आंकडा उपलब्ध नहीं है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूग्णता और मर्त्यता के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु अंगीकृत नीतियों और उपायों में शामिल हैं–प्रदूषण उपशमन हेतु व्यापक नीति, उन्नत आटो–फ्यूल की आपूर्ति, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को कड़ा बनाना, विर्निर्दिष्ट उद्योगों के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन की अनिवार्यता, स्वच्छता प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना, वायु और जल गुणता मानीटरन केन्द्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, प्रदूषण भार का मूल्यांकन और स्रोत विभाजन अध्ययन, प्रमुख नगरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना और कार्यान्वयन।

आंध्र प्रदेश में पशु रोग

160. **श्री बी. के. पार्थसारथी :**

श्री गुमीपाटी रामैया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को राज्य में पशु रोगों के नियंत्रण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए आंध प्रदेश को विगत तीन वर्षों अर्थात 2000–2001, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान क्रमशः 40.18 लाख रुपए, 45.27 लाख रुपए तथा 57.47 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

मेहबूब नगर में कलवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई परियोजना

161. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मेहबूब नगर जिले में कलवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 2000 में कुलवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अनुमानित 380 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में आंध्र प्रदेश के मेहबूब नगर जिले में 20,234 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई लाभ प्रदान करने की योजना है। इस परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी तथा संबंधित टिप्पणियां राज्य सरकार को अनुपालना हेतु भेज दी गई थी।

(ग) परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्परता से अनुपालना पर निर्भर करती है।

शुष्क क्षेत्रों का विकास

162. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शुष्क क्षेत्रों के लिए योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र किन–किन राज्यों में स्थित हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों विशेषकर कर्नाटक में कृषि के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) जो देश रूप में मरूस्थल जिलों (शुष्क क्षेत्र) के विकास के लिए एक प्रमुख स्कीम है, वर्ष 1977–79 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) गर्म शुष्क- क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित हैं।

(ग) इन क्षेत्रों में पनधारा आधार पर कृषि के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जैसे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्त्रवण क्षेत्रों में पनधारा विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मरूस्थल विकास कार्यक्रम एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

इसके अलावा इन क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए सहायक निम्नलिखित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर्नाटक में दिया जा रहा है: (i) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना (ii) डी.एफ. आई.डी. से सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजना तथा (iii) डैनिडा से सहायता प्राप्त व्यापक पनधारा विकास परियोजना।

[हिन्दी]

बिहार में औषधीय पादपों की खेती

163. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में औषधीय पादपों की खेती हेतु क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि में वृहद प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें औषधीय और सुगन्धित पौधों के उत्पादन सहित अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यक्रमों को अपना सकती है। बिहार सरकार प्रदर्शन और प्रशिक्षण मिनीकर वितरण, नर्सरी का सुदृढ़ीकरण और आसवंन (डिस्ट्रिलेशन) इकाई की स्थापना जैसे कार्यक्रमों को चला रही हैं। हर्बल उद्यानों की स्थापना/रख–रखाव और नर्सरी केन्द्रों की स्थापना/रख–रखाव जैसे कार्यक्रमों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भी बिहार सहित देश में औषधीय हर्बल पौधों की खेती के लिए स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान हर्बल उद्यानों के अन्तर्गत 6 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 5 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास सुगन्धित पौधों के लिए गुणवत्ता वाली पादप रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किया गया है। इसके अलावा दो नर्सरियों की स्थापना औषधीय पौधों के लिए रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए की गई है।

[अनुवाद]

यूनेस्को के दल का ताज दौरा

164. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूनेस्को के दल ने ताजमहल का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनाधिकृत ताज हैरिटेज कॉरिडोर के निर्माण पर यूनेस्कों दल के साथ चर्चा की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव ताज को "संकटापन्न स्थल" घोषित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस विश्व धरोहर स्मारक का संरक्षण करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के किसी दल ने हाल में ताजमहल का कोई दौरा नहीं किया।

(ग) और (घ) तथापि, यूनेस्को के महानिदेशक के हाल के दौरे के दौरान इस मामले पर संक्षिप्त चर्चा हुई जब उन्होंने माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री से भेंट की थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) इस स्मारक का रखरखाव निर्धारित पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

डी.ए.आर.ई./आई.सी.ए.आर. में सतर्कता मामले

165. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डी.ए.आर.ई./आर.सी.ए.आर. में सतर्कता/अनुशासन के कुल कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या डी.ए.आर.ई./आई.सी.ए.आर. में सभी लम्बित सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों के निपटान हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु क्या अन्य कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सतर्कता/अनुशासन के कुल 45 मामले लंबित हैं। आठ मामलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दो मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग को द्वितीय स्तर की सलाह के लिए भेजे गए हैं तथा शेष मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार जांच अधिकारियों को छः माह की अवधि में यथा शीघ्र जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मामलों की प्रगति को मानीटर करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी स्तर पर नियतकालिक समीक्षा प्रारंभ की जा रही है।

बीजों की कमी

166. **श्री मोहन रावले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बीजों की भारी कमी की जानकारी है जैसा कि 20 जून, 2003 के 'पायोनियर' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी स्टॉक में बीजों की स्थिति और किसानों द्वारा बचाये गए बीजों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) खरीफ – 2003 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की समग्र उपलब्धता, 44.52 लाख क्विंटल की मांग के मुकाबले 60.69 लाख क्विंटल आंकी गई है।

(घ) खरीफ–2003 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की फसल–वार मांग एवं उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) गुजरात और कर्नाटक में ग्रीष्म उत्पादन कार्यक्रमों के जरिए मूंगफली के बीजों की कमी पूरी की गई है। अरहर के बीजों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को, बीजों की अधिकता वाले राज्यों/राज्य बीज निगमों से इसकी खरीद करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों को बीजों की अपनी संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु आश्वस्त सिंचाई परिस्थितियों में बीज उत्पादन शुरू करने की सलाह दी गई है।

विवरण

खरीफ 2003 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की फसल–वार मांग और उपलब्धता का ब्यौरा

मात्रा क्विंटल में

क्र.सं.	फसल	मांग	उपलब्धता	कमी/अधिकता
1	2	3	4	5
1.	धान	18,72,089	23,56,483	+ 4,84,394
2.	ज्वार	1,79,465	2,60,657	+ 81,192
3.	बाजरा	1,77,518	2,49,005	+ 71,487
4.	मक्का	2,41,555	8,74,406	+ 6,32,851
5.	रागी	22,700	25,485	+ 2,785
6.	अरहर	79,684	77,842	− 1,842
7.	मूंग	72,119	78,193	+ 6,074
8.	उड़द	96,959	1,32,418	+ 35,459
9.	मूंगफली	6,76,420	6,24,911	− 51,509
10.	एरण्ड	41,000	42,802	+ 1,802
11.	तिल	9,288	13,076	+ 3,788

1	2	3	4	5
12.	सूरजमुखी	28,366	38,416	+ 10,050
13.	सोयाबीन	6,74,816	9,50,651	+ 2,75,835
14.	कपास	2,36,769	3,02,618	+ 65,849
15.	पटसन	21,543	21,543	
16.	मेस्ता	185	185	

गुजरात और कर्नाटक में मूंगफली के बीजों की कमी के लिए, राज्य सरकार ने सूचित किया था कि उन्होंने ग्रीष्म उत्पादन कार्यक्रम से मूंगफली के बीज की खरीद करने की योजना बनाई है और मांग पूरी कर दी जाएगी।

खाड़ी देशों में श्रमिकों की कार्य दशा

167. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से गैर कानूनी तरीके से भर्ती किए गए तथा खाड़ी देशों में कार्य कर रहे श्रमिकों की कार्य–दशाओं में सुधार करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कर्मचारियों की संख्या

168. **श्री बाल कृष्ण चौहान :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में श्रेणी–वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) कुल अधिकारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अलग–अलग, श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई विभाग/उपक्रम नहीं है। मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, यानी फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय है जिसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और दो उपक्षेत्रीय कार्यालय हैं। फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय समेत इस मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी–वार संख्या, और कुल अधिकारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अलग–अलग श्रेणी–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या (कार्यरत)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	48	2	5	1
ख	60	3	9	3
ग	71	1	13	1
घ	34	–	10	1
कुल	213	6	37	6

[अनुवाद]

ग्रामीण भंडारण योजना

169. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ग्रामीण भंडारण योजना" के अंतर्गत अब तक राज्य–वार कितने ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है; और

(ख) फसल कटाई के पश्चात किसानों द्वारा उत्पादों की औने–पौने दामों पर बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ग्रामीण भण्डारण योजना जो ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण/विस्तार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम है, का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के कुल 59.29 लाख मी. टन क्षमता की 995 परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कुल 7.42 लाख मी. टन क्षमता की 1575 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। ग्रामीण भण्डारण योजना के अंतर्गत निर्मित गोदामों की संख्या का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण गोदामों से किसान समुदाय को वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण तथा अपनी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बंधित ऋण लेने की सुविधा मिलेगी और उन्हें कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं– जिनमें बंधित ऋण की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तथा इसकी पुनः अदायगी की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है। बंधित ऋण 5 लाख रुपये प्रति आवेदक की सीमा के अधीन बंधित उत्पाद के वास्तविक मूल्य की 75% राशि तक लिया जा सकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने बंधक स्कीम के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्वित से संबंधित मानदण्डों को उपयुक्त प्रकार से उदार बना दिया है।

विवरण

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति का ब्यौरा
(31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत		कुल	
		परियोजना की संख्या	क्षमता मी. टन में	परियोजना की संख्या	क्षमता मी. टन में	परियोजना की संख्या	क्षमता मी. टन से
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	252	1315000	58	5050	340	1320050
2.	असम	2	10339	0	0	2	10339
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	14	3800	14	3800
4	बिहार	0	0	285	28500	285	28500
5	छत्तीसगढ़	9	36793	110	359800	119	396593
6	गुजरात	97	89514	0	0	97	89514
7	हरियाणा	78	1110439	139	13900	217	1124339
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	40	2800	40	2800
9	झारखंड	0	0	49	4900	49	4900
10	कर्नाटक	260	173625	26	4850	286	178475
11	केरल	1	540	160	21850	161	22390
12	मध्य प्रदेश	22	24899	191	179950	213	204849
13	महाराष्ट्र	32	71199	6	61000	38	132199

1	2	3	4	5	6	7	8
14	मणिपुर	0	0	9	900	9	900
15	मेघालय	0	0	19	1700	19	1700
16	नागालैंड	0	0	65	3250	65	3250
17	उड़ीसा	24	186284	2	200	26	186484
18	पंजाब	192	2463670	0	0	192	2463670
19	राजस्थान	0	0	22	1850	22	1850
20	तमिलनाडु	3	6025	103	10300	106	16325
21	उत्तर प्रदेश	22	436681	31	3100	53	439781
22	उत्तरांचल	0	0	39	12900	39	12900
23	पश्चिम बंगाल	1	4125	207	21000	208	25125
	कुल	995	5929133	1575	741600	2570	6670733

पूर्वोत्तर में विमानपत्तनों के लिए निधियां

170. **श्री एम. के. सुब्बा : क्या नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर में विमानपत्तनों के निर्माण विस्तार, वृद्धि हेतु 300 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत सुविचारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों के निर्माण, विस्तार तथा संवर्धन के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 250 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गयी हैं।

(ख) और (ग) परियोजना की लागत तथा स्थिति के साथ ब्यौरा इस प्रकार है:-

गुवाहाटी : 13.89 करोड़ रु. की लागत से दो यात्री बोर्डिंग ब्रिज, 3 एसकलेटर्स, 2 एलीवेटर्स को लगाना, एप्रन का विस्तार तथा सम्बद्ध कार्य तथा सिटी साइट पर केनोपी का निर्माण कार्य के 2003-2004 में शुरू होने की संभावना है।

डिब्रूगढ़ : 41.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण/विस्तार, नये टर्मिनल भवन, नये फायर स्टेशन तथा आइसोलेसन बे का निर्माण। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

लीलाबाड़ी : 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उपकरण अवतरण प्रणाली (आई एल एस) को लगाना। भूमि अर्जन कार्य प्रगति पर है। कार्य 2003-2004 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

सिल्चर : 31.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण/विस्तार तथा सम्बद्ध कार्य। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

दीमापुर : 5.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रनवे की हवाई पट्टी का विकास निकासी प्रणाली में सुधार तथा चारदीवारी इत्यादि का विकास करना तथा आई एल एस प्रणाली की संस्थापना करनी है। कार्य 2003-2004 में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। आई एल एस को आदेश दे दिया गया

है। और एरिया ग्रेडिंग तथा सिविल कार्य के पूरा होने के बाद लगा दिया जायेगा।

इम्फाल : 21.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण, आइसोलेशन बे का निर्माण तथा एप्रन को चौडा करना। कार्य प्रगति पर है तथा अक्तूबर, 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

शिलांग : 4.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रचालनात्मक दीवार का निर्माण तथा डीवीओआर को लगाना। कार्य पूरा होने की संभावना है।

अगरतला : 35.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण/विस्तार, आइसोलेशन बे का निर्माण तथा सम्बद्ध काम को मौजूदा एप्रन का सुदृढ़ीकरण लिंक टैक्सी वे का कार्य। कार्य प्रगति पर है और अक्तूबर 2003 तक पूरा होने की संभावना है इसके अतिरिक्त, सिक्किम में पाकयोंग में एक प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना

171. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तथा संबंधित प्रसंस्करण में अनुसंधान कराने हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संपूर्ण देश में विद्यमान अनुसंधान सुविधाओं का उन्नयन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू की गई है। क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए अभी ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों की विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के पूंजीगत लागत के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता देता है। यदि अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निजी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित हों तो देश में अनुसंधान सुविधाओं की व्यापक पहुंच को सुकर बनाने के वास्ते इस स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 33% तक और दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 50% तक अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध है।

अतिरिक्त सामान

172. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आने वाले विमान यात्रियों के लिए वर्तमान 25 किलोग्राम निःशुल्क सामानभार सीमा को बढ़ाकर 50 किलोग्राम करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) भारत में आने वाले विमान यात्रियों के लिए वर्तमान निःशुल्क सामान की सीमा को बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

पनधारा का निर्माण

173. **डा. एन वेंकटस्वामी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पनधाराओं के निर्माण हेतु कोई व्यापक नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वर्ष–वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गयी;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गयी; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल की गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण

यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति (जुलाई 2000) में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास संबंधी नीति भी शामिल है। इसमें प्रावधान है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित तथा समग्र विकास को पनधारा आधार पर वानस्पतिक उपायों के माध्यम से वर्षा जल के संरक्षण द्वारा तथा पनधारा समुदाय की सहभागिता से कृषि एवं कृषि वानिकी के माध्यम से बायोमास उत्पादन को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्षा सिंचित, क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्रों, बारानी भूमि तथा अवक्रमित वन क्षेत्र के विकास के लिए पनधारा आधार पर दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा निम्नवत है:

(क) कृषि मंत्रालय

1 वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)

2. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)

3. नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्त्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी एवं एफपीआर)

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय

4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

5. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

6. समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

संस्वीकृत धन एवं नियुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

(ङ) कृषि मंत्रालय की परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति पर राज्यों में प्रबोधन किया जाता है।

विवरण-।

पनधारा विकास परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय स्थिति (लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2000–01		2001–02		2002–03	
		आ.	वि.	आ.	वि.	आ.	वि.
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए	22565	18188.63	22854	19582.44	17956	4866.00*
2.	आरवीपी और एफपीआर	9779	11447.07	11128.39	10310.85	11283.54	11401.91
3.	डब्ल्यू डीपी/एससीए	1500	1797.87	1500	1535.19	2000	1966.36

*यह आंशिक आंकड़ा है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यय आंकड़े प्राप्त होने हैं।

आ.–आबंटन वि.–वितरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2000–01 निर्मुक्तियां	2001–02 निर्मुक्तियां	2002–03 निर्मुक्तियां
1.	डीडीपी	13499.79	15003.61	18500.0
2.	डीपीएपी	19000.01	20951.61	25000.0
3.	आईडब्ल्यूडीपी	12777.97	16960.69	20893.15

एनडब्ल्यूडीपीआरए – वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरवीपी और एफपीआर – नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्त्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

डब्ल्यूडीपीएससीए – झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना

डीडीपी – मरूस्थल विकास कार्यक्रम

आईडब्ल्यूडीपी – समेकित पनधारा विकास परियोजना

विवरण-।।

पनधारा विकास परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय स्थिति

(क्षेत्र हैक्ट. में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2000–01		2001–02		2002–03	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आरवीपी और एफपीआर	122238	229000	139105	163000	141044	189000
2.	डब्ल्यूडीपीएससीए	30000	30774	15000	22005	20000	19336
3.	एनडब्ल्यूडीपीआरए	496280	549730	509550	464341	360000	72095*

*यह आंशिक आंकड़ा है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यय आंकड़े प्राप्त होने हैं।

आरवीपी और एफपीआर – नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्त्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

डब्ल्यूडीपीएससीए – झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना

एनडब्ल्यूडीपीआरए – वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान

174. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) देश में आज की तिथि के अनुसार कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत/प्रदान की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिये अपनाये गये मापदण्ड में, संघटक महाविद्यालयों, महाविद्यालयों में संकायों, दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या, स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों तथा वास्तविक आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन शामिल है।

(ख) और (ग) सूचना विवरण – । तथा ।। के रूप में संलग्न है।

विवरण-।

देश में कार्य कर रहे अद्यतन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के नाम

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	2
असम	
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
बिहार	
1.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)
छत्तीसगढ़	
1.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
गुजरात	
1.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, एस के नगर जिला–बनासकांठा
हरियाणा	
1.	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
हिमाचल प्रदेश	
1.	सी एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
2.	डा. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन
जम्मू-कश्मीर	
1.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू

1	2
2.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
झारखंड	
1.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
कर्नाटक	
1.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर
2.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
केरल	
1.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर
मध्य प्रदेश	
1.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
महाराष्ट्र	
1.	बी एस कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली
2.	महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेमिनार पहाडी, नागपुर
3.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी
4.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
5.	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर अकोला
उड़ीसा	
1.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
पंजाब	
1.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
राजस्थान	
1.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर
2.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

1	2
तमिलनाडु	
1.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
2.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	
1.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
2.	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोपशु अनुसंधान संस्थान, मथुरा
3.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
4.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ
उत्तरांचल	
1.	जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
पश्चिम बंगाल	
1.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहननगर, जिला–नादिया
2.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार
3.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए एकमुश्त और ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव (आरएडब्ल्यूई) स्कीमों के तहत राज्यवार स्वीकृत/प्रदान की गई धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5
असम				
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	45.00	159.27	–

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
2.	एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	109.48	269.70	209.89
बिहार				
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	145.84	150.00	190.00
छत्तीसगढ़				
4.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	139.54	134.55	165.00
गुजरात				
5.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, एस के नगर	211.33	225.00	215.00
हरियाणा				
6.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	215.00	198.80	140.00
हिमाचल प्रदेश				
7.	सी एस के एच पी कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	91.04	127.04	170.00
8.	वाई एस पी एच एंड एफ सोलन	100.49	87.61	110.00
जम्मू-कश्मीर				
1.	एस के यू एस एंड टी जम्मू	–	300.30	94.38
10.	एस के यू ए एस एंड टी, श्रीनगर	113.25	71.70	125.00
झारखंड				
11.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	69.00	150.00	112.50
कर्नाटक				
12.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	135.25	190.76	190.00
13.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़	127.76	174.75	130.00
केरल				
14.	केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिसूर	100.00	150.05	165.00
मध्य प्रदेश				
15.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	53.81	200.00	165.00
महाराष्ट्र				
16.	बी एस कृषि विश्वविद्यालय डपोली	95.00	128.31	140.00
17.	एम ए एंड एफ एस यू नागपुर	–	147.37	130.00
18.	महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय परभनी	137.86	216.00	125.00
19.	महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहूरी	132.37	134.58	140.00
20.	पी डी के वी, अकोला	117.90	100.00	115.00
उड़ीसा				
21.	ओ यू ए एंड टी, भुवनेश्वर	125.00	196.93	147.00
पंजाब				
22.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	120.00	212.97	190.00
राजस्थान				
23.	एम पी यू ए एंड टी, उदयपुर	116.00	211.36	165.00
24.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर	128.45	173.83	170.39
तमिलनाडु				
25.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	100.00	90.28	165.00

1	2	3	4	5
26.	टी एन वी एंड ए एस यू चेन्नई	78.00	144.32	115.00
	उत्तर प्रदेश			
27.	ए ए आई, इलाहाबाद	–	50.00	43.19
28	सी एस ए यू ए एंड टी, कानपुर	180.40	228.06	200.00
29.	डी डी यू वी एंड ए एस यू, मथुरा	–	10.00	120.00
30.	एन डी यू ए एंड टी फैजाबाद	85.48	95.00	131.00
31.	एस वी पी यू ए एंड टी मेरठ	–	55.00	180.00
	उत्तरांचल			
32.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर	215.25	305.20	195.00
	पश्चिम बंगाल			
33.	बी सी कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर	80.33	126.26	94.00
34.	यू बी कृषि विश्वविद्यालय कूचबिहार	–	–	90.00
35.	डब्ल्यू बी यू ए एंड एफ एस, कोलकाता	110.00	185.00	190.00

[हिन्दी]

राज्यों में पर्यटन का विकास

175. **श्री राजो सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार और झारखण्ड सहित राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए कोई **विशेष योजना तैयार की है; और**

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता देने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। बिहार और झारखण्ड राज्यों सहित, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए' प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, पर्यटनों परियोजनाओं के लिए, प्रस्ताव के गुण–दोषों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, बशर्ते कि फंड उपलब्ध हो व उनकी पारस्परिक प्राथमिकता हो।

बिहार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यटन योजनाएं

176. **श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पर्यटन से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) वैशाली–नालंदा–राजगीर–बोधगया–वाराणसी परिपथ के एकीकृत विकास हेतु परियोजना के अंतर्गत, वर्ष 2002–2003 के दौरान, बिहार में निम्नलिखित कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	वैशाली में अभिषेक पुष्कर्नी का सुधार	75.00
2.	राजगीर रोपवे के नजदीक पर्यटक सुविधाएं	55.00
3.	कुंड में पर्यटक सुविधाएं	60.00
4.	राजगीर बिम्बिसार एवेन्यू का विकास	50.00
5.	नालंदा में पर्यटक सुविधाएं	25.00

1	2	3
6.	मायासरोवर का विकास	150.00
7.	मेडिटेशन पार्क का विकास	75.00
8.	संकेतक	15.00
	कुल	505.00

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

177. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बीज उद्योग को उन्नत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसे तकनीक, गुणवत्ता और मूल्य के हिसाब से अर्न्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे इन्डो-अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स (इंडिया), प्रा. लि. बंगलौर; मोनसेंटों इंडिया लि. नई दिल्ली; प्रोएग्रो सीड कम्पनी लि., गुडगांव; रैलिस इंडिया लि., मुंबई; सैमिनिस वैजिटेबल सीड्स (इंडिया) लि. पुणे; टोकिटा सीड इंडिया (प्रा.) लि., गुडगांव; यूनिकोर्न एग्रोटैक लि., हैदराबाद; नन्हेम्स सीड्स प्रा. लि., गुडगांव; जान हैमिलटन एण्ड कम्पनी प्रा. लि., बंगलौर आदि के भारत में कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए बीजों की गुणवत्ता को सुधारने के विशिष्ट उद्देश्य तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बीज नीति 2002 तैयार की गई है। इसी बीच बीज अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

2. बीजों की अधिसूचित प्रजाति/किस्म को लेबल लगाने के लिए बीज अधिनियम की धारा 6 (क) तथा 6 (ख) के अंतर्गत अंकुरण, आनुवांशिक शुद्धता और बनावट संबंधी शुद्धता के लिए बीज अधिनियम 1966 ने न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं। बीजों की अधिसूचित प्रजाति/किस्म का लेबल लगाना जरूरी है।

3. बीज नियमावली की धारा 17(क) के तहत भारत सरकार ने बीज को प्रमाणित करने के लिए भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाण मानदण्ड निर्धारित किये हैं। बीजों का प्रमाणीकरण आवश्यक है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए लेबल लगाने तथा प्रमाणीकरण के स्तर निर्धारित किए गए हैं।

5. भारत सरकार, भारतीय बीज कम्पनियों तथा अलग-अलग बीज उत्पादक एजेन्सियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बीज जांच एसोसिएशन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन आदि में सदस्यता तथा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

6. भारत सरकार ने आई एस टी ए से इण्डो-अमेरिकन संकर बीज कम्पनी, बंगलोर की बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं, नामधारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर, एडवेन्टा सीड्स लिमिटेड, हैदराबाद और माहिको, जालना को उनके बीज उत्पादों के नमूने लेने और परीक्षण करने के लिए आई एस टी ए का ओरेन्ज प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रत्यायन हेतु सिफारिश की है। आई एस टी ए कार्यकारी समिति ने 15 नवम्बर, 2002 से इण्डो-अमेरिकन संकर बीज (इंडिया) प्रा. लि. की बीज परीक्षण प्रयोगशाला का प्रत्यायन कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सुविधा होगी।

7. भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार के लिए बीजों के प्रमाणीकरण हेतु ओ ई सी डी की सदस्यता प्राप्त करने के मामले को प्रस्तुत कर रही है।

8. भारत बीज के निर्यात के लिए जिसमें

मुख्यतः दो श्रेणियां अर्थात् (i) निर्यात के लिए सीमा शुल्क उत्पादन तथा (ii) देसी संकर किस्मों का निर्यात शामिल है, जो गुणवत्ता, मूल्य आदि के संबंध में विश्वव्यापी प्रतियोगी में ठहरने लायक है।

9. अंतरराष्ट्रीय बीज कम्पनियों के समतुल्य किसानों को बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आयातित बीजों पर शुल्क घटाया है।

[अनुवाद]

ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट ठेके में अनियमितताएं

178. श्री महबूब जाहेदी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जानकारी नवम्बर, 2002 से ही थी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचित किया था कि नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनपीसीसी) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, स्थल विन्यास योजना और एक परियोजना अभिकल्प तैयार करने के लिए 17 करोड़ रु. जारी किए गए थे;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने निविदा आमंत्रित किए बिना एनपीसीसी को इस काम का ठेका दे दिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या एन पी सी सी ने बिना निविदा के मेसर्स इशवाकू (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को इस कार्य का उप ठेका दे दिया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी धनराशि में से इसे 13 करोड़ रु. का भुगतान कर दिया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ताज हैरिटेज कोरीडोर परियोजना के संबंध में कोई स्वीकृति लिए बिना यमुना नदी में सुधार कार्य शुरू किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जुलाई, 2003 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को पूरे मामले की जांच करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर माननीय न्यायालय में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तथा सी.बी.आई. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। जिसके पश्चात उचित आदेश पारित किए जाएंगे। अतः मामला न्यायाधीन है।

उपसतही जल की गुणवत्ता

179. श्री अधीर चौधरी :

श्री भास्कर राव पाटील :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने हाल ही में खुलासा किया है कि देश के विभिन्न भागों में उप सतही जल पीने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूजल स्तर में भी गिरावट आयी है और इसके स्तर को बनाए रखने के लिए तैयार की गई योजनाएं अप्रभावी सिद्ध हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चालू मानसून के दौरान पर्याप्त वर्षा होने के मद्देनजर सरकार का भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में नियमित रूप से भूजल गुणवत्ता की मानीटरी करता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि देश के अधिकांश भागों का भूजल प्रायः पीने योग्य है। तथापि, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूजल में मुख्यतः औद्योगिक और घरेलू बहिस्त्रावों, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, खदानों के कचड़ों, लवणीय जल के प्रवेश के कारण हुए संदूषण तथा भूजल में चट्टानी संरचनाओं के कारण भूजल की गुणवत्ता खराब हो गई है। जिन राज्यों और स्थानों पर भूजल संदूषित पाया गया है। उनके नाम तथा इनके संदूषण के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ स्थानों में भूजल स्तरों में महत्वपूर्ण गिरावट पाई गई है।

कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों के प्रभावों को मानीटर करने के लिए प्रारंभ किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि जहां इस प्रकार की स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं वहां भूजल स्तर बढ़ा है तथा भूजल संरचनाओं में स्थायित्व आया है।

(ङ) और (च) सरकार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2003-04 के दौरान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का देश में वर्षा जल संचयन संबंधी 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 51 जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने का कार्यक्रम है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	लवणता	लौहतत्व	फ्लोराइड	नाइट्रेट	आर्सेनिक	भारी धातु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम	—	प्रकाशम, नेल्लोर, अनंतपुर, नलगोंडा, रंगारेड्डी, अदिलाबाद	विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, प्रकाशम नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर, कुडप्पा, कुर्नूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, अदिलाबाद, नलगोंडा, खम्माम	—	अनंतपुर, महबूबनगर, प्रकाशम, विशाखापत्तनम, कुडप्पा, नलगोंडा
2.	असम	—	ब्रह्मपुत्र का उत्तरी किनारा	नगांव, कारबी अंगलोंग	—	—	डिगबोई
3.	बिहार	बेगूसराय	चंपारण, मुजफ्फरनगर, गया, मुंगेर, देवघर, मधुबनी, पटना, पलामू, नालंदा, नवादा, बांका	गिरिडीह, जुमई, धनबाद	पलामू, गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, साहेबगंज, बांका	—	धनबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय
4.	गुजरात	बनासकांठा, जूनागढ़, भरूच, सूरत, मेहसाना, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, खेड़ा, जामनगर	—	कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, साबरकंठा	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	हरियाणा	सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, जींद, गुडगांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़	—	रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद	अम्बाला, सोनीपत, जींद, गुडगांव, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़	—	फरीदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	कुल्लू, सोलन, उना	—	परवानू, कलाम्ब
7.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, रायचूर, बेल्लारी, धारवाड़	—	तमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर	—	—	भद्रावती
8.	केरल	एर्नाकुलम, त्रिचूर, एलेप्पी	—	पालघाट	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भिन्ड, मुरैना, झाबुआ, खरगौन, धार, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, मंदसौर, उज्जैन	—	भिन्ड, मुरैना, गुना, झाबुआ, छिन्दवाडा, सीवनी, मंडला, रायपुर, विदिशा	सीहोर	—	बस्तर, कोरबा, रतलाम, नागदा
10.	महाराष्ट्र	अमरावती, अकोला	—	भंडारा, चन्द्रपुर, नान्देड़, औरंगाबाद	थाने, जालना, बीड, नान्देड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे बुल्धाना, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली	—	—
11.	उड़ीसा	कटक, बालेश्वर, पुरी	तटीय उड़ीसा के भाग	बोलंगीर	—	—	अंगुल, तालचेर
12.	पंजाब	भटिन्डा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर	—	लुधियाना, फरीदकोट, भटिन्डा, संगरूर, जालंधर, अमृतसर	पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर संगरूर, भटिंडा	—	लुधियाना, मंडी, गोबिन्दगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	राजस्थान	भरतपुर, जयपुर, नागौर जालोर, सिरोही, जोधपुर	बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर	बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही	जयपुर, चुरू, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, बूंदी, सवाई माधोपुर	—	पाली उदयपुर, खेतड़ी
14.	तमिलनाडु	कराईकल, पांडिचेरी, नागपट्टनम, क्विद–मिलेत, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, उत्तर अरकोट–अम्बेडकर, धरमपुरी, सलेम, त्रिची, कोयम्बटूर	—	धरमपुरी, सलेम, उत्तर अरकोट–अम्बेडकर, विल्लीपुरम–पदयाताची, मुथुरमलिंगम, तिरूचिरापल्ली, पुदुकोट्टई	कोयम्बटूर, पेरियार, सलेम	—	मनाली, उत्तर – अरकोट
15.	त्रिपुरा	—	धरमनगर, कौलेशहर, खोवई, अम्बासा, अमापुर और अगरतला घाटी के भाग	—	—	—	—
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बांदा	—	बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, राय बरेली	उरई, झांसी, ललितपुर, फैजाबाद, सुलतानपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया	—	सिंगरौली, बस्ती, कानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़
17.	पश्चिम बंगाल	—	मिदनापुर, हावड़ा, हुगली. बांकुरा	बीरभूम	उत्तर दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, नदिया, मिदनापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरूलिया	मालदा, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, बर्द्धमान, हावड़ा	दुर्गापुर, हावड़ा मुर्शिदाबाद, नादिया
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	नजफगढ़, कंझावला और मेहरौली ब्लाक	—	—	शाहदरा शहर और मेहरौली ब्लाक	—	अलीपुर, कंझावला, नजफगढ़, मेहरौली शहर और शाहदरा ब्लाक

अतिरिक्त कूरियर कार्गो

180. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डी.जी.सी.ए. से विभिन्न हवाई अड्डों पर यह सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने के लिए कहा है कि विभिन्न कूरियर कंपनियों द्वारा निर्धारित घरेलू उड़ानों पर ले जाने वाले कार्गो अपने निर्धारित सीमा से अधिक न हो;

(ख) यदि हां, तो आज तक डी.जी.सी.ए. द्वारा कितने औचक निरीक्षण किए गए; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए विमान कंपनियों के नाम और ब्यौरा क्या है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय ने विभिन्न हवाई अड्डों पर यह सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करवाया है कि अनुसूचित घरेलू उडानों पर विभिन्न कूरियर कंपनियों द्वारा ले जाने वाले कार्गो निर्धारित सीमा से अधिक न हों;

(ख) अभी तक नागर विमानन महानिदेशालय ने कुल 60 औचक निरीक्षण किए हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और जेट एयरवेज के दो मामलों जिनमें वे रिकार्ड किए कार्गो से अधिक कार्गो ले जा रहे थे, को छोड़कर किसी भी विसंगतियों का मामला नहीं पाया गया था।

(i) 22.06.2003 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान में कार्गो कनसाइनमेंट रिकार्ड किए गए भार से 121 कि.ग्रा. अधिक पाया गया।

(ii) 18.06.2003 को जेट एयरवेज की उड़ान में कार्गो कनसाइनमेंट रिकार्ड किए भार से 10 कि. ग्रा. अधिक पाया गया था।

एयरलाइनों को अपनी सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में विमानों में लोडिंग और लोड की मात्रा और ट्रीम शीटों के संबंध में नियमित जांच करनी होती है। इन मामलों में एयरलाइनों से अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

उड़ीसा में मत्स्यन पत्तन परियोजना

181. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में धामरा चरण–2 मत्स्यन पत्तन परियोजना पूरी करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उक्त परियोजना की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) उड़ीसा में धामरा चरण–2 मात्स्यिकी बंदरगाह को पूरा करने के लिए 23.3.2001 का लक्ष्य रखा गया है। उड़ीसा सरकार, जो क्रियान्वयन एजेंसी है, ने बताया है कि 86 प्रतिशत परियोजना कार्य अभी तक पूरा हो गया है।

कृषि के लिए प्रति व्यक्ति आबंटन

182. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि हेतु देश में प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य सरकारों द्वारा प्रति व्यक्ति आबंटन केन्द्र के प्रति व्यक्ति आबंटन से अधिक है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि के लिए और निधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय और राज्यों को कृषि के लिए अपनी राज्य योजना के आबंटनों के अंतर्गत आबंटित किए गए धन का ब्यौरा निम्नलिखित है। वर्ष 2001 की संगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर प्रतिव्यक्ति आबंटन का ब्यौरा तैयार किया गया है।

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कृषि मंत्रालय को आबंटन	कृषि के लिए राज्य योजना का आबंटन	प्रतिव्यक्ति आबंटन
2000-01	2894.55	4805.05	76.23
2001-02	2969.00	5608.53	84.92
2002-03	3242.00	6114.02	92.63

(ग) कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आबंटन प्राप्त करने में सरकार निरन्तर संगठित प्रयास कर रही है।

अवैध खनन के कारण क्षति

183. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतेहपुर सीकरी, आगरा में अवैध खनन गतिविधि से बुलन्द दरवाजा और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डायनामाइट का प्रयोग करके खनन गतिविधियों के लिए किन-किन व्यक्तियों तथा संगठनों को परमिट दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक परिवेश तथा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) फतेहपुर सीकरी की 10 कि.मी. की परिधि के अन्दर अवैध खनन गतिविधियों से बुलन्द दरवाजा सहित इसके ऐतिहासिक भवनों को खतरा हो सकता है।

(ख) क्षेत्र कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खनन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 पट्टे जारी किए हैं जिनमें से एक रद्द कर दिया गया है। 5 पट्टे समाप्त हो गए हैं। 34 पट्टे भी रद्द कर दिए गए थे किंतु बाद में इन्हें आयुक्त की अदालत, आगरा द्वारा प्रतिसंहत कर दिया गया था। पट्टे के सभी मामलों में, पट्टा की शर्तों के अनुसार विस्फोटन की अनुमति नहीं दी जाती है, तथापि इस संबंध में यदाकदा शिकायतें होती हैं। जिन व्यक्तियों को खनन कार्यों के परमिट दिए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आगरा मंडल फतेहपुर सीकरी के निकट अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तथा आगरा के जिला प्राधिकारियों से समय-समय पर अनुरोध कर रहा है। फतेहपुर सीकरी के समग्र विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट माननीय भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई है। जिसमें विश्वदाय स्मारक की 10 कि.मी. की परिधि के भीतर खनन एवं उत्खनन कार्य को निषिद्ध किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय भारत का उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर आवश्यक टिप्पणियों के साथ 16.10.2001 को एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने फतेहपुर सीकरी के 10 कि.मी. के अंदर खनन गतिविधियों को रोकने के लिए आगरा के जिला प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं। महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयुक्त, आगरा संभाग को भी पत्र लिखा गया है कि वह विश्वदाय स्मारक फतेहपुर सीकरी की 10 कि. मी. की परिधि के अंदर अवैध खनन/उत्खनन कार्यों को तुरंत रोकने के लिए हस्तक्षेप करें और संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दें।

विवरण

फतेहपुर सीकरी, एक विश्वदाय स्मारक, में खनन कार्य के पट्टाधारकों की विस्तृत सूची :

क्र.सं.	पट्टाधारक का नाम व पता	क्षेत्र का नाम	खण्ड सं.	रकबा	अवधि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मुन्ना समर, पुत्र श्री उमेरी, किरावली	जिताना	05	5.00 एकड़	29/1/2005	विस्फोटक के प्रयोग के कारण पट्टा रद्द कर दिया गया था किन्तु बाद में आयुक्त, आगरा की अदालत के आदेश द्वारा इसे प्रतिसंहत कर दिया गया।
2.	श्री भरत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह तथा श्री भीमा पुत्र श्री किशन सिंह, किरावली	–वही–	012	5.00 एकड़	5/10/2005	–वही–
3.	श्री उमेद सिंह, पुत्र प्यारे लाल, किरावली	–वही–	10	5.00 एकड़	29/01/2005	–वही–
4.	श्री दीवान सिंह, पुत्र श्री हरदम सिंह, किरावली	सांधा	410	6.00 एकड़	05/01/2005	–वही–
5.	श्री राम सिंह, पुत्र नवल सिंह, किरवाली	जिताना	23	2.30 एकड़	05/01/2005	–वही–
6.	श्री रमेश चन्द एवं अन्य/पुत्र श्री परम, किरावली	वच्छत	04	5.00 एकड़	05/01/2005	–वही
7.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मुन्ना याहा, किरावली	जिताना	16	3.00 एकड़	08/06/2005	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री देवी सिंह, पुत्र किरावली	–वही–	12	5.00 एकड़	5/4/2005	–वही–
9.	श्रीमती ओमवती पत्नी, हरिश चन्द्र गर्ग, किरावली	–वही–	04	5.00 एकड़	29/12/2005	–वही–
10.	श्री हीरा सिंह पुत्र किशन सिंह, किरावली	छ्यारन	289	2.00 एकड़	31/5/2005	–वही–
11.	श्री प्रेम सिंह, पुत्र श्री नैनिया राम, किरावली	जिताना	11	5.00 एकड़	19.03.2005	–वही–
12.	श्री सन्तोषी, पुत्र पुत्र गिरिराज, किरावली	नयापथ	03	–वही–	04.01.2005	–वही–
13.	श्री हरदम सिंह, पुत्र डोटा सिंह, किरावली	सांधा	299	8.00 एकड़	19.03.2005	–वही
14.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जनक सिंह किरावली	सांधा	289	3.00 एकड़	14.04.2005	–वही–
15.	श्री महाबीर, पुत्र श्री रघुवंश, किरावली	जिताना	22	6.50 एकड़	14.03.2005	–वही
16.	श्री राजबीर सिंह पुत्र लेखन सिंह, किरावली	–वही–	20	3.00 एकड़	11.07.2005	–वही–
17.	श्रीमती बिरमा देवी, पत्नी केदार नाथ, किरावली	रसूलपुर	276	5.00 एकड़	01.06.2005	–वही–
18.	श्री प्रीतम सिंह, पुत्र अतर सिंह किरावली	जिताना एवं साधा	289	5.00 एकड़	01.06.2005	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
19.	श्री राम प्रसाद, पुत्र श्री चेता, किरावली	वच्छत	06	6.00 एकड़	24.02.2005	—वही—
20.	श्री भगबान सिंह पुत्र श्री रेबती सिंह, किरावली	जिताना	07	5.00 एकड़	05.01.2005	—वही—
21.	श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह किरावली	वच्छत	02	5.00 एकड़	05.01.2005	—वही—
22.	श्री प्रेम चन्द सिंह, पुत्र श्यामा, किरावली	वेरावली	45	5.50 एकड़	26.07.2005	—वही—
23.	श्री जगबीर सिंह पुत्र गोबर्धम सिंह, किरावली	वच्छत	01	5.00 एकड़	14.05.2005	—वही—
24.	श्री भागिया सिंह पुत्र श्री करम सिंह, किरावली	मंडी	01	6.00 एकड़	15.03.2005	—वही—
25.	श्री उमेश सिसोदिया, पुत्र रामेन्द्र सिंह, किरावली	सांधा	410	5.00 एकड़	09.01.2005	—वही—
26.	श्री रामबीर सिंह, पुत्र हरबिलाश, किरावली	वच्छत	05	5.00 एकड़	05.01.2005	रद्द
27.	श्री केदार नाथ, पुत्र श्री गौरी शंकर किरावती	जिताना	08	5.00 एकड़	11.09.2005	विस्फोट के प्रयोग के कारण पट्टा रद्द कर दिया गया था किंतु बाद में आयुक्त, आगरा की अदालत के आदेश द्वारा इसे प्रतिसंहत कर दिया गया।
28.	श्री दतर सिंह, पुत्र श्री दीपा, किरावली	जिताना	06	5.00 एकड़	11.09.2005	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
29.	श्री अशोक कुमार, पुत्र जय शंकर, किरावली	डाबार	230	5.00 एकड़	21.05.2005	—वही—
30.	श्री धरमवीर सिंह, पुत्र जय शंकर, किरावली	जिताना	15	3.00 एकड़	29.11.2005	—वही—
31.	श्री पृथ्वीराम सिंह पुत्र श्री जनक सिंह किरावली	सांधा	298	5.00 एकड़	18.06.2005	—वही—
32.	श्री दारा सिंह, पुत्र राम बिलास, किरावली	टखदुर	137	2.00 एकड़	13—12—2005	—वही—
33.	श्री राम प्रसाद, पुत्र, राम भरोसे किरावली	जिताना	14	3.00 एकड़	08.02.2006	—वही—
34.	श्री मांग सिंह, पुत्र भजना लाल, किरावली	पखतला	555	2.00 एकड़	05.01.2003	समाप्ति की अवधि
35.	श्री रामबीर सिंह, पुत्र बेद सिंह, किरावली	सांधा	410	4.00 एकड़	08.02.2003	—वही—
36.	श्री भूपचन्द, पुत्र नेताराम, किरावली	रसूलपुर	276	3.00 एकड़	16.03.2003	—वही—
37.	श्री उदय सिंह, पुत्र रामबिलास, किरावली	सांधा	289	2.00 एकड़	26.03.2003	—वही—
38.	श्री सीताराम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, किरावली	बसखाबति	45	2.50 एकड़	03.08.2003	—वही—
39.	श्री महाबीर सिंह पुत्र भोला राम, किरावली	पखतला	556	2.00 एकड़	16.03.2004	विस्फोट के प्रयोग के कारण पट्आ रद्द कर दिया गया था किंतु बाद में आयुक्त आगरा की अदालत द्वारा इसे प्रति—संहत कर दिया गया है।
40.	श्री महाबीर सिंह, पुत्र भोला राम, किरावली	—वही—	434	2.00 एकड़	16.03.2004	—वही—

फसलों में संसाधित जीन

184\. **श्री अनादि साहू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान फसलों में संसाधित जीन को शुरू करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा कितने आवेदन प्राप्त और स्वीकृत किए गए हैं; और

(ख) फसलों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) यह प्रश्न पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। संबंधित मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राजस्व वसूली

185\. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस को उड़ान समय में बार–बार परिवर्तन, एजेन्टों द्वारा टिकटों को बड़ी संख्या में रद्द कराया जाना और समय–बद्धता का पालन न करना तथा अनार्थिक मार्गों में उड़ानों के कारण कम राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के एजेन्टों के पास तीन वर्ष से अधिक समय से कुछ धनराशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए है;

(ङ) क्या वर्ष 1992–93 से 2001–02 के दौरान एयरलाइंस को 1028.43 करोड़ रु. का नुकसान हुआ था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) इंडियन एयरलाइंस की वर्ष 2002–03 में राजस्व आय वर्ष 2001–02 की अपेक्षा लगभग 17% अधिक होने का अनुमान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 3 वर्ष से अधिक के लिए दोषी एजेन्टों के विरूद्ध कुल बकाया राशि 2.66 करोड़ रुपये है। इंडियन एयरलाइंस ने बकायों को घटाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे बैंक गारंटी लेना, कानूनी कार्रवाई करना, मामले को ट्रैवल एजेन्ट एसोसिएशन ऑफ इडिया/इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के समक्ष उठान आदि।

(ङ) और (च) इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1992–93 से 2001–02 के दौरान 1059.94 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस संचयी घाटे के मुख्य कारण इन तथ्यों का माना जा सकता है। जैसे 1990–91 में लगभग एक वर्ष तक ए–320 बेड़े का खड़े रहना, वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस में विलय जिससे कम्पनी पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ा, व्यावसायिक रूप से सामाजिक आर्थिक कारणों से अव्यवहार्य मार्गों पर प्रचालन, वर्षों से एटीएफ की कीमतों तथा एयरपोर्ट के उपयोग शुल्कों में वृद्धि, अमेरिका में 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं के बाद बीमा प्रीमियम दरों में बढ़ोतरी, उड़ानों में स्काई मार्शलों को लगाने से सुरक्षा खर्चों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा दरों का बढ़ना आदि।

राष्ट्रीय जल नीति

186\. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया** :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'नदियों को आपस में जोड़ना' नीति में इसे शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा और पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, पुनरीक्षित नीति, यदि कोई है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन योजना के संबंध में राष्ट्रीय जल नीति (2002) में निम्नलिखित प्रावधान है:–

"3.5 क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल हस्तांतरण करके जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

नदियों को परस्पर जोड़ने का मामला पूरी तरह उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत आता है। अतः इस संबंध में इस स्तर पर कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीजू पटनायक विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

187. **श्री परसुराम माझी :**

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजू पटनायक विमानपत्तन पर हवाई पट्टी को विस्तार में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसको पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से बीजू पटनायक विमानपत्तन, भुवनेश्वर का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली–भुवनेश्वर के बीच दैनिक एयर बस उड़ान शुरू करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) बीजू पटनायक हवाईअड्डे पर रनवे के विस्तार का कार्य पूरा हो गया था। केवल एक छोटे भू–खंड को छोड़कर जिसमें से राज्य सरकार की एक सड़क गुजरती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सड़क का रूख न मोड़ने के कारण देरी हुई है।

(ग) लगातार अनुरोध किए जाने के बाद राज्य सरकार अब इस सड़क का रूख मोड़ने पर सहमत हो गई है। सड़क का रूख मोड़ने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भूमि के छोटे भाग पर रनवे के विस्तार का कार्य आरंभ किया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) किसी भी हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय घोषित किया जाना, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए एयरलाइनों से यातायात मात्रा तथा मांग पर निर्भर करता है। इस समय किसी भी एयरलाइन ने भुवनेश्वर हवाईअड्डे से होकर अनुचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध नहीं किया है।

(च) विमान संसाधनों की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली–भुवनेश्वर मार्ग पर ए–320 की एक दैनिक सेवा के प्रचालन में असमर्थ है।

कृषि विस्तार में सुधार पर कार्यशाला

188. **श्रीमती प्रभा राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से मई, 2003 में कृषि विस्तार में सुधार पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कार्यशाला में विस्तार सुधारों के निम्नलिखित क्षेत्रों की परिष्कृत करने की व्यवस्था थी;

* विकेन्द्रीकत प्रणालियों में विस्तार का सार्वजनिक वितरण,
* प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार में सार्वजनिक–निजी सहभागिता,
* सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) का प्रयोग,
* मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) कार्य नीतियां,
* महिला और कमजोर वर्गों की विस्तार तक पहुंच सुनिश्चित करना, और

* प्रभावशाली मानिटरिंग और मूल्यांकन प्रणालियों का कार्यान्वयन।

गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य

189. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि का चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या केन्द्र और राज्यों की मूल्य निर्धारण नीति में सुधार की कमी के कारण अनेक चीनी इकाइयों के बंद होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) चीनी उद्योग ने, चीनी मौसम 2002–03 के लिए 69.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने के संशोधित सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) की अदायगी के संबंध में, सामान्यतः कठिनाई व्यक्त की है। चीनी उद्योग की सहायतार्थ, सरकार द्वारा कई उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें, दिसम्बर, 2002 में एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन के बफर स्टॉक का उत्पादन, आन्तरिक परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति और चीनी के निर्यात पर समुद्री भाड़े में कमी का तटस्थीकरण शामिल है।

रूग्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

190. **श्री नवल किशोर राय :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सरकारी करों के बोझ के कारण रूग्ण हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों के रूग्ण होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मार्च 2003 तक रूग्ण हुए ऐसे उद्योगों का प्रतिशत क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। राज्य–वार रूग्ण यूनिटों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती। किंतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त ब्यूरो की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2003 तक औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन उनके यहां 186 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पंजीकृत किए गए थे। कम क्षमता उपयोग, कम बाजार मांग, अकुशल प्रबंधन आदि भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के खराब निष्पादन के कारण हो सकते हैं।

टैक्सी मार्गों पर बाधाएं

191. **श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई विमानपत्तन पर टैक्सी मार्गों पर स्थित बाधाओं को दूर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र सरकार से टैक्सी मार्गों के समीप स्थित अतिक्रमणों को हटाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन बाधाओं की वजह से कितना समय बर्बाद हुआ है;

(ङ) टैक्सी मार्गों के विस्तार में विलंब के क्या कारण हैं;

(च) विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(छ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए बार–बार आश्वासन देती है और अलग–अलग तारीख निर्धारित करती है लेकिन अभी तक अतिक्रमणों को हटाया नहीं गया है।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फरवरी, 2001 में शिवसाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (एस पी पी एल)/स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था जिसके अनुसार एरिया को जून, 2001 तक खाली करना था। यह एरिया अभी खाली किया जाना है। बी–747 आदि जैसे भारी–भरकम विमानों को टैक्सी वे बी–3 में से प्रवेश करने के बाद रनवे से उडान भरने से पूर्व बैकट्रैकिंग के लिए अधिकतम 2 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है।

(ङ) शिवसाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (एसपीपीएल) ने अतिक्रमणों से खाली कराके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, एस पी पी एल ने एक अलग करार के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से डिपोजिट वर्क के भीतर बतौर चारदीवारी का भी निर्माण नहीं किया है।

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मंत्रालय ने भी महाराष्ट्र सरकार से प्रस्तावित बी–3 टैक्सी ट्रैक के रास्ते में आने वाली भूमि से अतिक्रमण करने वालों को हटाए जाने के बारे में अनेक बार अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें भी की गई हैं।

(छ) बी–3 टैक्सी ट्रैक में विस्तार किए जाने से मुम्बई हवाई अड्डे के मुख्य रनवे की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी।

[हिन्दी]

अमौसी विमानपत्तन का उन्नयन

192. डा. अशोक पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमौसी विमानपत्तन से हवाई यातायात का संचालन अभी भी मैनुअल रूप से किया जा रहा है जब कि इस विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नत किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जो आज भी राडार प्रणाली के बगैर कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन विमानपत्तनों को राडार सुविधा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके कब तक चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) अमौसी हवाई अड्डा, लखनऊ में विमान यातायात नियंत्रण सेवाएं कार्यविधिक नियंत्रण से प्रदान की जाती हैं। इस हवाई अड्डे पर आने वाले विमानों पर श्रेणी–I उपकरण अवतरण प्रणाली का प्रयोग करके नियंत्रण किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत में 67 प्रचालनात्मक हवाई अड्डों में से, राडार निगरानी के लिए प्रारंभिक राडार, दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा गुवाहाटी स्थित 8 हवाई अड्डों पर लगाए गए हैं, जहां पर यातायात का स्तर ऐसी सुविधा की मांग करता है। शेष 59 हवाई अड्डों पर सेकेण्डरी सर्विलियेंस राडार लगाए गए हैं। साथ ही नागपुर, वाराणसी और मंगलौर हवाई अड्डों पर भी इन्हें लगाया गया है तथा किसी भी हवाई अड्डे से दूर बहरामपुर पर एक अन्य स्थान पर भी इसे लगाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की अपेक्षाओं के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी महाद्वीपीय हवाई मार्ग के ऊपर निगरानी कवरेज प्रदान करती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना

193. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नदियों को जोड़ने की परियोजना में जर्मन विशेषज्ञों की सेवा लेने का है जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में किए गए विदेशी राष्ट्रों के अपने दौरों के दौरान घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना के लिए जर्मन विशेषज्ञता का किस हद तक उपयोग किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया

चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

194. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) ऐसे कई देश हैं, जिन्होंने वर्ष 2002 के दौरान भारत की अपेक्षा अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया। जबकि भारत ने 2.36 मिलियन पर्यटक प्राप्त किए, कुछेक देश, जिन्होंने वर्ष 2002 के दौरान, भारत की अपेक्षा अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया, निम्न प्रकार हैं:–

क्र. सं.	देश का नाम	पर्यटक आगमन (मिलियन में)
1	2	3
1.	फ्रांस	76.7
2.	स्पेन	51.7
3.	यू.एस.ए.	41.9
4.	इटली	39.8
5.	चीन	36.8
6.	यू.के.	23.9
7.	मैक्सिको	19.7
8.	कनाडा	20.0
9.	आस्ट्रिया	18.6
10.	जर्मनी	18.0
11.	हंगरी	15.9
12.	पोलैण्ड	14.0
13.	हांगकांग (चीन)	16.6
14.	मलेशिया	13.3
15.	पुर्तगाल	11.7

भारत के पर्यटन क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही मुख्य प्रतिस्पर्धी बाधाओं, में कई मुख्य पर्यटक स्थलों में तथा उनके आसपास अवसंरचना एवं परिवेश का घटिया स्तर, क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य, जो भारत के एक सुरक्षित एवं संरक्षित गंतव्य होने की अवधारणा को प्रभावित करता है, परिवहन सेवा एवं संबंधित अवसंरचना की अपर्याप्य मात्रा एवं क्वालिटी, प्रवेश पाइंटों आदि में सुविधा केन्द्र सेवाओं की कमी, इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

* नए व आकर्षक संदेशों द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं से सीधा सम्पर्क।
* विश्वस्तरीय सामग्री का सृजन
* केन्द्रीकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान
* एअरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों एवं विदेशाों के थोक व्यापारियों के साथ सीधा सहकारी विपणन
* उभरते हुए बाजारों, विशेष रूप से चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अत्यधिक फोकस करना।
* व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।
* संपादकीय जन संपर्क एवं प्रचार का उच्चतम उपयोग।
* इंटरनेट एवं मार्केटिंग का उपयोग।
* पर्यटक प्रकाशनों का सृजन।
* आतिथ्य कार्यक्रमों का पुनः प्रवर्तित करना, जिनमें विभिन्न पर्यटन उत्पादों की प्रथम जानकारी देने

के लिए, मीडिया से जुडी हस्तियों, टूर आपरेटरों को भारत से परिचय कराने के लिए हवाई पैसेज प्रदान करना, शामिल है।

उपर्यक्त के अलावा, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पास पर्यटन का संवर्धन करने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित लघुकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाएं हैं:–

* पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
* एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
* नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
* विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन;
* ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना;
* सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुदों और अच्छे कार्यपालन की ओर ध्यान देना; तथा
* पर्यटन परिपथों एवं पर्यटन–सह–सांस्कृतिक हबों का विकास।

नीलांचल इस्पात संयंत्र

195. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलांचल इस्पात संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह शुरू हुआ है;

(ग) इस संयंत्र द्वारा तब से उत्पादित ढलवाँ लोहा और अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त संयंत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ने 11.12.2001 से कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था।

(ग) चालू होने के बाद कच्चे लोहे और ग्रेनुलेटिड स्लैग का वर्ष–वार उत्पादन नीचे दिया गया है:–

(मीट्रिक टन)

	2001–02	2002–03	2003–04 (30.6.03)
कच्चा लोहा	26,500	3,60,000	1,15,000
ग्रेनुलेटिड स्लैग	11,500	1,25,000	42,000

(घ) और (ङ) एन आई एन एल ने अपने दूसरे चरण के दौरान इस्पात बिलेटों का उत्पादन करने के लिए इस्पात निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना बनाई है।

चित्रवती पर बांध

196. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार के एक उच्च स्तरीय दल ने कर्नाटक में चित्रवती परियोजना पर आगे निर्माण कार्य को रोकने हेतु केन्द्र सरकार से इस संबंध में हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार को निदेश देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से पारागोडु स्थल पर परियोजना की जांच करवाने के लिए अनुरोध किया था। केन्द्रीय जल आयोग ने दिनांक 15.6.2003 एवं 16.06.2003 को क्रमशः हैदराबाद तथा बंगलौर में अंतर्राज्जीय परियोजनाओं पर विचार–विमर्श करने के लिए

आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की। सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग ने पासागोडु गांव के निकट चित्रवती नदी पर परियोजना स्थल की जांच की। उसके बाद, सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिनांक 21 जून, 2003 को माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा कर्नाटक में चित्रवती परियोजना पर आगे के निर्माण कार्यों को रोकने के लिए निदेश देने का अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग ने इस मुद्दे को हल करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.6.2003 को नई दिल्ली में एक और अंतर्राज्यीय बैठक बुलाई जिसमें कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जैव संसाधित आलू का खेतों में परीक्षण

197. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने हाल ही में जैव-संसाधित आलू का खेतों में कोई परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस किस्म को कब तक बाजार में लाए जाने की संभावना है; और

(घ) इसकी पौष्टिकता और इसमें स्थित विषैले तत्वों की जांच करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। आनुवांशिक परिचालन समीक्षा समिति, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भा.कृ.अनु. परिषद के फील्ड स्टेशनों पर राष्ट्रीय पादप जेनोम अनुसंधान केन्द्र और केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पादप पर खेत परीक्षण आयोजित किए गए हैं।

(ख) आंकड़ों को समेकित करने और उनका विश्लेषण करने का कार्य चल रहा है।

(ग) दो वर्षों तक प्लॉट आधारित बहुस्थानीय परीक्षणों के बाद, आर सी जी एम और आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी ई ए सी), भारत सरकार नामक नियंत्रक निकायों द्वारा एक बार स्वीकृति प्राप्त करने पर यह आनुवांशिक रूप से परिवर्तित आलू संभवतः बाजार में आने लगेगा। इसके बाद अंततः इसका संवर्धन, किसानों को आपूर्ति, विपणन आदि होगा।

(घ) विष वैज्ञानिक अध्ययन पूरे हो गए हैं जबकि पौषणिक अध्ययन चल रहे हैं।

राष्ट्रीय पनधारा नीति

198. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दालों, तिलहनों और कपास के प्रौद्योगिकी मिशन के साथ राष्ट्रीय पनधारा नीति को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) मृदा, जल और देश की जैव-विविधता तथा उनके सतत उपयोग जैसे मुद्दों से संबंधित एक समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन रणनीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन हेतु अगले पांच वर्षों के लिए किस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति (जुलाई 2000) में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास संबंधी नीति भी शामिल है। इसमें प्रावधान है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित तथा समग्र विकास को पनधारा आधार पर वानस्पतिक उपायों के माध्यम से वर्षा जल के संरक्षण द्वारा तथा पनधारा समुदाय की सहभागिता से कृषि एवं कृषि वानिकी के माध्यम से बायोमास उत्पादन को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। तिलहन, दलहन एवं कपास की खेती सामान्यतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है।

(घ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्रों, बारानी भूमि तथा अवक्रमित वन क्षेत्र का विकास के लिए पनधारा आधार पर दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) कृषि मंत्रालय

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)

2. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)

3. नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्त्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी एवं एफ पी आर)

(ख) **ग्रामीण विकास मंत्रालय**

4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

5. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

6. समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

(ग) **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

7. राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु समिति

199. **डा. चरणदास महंत : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा अपने गठन के समय से सरकार को दी गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) उद्योग, खनन, ताप विद्युत, अवसंरचना, नदी घाटी और नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समितियां गठित की गई हैं।

(ख) से (घ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 और इसमें इसके पश्चात् किए गए संशोधनों के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर संबंधित क्षेत्रीय समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है और पर्यावरणीय स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए सिफारिशें की जाती हैं। इन सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावों पर उपयुक्त निर्णय लिया जाता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)

200. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने प्रमुख ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल का विचार अपने प्रशासनिक व्ययों में कटौती करने हेतु कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस्पात बाजार के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी विपणन नीति के एक भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा प्रबंधन प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण ग्राहक लेखे अभिज्ञात किए गए हैं।

(ग) और (घ) सेल का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और स्वाभाविक पृथक्करण के जरिए अपनी जनशक्ति घटाकर एक लाख करके अपने प्रशासनिक खर्चों में कमी करने का प्रस्ताव है। इसने 1996–1997 के बाद अपनी जनशक्ति में लगभग 46,000 की कमी की है। 31.3.2003 को सेल की जनशक्ति 1,37,496 थी।

बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए सेल की विपणन नीति की कुछ मुख्य–मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:–

1. उत्पादों और बाजार खण्डों पर अधिक ध्यान देने के लिए उत्पाद लाइन के साथ–साथ विपणन कार्यों का पुनर्निर्धारण।

2. अग्रिम ऑर्डर प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन करना।

3. उत्पादों की पहुंच बढ़ावा और अधिकृत/ग्रामीण डीलरों के जरिए ग्राहक आधार का विस्तार करना।

4. परियोजना/परियोजना आधारित ग्राहकों की इस्पात की आवश्यकताओं के ऑर्डर बुक करने और सर्विस करने पर बल देना।

5. मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री पर विशेष बल देना।

नए टर्मिनलों का निर्माण

201. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्तर की बड़ी कम्पनियां देश में सभी बड़े विमानपत्तनों पर नए टर्मिनलों के निर्माण में जुटी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्प्रवासन स्वीकृति में पाबंदियां

202. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेश जाने वाले लोगों की उत्प्रवास स्वीकृति पर नए प्रतिबंध लगाए जाने से केरल राज्य के भावी उत्प्रवासी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

203. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **पिछले दो वर्षों** के दौरान और आज की तिथि तक हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों की जिलेवार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) 1999–2000 में शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों से संबंधित सूचना कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा अलग से नहीं रखी जाती है। हिमाचल प्रदेश में 2001–2002 और 2002–2003 (खरीफ) में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान भी शामिल थे, 56048 थी। ये आंकड़े उत्तरांचल के संबंध में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वहां स्कीम का कार्यान्वयन 2002–2003 से ही शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

झारखंड और बिहार में नागर विमानन परियोजनाएं

204. श्री राजो सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड में नागर विमानन अवसंरचना के विस्तार और उसे मजबूत बनाने हेतु कोई परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितना वार्षिक खर्च आया है, करने का विचार है; और

(ग) इससे कितना अनुमानित लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चालू वर्ष के दौरान बिहार और झारखण्ड राज्यों में निम्नलिखित परियोजनाओं की मंजूरी दी है;

(i) गया हवाई अड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण और एप्रन के विस्तार सहित 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन और सम्बद्ध कार्यों का निर्माण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष तक 3.98 करोड़ रुपये खर्च किए है।

(ii) पटना हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सी वे, एप्रन के लिए शोल्डर्स की व्यवस्था और रनवे 07 और 25 के दोनों छोरों पर टर्निंग पैड तथा पेरिमीटर रोड का निर्माण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष तक 0.55 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(iii) पटना हवाई अड्डे पर रनवे प्रयोज्यता भूमि को बढ़ाने के लिए 6.42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष तक 4.72 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

(पअ) पटना हवाई अड्डे पर स्ट्रक्चरल स्टील कनोपी का निर्माण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष तक 0.45 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अगले वित्त वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड राज्यों में निम्नलिखित परियोजनायें शुरू करने की योजना है:-

(i) गया हवाई अड्डे पर तकनीकी ब्लाक एवं नियंत्रण टावर का निर्माण।

(ii) गया हवाई अड्डे पर आइसोलेशन बे और लिंक टैक्सी वे का निर्माण।

(iii) रांची हवाई अड्डे पर पेरीमीटर रोड का निर्माण।

(iv) रांची हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार।

(v) रांची हवाई अड्डे पर नए फायर स्टेशन की व्यवस्था।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजनाओं की बाबत अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अभी मंजूर किया जाना है।

(ग) उक्त हवाई अड्डे घाटे वाले हवाई अड्डे हैं। उक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से होने वाली किसी आय से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लाभ में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

इस्को का पुनरूद्धार

205. श्री महबूब जाहेदी :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की सहायक कंपनी, इंडियन आयरन और स्टील कंपनी (इस्को) के पुनरूद्धार हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संचालनकर्त्ता एजेंसी) द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल इस्को के पुनरूद्धार हेतु एक संयुक्त उद्यम भागीदार की तलाश कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गयी है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस्को में कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा इस्को के कुल्टी स्थित कारखाने के सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो कितने श्रमिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की है तथा उन्हें कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जैसा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा निदेश दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने सरकार के अनुमोदन के आधार पर एक पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रचालन एजेंसी इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई डी बी आई) को प्रस्तुत किया है जिसने यह प्रस्ताव बी आई एफ आर को प्रस्तुत कर दिया है। इस योजना के संबंध में फिलहाल बी आई एफ आर के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) जी, हां। मई, 2003 में मास्को में भारत-रूस कार्यदल के नौवें सत्र के दौरान इस्को के लिए संयुक्त उद्यम में रूस के मै. त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टीपीई) की भागीदारी से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया गया था और इस पर सहमति हुई थी कि टीपीई प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में अपनी भागीदारी की संभावनाओं की समीक्षा करेगी और दो माह के भीतर उसके बारे में रूस सरकार को बताएगी। रूस सरकार इसकी सूचना भारत सरकार को देगी।

(ङ) और (च) जी, हां। कुल्टी वर्क्स में 2900 कर्मचारियों में से 2866 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और जून, 2003 तक 2543 कर्मचारियों को पृथक करने के संबंध में 144 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना

206. श्री अधीर चौधरी :

श्री भास्करराव पाटील :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण कोष की स्थापना हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है जैसा कि दिल्ली सरकार राजधानी में ऐसे कोष की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) राज्य सरकारों की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के लिए कल्याण निधि गठित किए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए कई कल्याण निधियां गठित की है और वे उनका कार्यान्वयन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने-अपने राज्यों में भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अधीन शामिल कर्मकारों के लिए कल्याण निधियां गठित की हैं।

दिल्ली में जल स्तर

207. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जल स्तर में इस वर्ष गिरावट दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं;

(ङ) राजधानी में जलस्तर को बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं;

(च) क्या भू-जलस्तर को बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों का राजधानी में बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/एजेन्सियों/कम्पनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में नियमित आधार पर भूजल स्तरों की मानीटरी करता है। मई, 2002 की तुलना में मई, 2003 के प्रबोधन आंकड़ों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 0 से 2 मीटर की रेंज में मानीटरिंग कुओं के भूजल में लगभग 49% गिरावट का पता चला है। जब कि कुछ कुओं में 4 मीटर से अधिक गिरावट का पता चला है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों के अधिकांश भागों तथा नई दिल्ली और मध्य जिलों के कुछ भागों में भूजल स्तर में कमी पाई गई है। भू जल के अति दोहन और कम वर्षा के कारण भू जल स्तर में कमी आई है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भू जल स्तरों के बारे में मानचित्र और रिपोर्टें तैयार करता है, जिसे विभिन्न उपयोगिताओं अभिकरणों को वितरित किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भू जल स्तर को बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा सुझाए गए उपाय इस प्रकार हैं:

(1) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के जिलों को अधिसूचित किया है जिसमें कुओं की ओर खुदाई और सी जी डब्ल्यू के पूर्व अनुमोदन के बिना निजी अभिकरणों द्वारा बिक्री और आपूर्ति के लिए भूमि जल संसाधनों की निकासी पर प्रतिबंध लगा है।

(2) "अधिसूचित क्षेत्रों" में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिज, संस्थानों, विद्यालयों, छात्रावासों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और फार्म हाउसों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(3) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "भूमि जल के पुनर्भरण अध्ययन" विषय पर इसकी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 19 स्थलों पर कृत्रिम पुनर्भरण योजनाएं क्रियान्वित की हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने जल संचयन संरचना के निर्माण में डी डी ए, एन डी एम सी, सी पी डब्ल्यू डी, पी डब्ल्यू डी, दिल्ली कैंट, एम ई एस जैसे विभिन्न सरकारी अभिकरणों को तकनीक मार्गदर्शन भी मुहैया कराया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, उद्योगों, शैक्षाणिक संस्थानों, छात्रावासों, व्यक्तियों को वर्षा जल संचयन के लिए डिजाइन भी मुहैया कराए है। सी जी डब्ल्यू ए वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने के लिए जन जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिसूचित क्षेत्रों में नलकूपों की अवैध ड्रिलिंग के कुछ मामले सामने आए हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित उप–आयुक्त को भेजा गया है, जिन्होंने अवैध नलकूपों को सील करने जैसी कार्रवाई की है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

208. श्री अनंत नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र घाटे में कब से चल रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्र को वर्षवार कितनी हानि हुई; और

(ग) इस्पात संयंत्र का कार्यकरण सुधारने और हानियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) को 1995–96 से हानि हो रही है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे हुई हानि नीचे दी गई है:–

(रुपए/करोड़)

वर्ष	हानि
2000–01	445
2001–02	1036
2002–03	593

(ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

*सघन लागत नियंत्रण

*पूंजीगत व्यय पर नियंत्रण

*बाजारोन्मुखी उत्पाद–मिश्र

*श्रम शक्ति को सही आकार देना

* वर्धित क्षमता उपयोगिता

पांच सितारा होटलों द्वारा शुल्क मुक्त शराब का आयात

209. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, विदेश व्यापार ने कोई अधिसूचना जारी की है जिसमें शुल्क मुक्त शराब के आयात हेतु पांच सितारा होटलों को अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयतित शराब की बिक्री करने वाले छोटे पबों और रेस्तराओं के मालिकों से इस अधिसूचना के खिलाफ प्रतिवेदन प्राप्त किए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। महानिदेशक, विदेश व्यापार ने 14 मई, 2003 को पब्लिक नोटिस सं0 8/2002–7 जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार "होटल (पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा तीन सितारा अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के रूप में अनुमोदित) तथा पर्यटन विभाग सरकार के साथ पर्यटन के क्षेत्र में पंजीकृत अन्य सेवा प्रदाता, तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उनके द्वारा अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के 5% के समकक्ष, शुल्क मुक्त आयात करने के लिए पात्र होंगे।"

(ग) जी, हां।

(घ) महानिदेशक, विदेश व्यापार से उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

बीड़ी श्रमिकों के आश्रितों को बड़ी शल्य-चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता

210. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी श्रमिकों के आश्रितों को गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य–चिकित्सा, कैंसर तथा तपेदिक जैसी बड़ी शल्य चिकित्साओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिला बीड़ी श्रमिकों के मातृत्व लाभों में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत बीडी कर्मकारों के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण और कोरोनरी बाई–पास सर्जरी के खर्च की प्रतिपूर्ति की योजना है। कैंसर के इलाज के लिए बीडी कर्मकार तथा उसके आश्रितों के इलाज के खर्च की प्रतिभूति की जाती है। बीडी कर्मकार कल्याण निधि संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने 25 जून, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की है कि गुर्दा प्रत्यारोपण, बाई–पास सर्जरी और तपेदिक के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना में बीड़ी कर्मकारों के आश्रितों को भी शामिल किया जाए।

(ग) और (घ) वर्तमान में महिला बीडी कर्मकारों के लिए 500/– रु. तक के प्रसूति लाभ की व्यवस्था है। उपयुक्त बैठक में केन्द्रीय सलाहकार समिति ने प्रसूति लाभ की राशि को बढ़ाकर 1000 /रु. करने की भी सिफारिश की है।

विदेशों में नौकरी के अवसर

211. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में नौकरी के अवसरों में हुई वृद्धि से वर्ष 1993 के बाद के सुधार वर्षों के दौरान रोजगार वृद्धि में आने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका के पारंपरिक गंतव्यों, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य विकसित पश्चिमी देशों तथा खाड़ी देशों में नए गंतव्यों, सिंगापुर और मलेशिया आदि में नौकरी के नए अवसरों ने इन वर्षों के दौरान रोजगार के परिदृष्य में योगदान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हाल के दो तीन वर्षों में पारंपरिक और गैर–पारंपरिक गंतव्यों विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी रूप से पेशेवर तबकों के लिए अपनाए गए अवसर में वर्गवार किस सीमा तक कमी दिखाई गई है और इस संबंध में कौन से उपचारी कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि देश के भीतर रोजगार वृद्धि में हल्की सी गिरावट आई है, लेकिन विदेशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी हां। प्रबंधन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों और इंजीनियरों, चिकित्सकों, नर्सों इत्यादि जैसे अन्य तकनीकी कार्मिकों के लिए परम्परागत और नए गंतव्य देशों, दोनों में ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

(ङ) ऐसे कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि हाल ही में कोई गिरावट आई है।

नई राष्ट्रीय पर्यावरण कार्ययोजना

212. **श्री मोहन रावले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नई राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई और पुरानी "कार्य योजनाओं" के बीच क्या अंतर है,

(घ) क्या नई कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को धनराशि प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना तैयार करने हेतु इस मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने जून, 2003 में अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। इस कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर और विशिष्ट उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:–

1. परिसंकटमय पदार्थों से संबंधित विनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों का कार्यान्वयन।
3. नागर ठोस अपशिष्ट उपचार एवं निपटान।
4. अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर में कमी।
5. – छोटे पैमाने के उद्योगों,
   – मद्यनिर्माण शालाओं,
   – ईंट के भट्टों,
   – स्टोन क्रशरों में प्रदूषण उपशमन
6. उड़ान रूख का उपयोग।
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित प्रमुख नगरों में प्रदूषण उपशमन।
8. भूमि–जल संदूषण का परिशोधन।
9. पर्यावरणीय अनुमोदन से संबंधित शर्तों का प्रवर्तन।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना, इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट का परिणाम है। पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट में पर्यावरण कार्य योजना को तैयार करने हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार किया गया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) . समिति का यह विचार है कि उपकर दर में वृद्धि करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003 के हाल ही के अधिनियम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होंगे।

सऊदी अरब में निर्वासित भारतीय श्रमिक

213. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊउी अरब में 1.3 मिलियन निर्वासित भारतीय श्रमिकों सऊदी सरकार के उस कदम से प्रभावित होंगे जिसमें 21 श्रेणी को नौकरियों में भारतीय नागरिकों के स्थान पर सऊदी अरब के श्रमिकों को जगह दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या अगले वर्ष में सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय ने इन नौकरियों में लगे निर्वासित श्रमिकों को शनैः–शनैः प्रस्तावित प्रतिस्थापन करने का पहले ही प्रस्ताव रख दिया है।

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय से कुल कितने भारतीय प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को सऊदी अरब के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सऊदी अरब सरकार ने निर्णय लिया है को दस वर्षों की अवधि अर्थात् 2013 तक निवासियों की संख्या को कम किया जाना है, जिससे यह संख्या सऊदी अरब की जनसंख्या के 20 प्रतिशत से अधिक न रहे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता–वार अधिकतम सीमा सीलिंग के अंतर्गत, सऊदी अरब में किसी भी देश के 5 लाख से अधिक निर्वासित व्यक्ति नहीं होंगे।

(ख) वर्ष 1966 में, सऊदी अरब सरकार ने "सऊदीकरण" अर्थात् निर्वासित कार्यबल के स्थान पर सऊदी नागरिकों को क्रमित रूप से प्रतिस्थापित करने की नीति की घोषणा की थी। फिर भी सऊदी अरब सरकार की घोषणा के बावजूद, अभी तक सऊदीकरण सफल नहीं रहा है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में भारत से भर्ती पर सऊदी सरकार के नीतिगत निर्णय का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा
देय बकाया राशि

214. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा (पीआईए) इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1999 से कुछ करोड़ रुपए की राशि देनी बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) और इंडियन एयरलाइंस ने अपने-अपने देशों के हवाई अड्डों पर एक दूसरे की उड़ान में ग्राउंड हैंडलिंग, सुरक्षा और अन्य सेवाएं मुहैया कराने की बाबत द्विपक्षीय प्रबंध-व्यवस्था उपलब्ध कराई हुई थी। लगभग 40 लाख रुपए के हैंडलिंग, सुरक्षा, विमान के अतिरिक्त कलपुर्जों को लोन पर लेने से संबधित विवादों के लंबित मामलों का समाधान निकाला जाना है।

(ख) दोनों एयरलाइनों के सबंधित अधिकारियों के बीच परस्पर विचार-विनियम द्वारा इन मामलों की समीक्षा की जाती है। इनका समाधान निकाला जाता है।

खतरनाक अपशिष्ट का आयात और उपयोग

215. डा. चरणदास महंत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पारे, सायनाइड और सांखिया वाले अपशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद देश में इसका निरंतर उपयोग हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश में खतरनाक अपशिष्टों के आयात और उसके उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में मरकरी, आर्सेनिक और साइनाइड युक्त किसी परिसंकटमय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) संशोधन नियमों में मरकरी, आर्सेनिक और साइनाइड अपशिष्टों सहित 29 परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के दिशानिर्देश तैयार करने, सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण के रूप में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं और परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंन्धन और हथालन) नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्टैकहोल्डरों के बीच जागरूकता सृजित की गई है।

मुम्बई विमानपत्तन पर नागर विमानन की योजनाएं

216. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुम्बई विमानपत्तन पर आरंभ की गई अथवा प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या इन योजनाओं में अभी तक कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन योजनाओं पर कार्य अपने कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ङ) स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं पर आज तक कितनी राशि व्यय की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुम्बई हवाई अड्डे पर शुरू की गई/प्रस्तावित प्रमुख स्कीमें इस प्रकार हैं नई उपस्कर एवं अनुरक्षण वर्कशाप का निर्माण, टर्मिनल-2 पर परियोजना कार्यालय के पीछे नया टैक्सी पार्किंग एरिया, नया घरेलू टर्मिनल काम्पलेक्स (चरण-I), अपसर्जित टैक्सी ट्रैक के उत्तरी दिशा में 4 रिमोट पार्किंग बे, अंतरिम कार्गो, शेड अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, मीठी नदी के ऊपर पुल और 27 छोर की ओर बी-3 टैक्सी ट्रैक का विस्तार, मुख्य रनवे से नए हैंगर एरिया को जोड़ने वाला नया टैक्सी लिंक ट्रैक, टर्मिनल 1 बी पर नया फायर स्टेशन, गैर-अनुसूचित आपरेटरों के लिए 2 हैंगर, नए हैंगर एरिया को जोड़ने वाले टैक्सी ट्रैक के जंक्शन तक 09 छोर पर मुख्य रनवे को जोड़ने वाला सामानांतर टैक्सी ट्रेक, निर्यात कार्गो टर्मिनल, मौजूदा टर्मिनल 2ए तथा 2बी का सुधार व विस्तार, टर्मिनल 2ए पर 4 एस्क्लेटरों को बदला जाना और टर्मिनल 2 ए पर 3 ए/सी प्लांटों को बदला जाना।

(ख) मुम्बई हवाई अड्डे के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 551.25 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई हैं

(ग) जी, हां।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख कार्य पूरा किया गया वह 8.80 करोड़ रु. की लगात से नए फायर स्टेशन का निर्माण कार्य हैं। जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान जो प्रमुख कार्यप्रगति में हैं वे इस प्रकार हैं-नया उपस्कर एवं अनुरक्षण वर्कशाप, आवासीय आवास का निर्माण, टर्मिनल-2 पर प्रोजेक्ट को बदले जाने का कार्य। स्कीम के ये कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहे हैं।

(ङ) मंजूर की गई 551.25 करोड़ रु. की राशि में से अभी तक 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 24.90 करोड़ रु. की राशि खर्च हुई है।

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

217. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1980 में गठित किए गए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पुनर्गठित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त बोर्ड के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का उक्त बोर्ड को और अधिक वित्तीय अधिकार देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र बेसिन के भीतर आने वाले क्षेत्रों के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यक्षेत्र को उत्तर बंगाल तक बढ़ा दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी, 2000 में पूर्वोत्तर के अपने दौरे के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सुधार लाने तथा बाढ़ प्रबंधन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए इसके कार्य संचालन को और प्रभावी बनने की इच्छा व्यक्त की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बोर्ड में सुधार करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी आवश्यक संशोधनों के लिए जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रयोक्ता शुल्क

218. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री राममोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तनों के प्रयोक्ता शुल्क विश्व के सबसे अधिक प्रयोक्ता शुल्कों में से हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय विमानपत्तनों पर विमानों की उत्तराई पार्किंग, तथा हाउसिंग शुल्क के रूप में ली जाने वाली एयरलाइनों पर लागू प्रयोक्ता शुल्क का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं। भारत का एमडी-80/बी 737 किस्म के विमानों के लिए अवतरण शुल्क के मामले में 80वां जबकि बी-747 विमानों के मामले में 100वां स्थान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 63500 कि.ग्रा. भार वाले एमडी 80/बी-737 विमानों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात (शारजाह और दुबई), थाईलैंड और श्रीलंका में अवतरण शुल्क क्रमशः 207, 152 और 254 अमेरिकी डालर है जबकि भारत में यह दर 332 अमेरिकी

डालर है इसी तरह, 394600 कि.ग्रा. भार वाले बी–747 विमानों के लिए यह अवतरण शुल्क उक्त देशो में क्रमशः 1365, 1082 तथा 1578 डालर है जबकि भारत में यह दर 2043 अमेरिकी डालर है।

(घ) निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:–

– घरेलू विमान वाहकों को 15–20% प्रतिवर्ष का लाभ देते हुए रूट नेवीगेशन सुविधा शुल्क संबंधी परिकलन के लिए भार–एवं दूरी फार्मूला को स्विच आवर करना।

– एयर साइड यूजर चार्जेज में कोई वृद्धि न करके एक वर्ष (2003–04) की समयावधि तक यूजर चार्जेज में रोक लगाना।

– 1.4.2003 से टर्मिनल नेवीगेशनल लैडिंग चार्जेज में 25% तक कमी।

– पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू–कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के हवाईअड्डों पर लैंडिग और पार्किंग चार्जेज में चालू दरों के अनुसार 25% तक कमी।

नौवीं योजना के दौरान विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

219. श्री अनन्त नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाए गए तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए आधुनिकीकरण क्रियाकलाप का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न हवाई अड्डों पर अपनी स्कीमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कुल 1687 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इन स्कीमों/परियोजनाओं में चेन्नई, वडोदरा और इन्दौर में तकनीकी ब्लाक व कंट्रोल टावर का निर्माण, बंगलौर, भुवनेश्वर, दीमापुर, हैदराबाद, इन्दौर, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, जोधपुर, बागडोगरा, सिल्चर, तिरुपति, पटना और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन का निर्माण, आगरा चेन्नई, कालीकट, दिल्ली, दीमापुर, गोवा, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जोरहाट, मुम्बई, रायपुर, राजकोट, राजामुन्दरी तथा विस्तार व संबंधित कार्य, अमृतसर में आयात कार्गो का निर्माण कार्य पूरा किया गया । एप्रन का विस्तार, चारदीवारी, टैक्सी–ट्रैक रिमोट पार्किंग बे इत्यादि का कार्य यातायात आवश्यकताओं तथा निधियों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आरंभ किया जाना है।

इस प्रकार की परियोजनाएं यातायात आवश्कयताओं पर एयरलाइनों की मांगों, संसाधनों की उपलब्धता मौसम परिस्थितियों इत्यादि पर आधारित होती हैं। तथा इन्हें हवाई अड्डे की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाता है। सभी कार्य जैसे, अग्निशमन केन्द्र, हैंगर, कोर्गो काम्प्लैक्स, चारदीवारी, टर्मिनल भवन, कंट्रोल टावर का निर्माण, रनवे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण इत्यादि अनुसूची के अनुसार होते हैं। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के लिए, सभी परियोजनाओं के कार्य की प्रगति को क्षेत्रीय स्तर पर तथा निगमित स्तर पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है।

फसलों की बीमारियों से लड़ने के लिए ट्रांसजेनिक्स संबंधी परियोजना

220. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) का 14 फसलों को नष्ट करने वाली बीमारियों से लड़ने का लक्ष्य बनाकर ट्रांसजेनिक्स संबंधी 40 करोड़ रु. की परियोजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यावरणविदों ने इस अपरीक्षित प्रौद्योगिकी को मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : जी, हां।

(ख) "ट्रांसजेनिक्स इन क्रॉप्स" पर प्रस्तावित परियोजना में दो तकनीकी घटक सम्मिलित होंगे नामतः जीनों पर आधारभूत सामग्री तथा सूचना मुहैया कराने के लिए तथा सस्य विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताने के लिए उनके कार्यात्मक जीनोमिक्स तथा पराजीनी विकास जो चुनिन्दा फसलों में प्रायोगिक मान का होगा। यह परियोजना आवश्यकता पर आधारित मानव संसाधन विकास की गतिविधियों के माध्यम से सहभागिता वाले केन्द्रों की क्षमता एवं सुविज्ञता को भी सुदृढ़ करती है।

पराजीनी अनुसंधान घटक के लिए लंबित विशेषताओं में इन्हें शामिल किया जाएगा : (i) कीट–व्याधियों के प्रति रोगरोधिता (चावल, ज्वार, मक्का अरहर, चना, ब्रेसिका, कपास, टमाटर और बैंगन); (ii) कवक रोगों के प्रति रोगरोधिता (चावल एवं केले में); (iii) विषाणु रोगों के प्रति रोगरोधिता (सोयाबीन, कपास, टमाटर, आलू, केला, पपीता और कसावा में); (iv) अजैव दबावों के प्रति सहिष्णुता (ब्रेसिका में) तथा (v) शैल्फ लाइफ को बढ़ावा (टमाटर में)।

(ग) और (घ) परियोजना के प्रस्ताव को योजना आयोग को सिद्धांत रूप में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) और (च) जैव–सुरक्षा तथा पर्यावरणीय मामले महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें पर्यावरणविदों द्वारा भी उठाया गया है। किसी भी पराजीनी फसल की पर्यावरणीय रिलीज करने से पूर्व जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भली भांति तैयार किए गए सुरक्षा दिशानिर्देशों की एक प्रणाली का पालन करते हुए जैव–सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा रियायती किराए

221. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर तथा एयर इंडिया ने इस वर्ष छुट्टियां मनाने वाले यात्रियों के लिए रियायती विमान किराए की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो रियायती और किराए में दी गई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एयरलाइनें छुट्टियां मनाने वाले यात्रियों को आकर्षित करने में कितनी सफल रही हैं तथा निजी विमान ऑपरेटरों की तुलना में इन एयरलाइनों ने कितना किराया लिया?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया ने भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तथा मन्दी काल के दौरान खाडी/भारत ओर यूके/यूरोप/भारत मार्गों पर सीट फैक्टर में सुधार करने के लिए ऑफ सीजन होलीडे पैकेज आरंभ किया है। एअर इंडिया होलीडे पैकेज 15 मार्च, 2003 से खाडी और मध्य पूर्व में आरंभ किए गए थे और 30 सितम्बर 2003 तक वैध हैं। इसमें 25 जून, 2003 से 15 जुलाई, 2003 की अवधि ब्लैक आउट अवधि है। इन होलीडे पैकेजों में दो गंतव्य स्थान अर्थात् गोवा और केरल आते हैं। होलीडे पैकेज की अवधि गोवा के लिए 3 रातें और 4 दिन है तथा केरल के लिए 6 रातें और 7 दिन है। इन होलीडे पैकेज में विशेष किराये, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया नामक इन मार्केटों में लागू चालू मार्केट किरायों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। एअर इंडिया ने यू के और यूरोप से अपने स्वयं के होलीडे पैकेज आरंभ नहीं किया है। तथापि भारतीय टूर आपरेटर संघ ने, यूके और यूरोप से भारत के लिए अपने स्वयं के होलीडे पैकेजों के साथ किरायों की पेशकश की है। आईएटीओ को दिए गए किराये उसी स्तर के हैं जैसे कि यूरोप में टूर ऑपरेटरों/ट्रैवल एजेंटों के पास उपलब्ध हैं। आईएटीओ को दिए गए किराये विशिष्ट मार्ग अर्थात यूके/भारत/यूके तथा यूरोप/भारत/यूरोप में विशिष्ट रूप से मंदी अवधि के लिए वैध हैं, निर्धारित अवधि 19 अगस्त, 2003 से 30 सितम्बर, 2003 तथा 15 मार्च, 2004 से 30 जून, 2004 है। किरायों को अलग से अर्थात बिना किसी भूमि प्रबंध के नहीं बेचा जा सकता तथा इसका प्रयोग केवल नियमित ब्रोशर टूर पैकेज के एक भाग के रूप में ही किया जा सकता है। इसके अलावा इन किरायों पर टिकटों को केवल यात्रा के मूल देश मे ही जारी किया जा सकता है तथा इसे उस देश में लाइसेंसधारी टूर ऑपरेटरों द्वारा ही जारी किया जा सकता है।

(ग) यद्यपि एअर इंडिया के होलीडे पैकेजों की पर्यटन कारोबार में स्वागत हुआ था, परंतु उनकी पेशकश के साथ ही दुर्भाग्यतावश खाड़ी क्षेत्र में तनाव की परिस्थितियां हो गई थीं। इसके परिणामस्वरूप खाड़ी देशों के यात्रियों ने अवकाश यात्रा में रूचि नहीं दिखाई। इसके परिणामस्वरूप, अनिश्चित परिस्थितियों के कारण, ये होलीडे पैकेज पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सके।

जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, उन्होंने इस वर्ष होलीडे यात्रियों के लिए किसी विशेष विमान किराये की घोषणा नहीं की थी परंतु वे पहले से आरंभ किए गए रियायती विमान किराए और होलीडे पैकेज लगातार दे रहे हैं।

पुरावशेषों की चोरी के विरुद्ध कानून

222. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरावशेषों की चोरी को रोकने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) क्या उक्त अधिनियम में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपने आप तलाशी और जब्ती संबंधी कार्य करने के लिए उसे दंडात्मक अधिकार देने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त कानून के कब तक लागू होने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास 15000 से अधिक पुरावशेष पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन प्रक्रिया में है। इनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तलाशी तथा जब्ती संबंधी कार्यों को करने के लिए अधिकार देना शामिल है।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके पास 536 पुरावशेष हैं।

(च) क्योंकि ये न्यायालय की सम्पतियां हैं, अतः इन्हें न्यायालय मामलों के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

दूध का उत्पादन

223. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) के डेरी फार्मों में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) की फार्मों में दूध के उत्पादन में कमी देखने को मिली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान समूचे देश में और एनडीआरआई, करनाल के फार्मों में वार्षिक दुग्ध उत्पादन इस प्रकार है :–

वर्ष	000 टन में उत्पादन	
	अखिल भारत	एन डी आर आई फार्म
1999–2000	78779	1.29
2000–2001	81430	1.34
2001–2002	84570	1.28

(ख) एन डी आर आई, करनाल के फार्मों में दुग्ध उत्पादन में गिरावट की प्रवृति नहीं रही है।

एन डी आर आई, करनाल के फार्म को प्रायोगिक अनुसंधान फार्म के रूप में रखा गया है और पशुओं के समूह को समय–समय पर विभिन्न अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए रिलीज किया जाता है तथा उन पर विभिन्न आहार, प्रबंधन और प्रायोगिक उपचार के प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए समय–समय पर दुग्ध उत्पादन में उतार–चढ़ाव आता रहता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार अनेक नीतियां और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जो पशु रोग नियंत्रण, रोग मुक्त क्षेत्रों का सृजन, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा आनुवांशिक संसाधनों का उन्नयन, पौष्टिक आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने पर केन्द्रित हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्या

224. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 2002 से जून 2003 तक राज्यवार कुल कितने किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा सूखा पीड़ित क्षेत्र में ऋणों के मूल धन की वसूली न करने की घोषणा के बावजूद वर्ष 2002–03 के दौरान ग्रामीण और सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंक किसानों से ऋण और ब्याज की तत्काली वसूली करने के लिए उनको निरंतर मजबूर करते रहे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जुलाई 2002 से जून 2003 के दौरान किसानों द्वारा आत्महत्या के बारे में किसी राज्य से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 2002–2003 के दौरान ऋणों की वसूली के लिए बलपूर्वक कार्रवाई करने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विरासती पिस्तौल की चोरी

225. **श्री नरेश पुगलिया :**

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री भान सिंह भौरा :

श्री भास्करराव पाटील :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में बंगला देश युद्ध में पाकिस्तानी सेना के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की प्रतीक पिस्तौल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा तथा तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संग्रहालय में सुरक्षा में होने वाली चूक के लिए कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) 28 जून, 2003 को राष्ट्रीय संग्रहालय की मैरिटाइम हैरिटेज गैलरी से एक पिस्तौल गायब होने की सूचना मिली है। जांच हेतु इस मामले की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को कर दी गई है।

उपर्युक्त घटना के तुरंत बाद महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय के विभिन्न विभागों के सभी प्रमुखों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के डिप्टी कामांडेन्ट के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय किए हैं।

वन्य जीवों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

226. **श्री नरेश पुगलिया :**

श्री भास्करराव पाटील :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने हाल ही में देश के विभिन्न भागों में प्राणी उद्यान के जीवों को उचित उपचार करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में 'वन्यजीवों की स्वास्थ्य परिचर्या प्रबंधन" विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त संगोष्ठी में किन विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया और उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ङ) प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) और (ख) प्राणी उद्यान के जीवों को उचित उपचार मुहैया कराना मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए) उनके आवासन, देखभाल और पशु चिकित्सा परिचर्या के लिए न्यूनतम मानदंडों को विर्निदिष्ट करते हुए वैज्ञानिक तर्ज पर प्राणी उद्यानों के उचित प्रबंधन और विकास के लिए केवल तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। हाल ही में, 20.6.2003 को, केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए) ने, चिड़ियाघरों में स्वच्छता और रक्तजनित बीमारियों की घटनाओं की मानीटरी पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन पर बल देते हुए सभी राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को लिखा है।

(ग) और (घ) जी हां। 70 प्रतिनिधि जिनमें विदेशों के प्रख्यात पशुचिकित्सक शामिल हैं (3 संयुक्त राज्य अमरीका से, 1 केन्या से और 1 सिंगापुर से) विश्वविद्यालयों और पशुचिकित्सा संस्थानों के डीन और प्राध्यापक, प्राणी उद्यान पशुचिकित्सक और देश भर के प्राणी उद्यान निदेशकों ने कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में देश में वन्य जीवों के स्वास्थ्य परिचर्या प्रबंधन की स्थिति का आकलन किया गया। इस क्षेत्र में भविष्य में सुधार लाने के लिए एक रणनीति विकसित की गई।

(ङ) प्राणी उद्यानों में वन्य पशुओं को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उठाये गए कदमों में शामिल हैं:–

(1) प्राणी उद्यानों में रखे गए जीवों की पशुचिकित्सा परिचर्या पर न्यूनतम मानदंडों को निर्धारित करके राज्यों को सूचित कर दिया गया है।

(2) विहित मानदंडों के संदर्भ में प्राणी उद्यानों की कार्यप्रणाली का केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया है और प्रचालन की अनुमति केवल उन्हीं प्राणी उद्यानों को दी गई है जो मानदंडों के अनुरूप है।

(3) वर्ष 2002–03 के दौरान, प्राणि उद्यानों के जीवों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों को 137.30 लाख रुपये मुहैय्या कराये गये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

227. **श्री एन. एन. कृष्णदास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2003–2004 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8-9 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकारे ने 0.5 प्रतिशत बोनस ब्याज का भुगतान करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने, 31.05.2003 को आयोजित अपनी 161वीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

"बोर्ड ने निर्णय लिया कि अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने/निर्णय लिए जाने तक सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को 9 प्रतिशत की अंतरिम दर से ब्याज और 0.5 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान किया जाए। बोर्ड ने आगे निर्णय लिया कि बोनस का भुगतान केवल सांविधिक रूप से दायरे में लिए कर्मचारियों को किया जाए और उन कर्मचारियों को जो कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में स्वेच्छा से आए हैं।"

भारत सरकार को अभी कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 60(1) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के खाते में ब्याज जमा जोड़ने के लिए वर्ष 2003–2004 के लिए ब्याज की दर को अधिसूचित करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अपराह्न 2.01 बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) मैकन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैकन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 7773/03)

(3) मैकन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया **देखिए संख्या** एल. टी. 7774/03)

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7775/03)

(3) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7776/03)

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि **अध्यक्ष महोदय को महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री सुशील कुमार शिंदे का दिनांक 30 मई, 2003 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने 30 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है अध्यक्ष महोदय ने उनका त्यागपत्र 30 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से स्वीकर कर लिया है।**

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोगों की बात मैं सुनूंगा। पहले आप अपने स्थान पर जाइए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं। कृपया उनकी बात सुनिए। कृपया अपने—अपने स्थान पर चले जाइए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं। कम से कम पहले उनकी बात तो सुन लीजिए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए। वह वक्तव्य देना चाहते हैं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 2003/ 31 आषाढ़, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०.एल० एस० — 48/35/1/2003 (एम०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली—110006 द्वारा मुद्रित।